



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 12]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 7, 2016/पौष 17, 1937

No. 12]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 7, 2016/PAUSA 17, 1937

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2016

(अंतिम जांच परिणाम)

विषय : चीनी टाईपाई, फिलीपाईन्स, मलेशिया और विएतनाम से प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीनों अथवा इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनों के आयातों पर पाटन-रोधी संबंधी जांच।

फा. सं.14/03/2014-डीजीएडी : यतः वर्ष में 1995 में यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) और सीमा शुल्क टैरिफ (पाटन वस्तुओं पर पाटन-रोधी शुल्क का अभिज्ञान, मूल्यांकन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए ;

1. यतः प्लास्टिक मशीनरी मेन्युफेक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अपने सदस्यों नामतः (क) मेसर्स तोशिवा मशीन्स (चेन्नई) प्राईवेट लिमिटेड, (ख) मेसर्स फेरोमेटिक मिलाक्रोन इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, (ग) मेसर्स विंडसर मशीन्स प्राईवेट लिमिटेड और (घ) मेसर्स इलेक्ट्रोनिका मशीन टूल्स प्राईवेट लिमिटेड (जिन्हें आगे आवेदक कहा गया है) के साथ अधिनियम और नियमावली के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें उसने चीनी टाईपाई, फिलीपाईन्स, मलेशिया और विएतनाम की मूल की अथवा वहां से निर्यातित कुछ प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीनों अथवा इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनों (जिन्हें आगे संबद्ध वस्तुएं कहा गया है) के कथित आयात होने का आरोप लगाया है और अनुरोध किया है कि संबद्ध वस्तुओं पर पाटन-रोधी शुल्क लगाने के लिए जांच शुरू की जाए।

2. और यतः प्राधिकारी ने आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए गए संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के पाटन होने तथा उनसे घरेलू उद्योग को क्षति होने तथा पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध होने के बारे में प्रथम दृष्टया पर्याप्त प्रमाणों के आधार पर नियमावली के नियम 6 (1) के अनुसार दिनांक 14 अक्टूबर, 2014 को भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित सार्वजनिक अधिसूचना जारी करके पाटनरोधी जांच की शुरुआत की है-, ताकि नियमावली के अनुसार आरोपित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव को निर्धारित किया जा सके और पाटन-रोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश की जा सके, जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

क. क्रिया-विधि

3. प्राधिकारी द्वारा उपरोक्त जांच शुरू करने के लिए सार्वजनिक अधिसूचना जारी करने के बाद इस जांच के संबंध में निम्नलिखित वर्णीत क्रिया-विधि का अनुसरण किया गया है :-

- (1) नियम 5 के उप नियम 5 के अनुसार प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग से प्राप्त हुए आवेदन में पाटन-रोधी जांच शुरू करने के लिए किए गए अनुरोध बारे में भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को सूचित कर दिया गया था ।
- (2) नई दिल्ली में संबद्ध देशों के दूतावासों को नियम 6 (2) के अनुसार जांच शुरू करने के बारे में भी सूचित कर दिया गया था ।
- (3) निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 14 अक्टूबर, 2014 की जांच शुरूआत करने संबंधी अधिसूचना की प्रतियां, भारत में संबद्ध दूतावासों, संबद्ध देशों के ज्ञात निर्यातकों, भारत में ज्ञात आयातकों तथा उसके और घरेलू उद्योग के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भेज दी गई थी । इस जांच से संबंधित पक्षकारों से अनुरोध किया गया था कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली के उत्तर दायर कर दें तथा अपने लिखित विचारों से निर्दिष्ट प्राधिकारी को अवगत करा दें । निर्यातकों को भेजे गए पत्र, याचिका और प्रश्नावली की प्रतियां, ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों की सूची के साथ संबद्ध देशों को भी इस अनुरोध के साथ भेजी गई थीं कि वे संबद्ध देशों के निर्यातकों/उत्पादकों को यह सलाह दें कि वे प्रश्नावली के अपने उत्तर निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत कर दें ।
- (4) घरेलू उद्योग द्वारा दायर याचिका के अगोपनीय वृत्तान्त की प्रति, उपरोक्त नियम 6 (3) के अनुसार संबद्ध देशों के ज्ञात निर्यातकों और दूतावासों को भी उपलब्ध कराई गई थी ।
- (5) नियम 6 (4) के अनुसार संबद्ध सूचना प्राप्त करने के लिए संबद्ध देशों के निम्नलिखित ज्ञात निर्यातकों को निर्यातक की प्रश्नावलियां भेजी गई थीं :-

- (क) मेसर्ज शसिमा एसडीएन बीएचडी, मलेशिया
- (ख) मेसर्ज एमके प्लास्टिक्स मशीनरी (एम) एसडीएन बीएसडी, मलेशिया
- (ग) मेसर्ज मेकाहासा प्लास्टिक्स ईक्विपमेंट, मलेशिया
- (घ) मेसर्ज मोनेफेथ एसडीएन बीएसडी, मलेशिया
- (ङ) मेसर्ज अरासान ऑटोमेशन, मलेशिया
- (च) मेसर्ज विलसन प्रोडक्ट्स एंड मार्किटिंग कंपनी, मलेशिया
- (छ) मेसर्ज ऐफीसिएंट ग्रोथ एसडीएन बीएसडी, मलेशिया
- (ज) मेसर्ज सा प्रोटेक एंटरप्राइज, मलेशिया
- (झ) मेसर्ज इनटेक मशीनरी इनकापॉरेशन, चीनी ताईपाई
- (ञ) मेसर्ज फयूर शुईन मशीन ईडस्ट्री कंपनी, चीनी ताईपाई
- (ट) मेसर्ज पॉलिएस्टर मशीनरी कंपनी लिमिटेड, चीनी ताईपाई
- (ठ) मेसर्ज जिआ जिंग मशीनरी कंपनी लिमिटेड, चीनी ताईपाई
- (ड) मेसर्ज जोलेपेक इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड, चीनी ताईपाई
- (ढ) मेसर्ज टिआनचेन प्लास्टिक मशीनरी कंपनी लिमिटेड, चीनी ताईपाई
- (ण) मेसर्ज थान्य डान्य कंपनी लिमिटेड, विएतनाम
- (त) मेसर्ज सुंग विएट ट्रेडिंग एंड मशीनरी कंपनी, विएतनाम
- (थ) मेसर्ज बेटा मेकेनिकल कंपनी लिमिटेड, विएतनाम

- (6) संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं :-
- (क) मेसर्ज चेन हसोंग मशीनरी चाईनीज ताईपाई कंपनी लिमिटेड (उत्पादक), चीनी ताईपाई के साथ मेसर्ज एशियन मशीनरी कंपनी लिमिटेड (निर्यातक) ।
- (ख) मेसर्ज जोन वाई मशीनरी वर्क्स कंपनी लिमिटेड (चीनी ताईपाई) ।
- (7) उपरोक्त उत्तरदाताओं के अतिरिक्त संबद्ध देशों से निम्नलिखित निर्यातकों ने भी आंशिक/अपूर्ण उत्तर दायर किए हैं :-
- (क) मेसर्ज हुआऊं विएतनाम मशीनरी कंपनी लिमिटेड (विएतनाम) ।
- (ख) मेसर्ज चुआन लीह एफए मशीनरी वर्क्स कंपनी लिमिटेड (चीनी ताईपाई) ।
- (8) मेसर्ज हेरोविन मशीनरीज सप्लाइज कंपनी (फिलिपाईन्स) ने दिनांक 3 दिसंबर, 2014 के अपनेपत्र द्वारा प्राधिकारी को यह सूचित किया था कि वह भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तुओं के किसी भी निर्यात कारोबार में नहीं लगे हुए हैं ।
- (9) नियम 6 (4) के अनुसार भारत में संबद्ध वस्तुओं की ज्ञात आयातकों और निर्यातकों को निर्धारित प्रपत्रों में आवश्यक सूचना मंगाने के लिए प्रश्नावलियां भेजी गई थीं :-
- (क) मेसर्ज इलेक्ट्रॉनिक प्लास्टिक मशीन लिमिटेड (ताल मुन्शी, पुणे) ।
- (ख) मेसर्ज प्लास्टिक्स मशीनरी मेन्युफेक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (नई दिल्ली) ।
- (ग) मेसर्ज फेरोमेटिक मिलक्रोन इंडिया प्राईवेट लिमिटेड (अहमदाबाद) ।
- (घ) मेसर्ज विंडसर मशीन्स प्राईवेट लिमिटेड (थाणे) ।
- (ङ) मेसर्ज तोशिवा मशीन्स प्राईवेट लिमिटेड (चेन्नई) ।
- (च) मेसर्ज भारत बॉक्स फेक्टरी लिमिटेड (पंजाब) ।
- (छ) मेसर्ज कुंसटोकोम (इंडिया) लिमिटेड (नई दिल्ली) ।
- (ज) मेसर्ज सुमी मदरसन ग्रुप (नोएडा) ।
- (झ) मेसर्ज सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (मुंबई) ।
- (ञ) मेसर्ज विद्युत मेटेलिक्स लिमिटेड (महाराष्ट्र) ।
- (ट) मेसर्ज प्रिंस प्लास्टिक्स इंटरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड (थाणे) ।
- (ठ) मेसर्ज प्रिंस प्लास्टिक्स इंटरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड (मुंबई) ।
- (ड) मेसर्ज अरुण प्लास्टो मॉउलडर्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड (तमिलनाडु) ।
- (ढ) मेसर्ज माउलडवेल प्रोडक्ट्स (तमिलनाडु) ।
- (ण) मेसर्ज सेईजर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (तमिलनाडु) ।
- (त) मेसर्ज सीजे पॉलीटेक प्राईवेट लिमिटेड (तमिलनाडु) ।
- (थ) मेसर्ज रिआ मॉउलडर्स (चेन्नई) ।
- (द) मेसर्ज टेक प्लास्टिक इंडस्ट्रीज
- (ध) मेसर्ज शक्ति पोलीमर्स (तमिलनाडु) ।
- (न) मेसर्ज टूलिंग टेंपल (तमिलनाडु) ।
- (प) मेसर्ज विक्टोरियस इंजीनियरिंग वर्क्स (उत्तर प्रदेश) ।
- (फ) मेसर्ज ईजोब्स इंफो टेक इंडिया प्राईवेट लिमिटेड (कोयम्बटूर) ।
- (ब) मेसर्ज इलेक्ट्रॉनिका मशीन टूल्स प्राईवेट लिमिटेड (पुणे) ।
- (भ) मेसर्ज मोलडवेला प्रोडक्ट्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड (तमिलनाडु) ।
- (म) मेसर्ज ऑल इंडिया प्लास्टिक मेन्युफेक्चरर्स एसोसिएशन (मुंबई) ।
- (10) संबद्ध वस्तुओं के किसी भी आयातक/प्रयोक्ता ने प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है ।

- (11) ऑल इंडिया प्लास्टिक मैनुफैक्चरर्स ऑफ इंडिया ने जो कि प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीनरी प्रयोक्ता उद्योग की एक एसोसिएशन है, विभिन्न आधारों पर घरेलू उद्योग के दावों के प्रतिवाद में संयुक्त क्षति संबंधी निवेदन किए हैं।
- (12) वाणिज्य आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस) से अनुरोध किया गया था कि वे जाँच अवधि सहित पूर्ववर्ती तीन वर्षों के लिए लिए गए कारोबारवार आयात-के विस्तृत आकड़े उपलब्ध कराएं, जो कि प्राधिकारी को प्राप्त हो गए हैं। प्राधिकारी ने ऐसे कारोबार की विधिवत् जांच करने और असंबद्ध उत्पादों के आंकड़ों की छंटाई करने के बाद आयातों की मात्रा का परिकलन और आवश्यक विश्लेषण करने के लिए डीजीसीआई एंड एस के आंकड़ों पर विश्वास किया है।
- (13) प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रमाणों के अगोपनीय वृत्तान्त को एक सार्वजनिक फाईल के रूप में खुला उपलब्ध करा दिया था ताकि इच्छुक पक्षकार उनका निरीक्षण कर सकें।
- (14) सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों (जीएएपी) के आधार पर याचिकादाता द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की अनुकूलतम लागत और निर्माण लागत तथा बिक्री कीमत का परिकलन किया गया है, ताकि इसका पता लगाया जा सके कि क्या घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने के लिए पाटन मार्जिन से कमतर पाटन-रोधी शुल्क लगाना पर्याप्त होगा। प्राधिकारी द्वारा पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-3 में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार एनआईपी का निर्धारण किया गया है।
- (15) विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों से संबंधित गोपनीयता के दावों की जांच की गई है। ऐसी सूचना को जो कि प्रकृति स्वरूप गोपनीय है अथवा जो हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीयता के आधार पर उसके अगोपनीय सारांश के साथ प्रस्तुत की गई है, गोपनीय माना गया है।
- (16) जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने मौजूदा जांच की कार्रवाई के दौरान आवश्यक सूचना देने से मना कर दिया है अथवा ऐसी सूचना अन्यथा प्रदान नहीं की है अथवा जांच में अत्यधिक अडचन डाली है, वहां प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर प्रकटन विवरण रिकार्ड किया है।
- (17) प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई करने के लिए 8 अप्रैल, 2015 को मौखिक सुनवाई की थी जिसमें हितबद्ध पक्षकारों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तथापि, उसके बाद निर्दिष्ट प्राधिकारी के बदल जाने के कारण 19 अगस्त, 2015 को नई सुनवाई की गई थी। हितबद्ध पक्षकारों को कहा गया था कि वे अपने लिखित निवेदन और प्रत्युत्तर भी दें। हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त हुए निवेदनों और प्रत्युत्तरों पर प्रकटन विवरण में विचार किया गया है।
- (18) केन्द्रीय सरकार ने नियमावली के नियम 17 के अनुसार जांच को पूरा करने की अवधि बढ़ा कर 13 जनवरी, 2016 तक कर दी है।
- (19) जिनको आवश्यक समझा गया है, घरेलू उद्योग के साथ-साथ सहयोगी निर्यातकों के आंकड़ों की मौके पर जांच की गई है।
- (20) नियमावली के अनुसार प्राधिकारी ने 29.12.2015 को जारी प्रकटन विवरण द्वारा सभी हितबद्ध पक्षों को मामले के अनिवार्य तथ्यों का प्रकटन किया। घरेलू उद्योग और ऑल इंडिया प्लास्टिक मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन ने प्रकटन विवरण के संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं। हितबद्ध पक्षों की टिप्पणियों पर इस जाँच परिणाम में संगत सीमा तक ध्यान दिया गया है।
- (21) इस जाँच परिणाम में *** हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार सूचना प्रस्तुत की गई है और प्राधिकारी द्वारा उस पर नियमावली के प्रावधानों के अनुसार विचार किया गया है।
- (22) यह जांच अप्रैल, 2013 – मार्च, 2014 (जांच अवधि) के लिए की गई है। तथापि, क्षति की जांच में वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13 और 2013-14 (जांच अवधि) शामिल है।
- (23) प्राधिकारी द्वारा ने जांच अवधि (अप्रैल, 2013 – मार्च, 2014) के लिए अपनाई गई औसत भारित कीमत 1 अमरीकी डालर = 60-85 रूपए है।

ख. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

4. जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना में अधिसूचित विचाराधीन उत्पाद, "सभी प्रकार की प्लास्टिक प्रोसेसिंग अथवा इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनें" है जिसे इंजेक्शन प्रेस भी कहा जाता है जिनकी क्लेम्प फोर्स 40 टन से अनधिक होती है और 3200 टन से अधिक नहीं, जिनका प्रयोग प्लास्टिक सामग्री की प्रोसेसिंग और मोल्डिंग के लिए किया जाता है। तथापि, निम्नलिखित प्रकार के उत्पादों को विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र से बाहर रखा गया है :-

- (1) सीमा शुल्क टैरिफ वर्गीकरण संख्या 847730 के अंतर्गत वर्गीकृत ब्लो मोल्डिंग मशीनें।
- (2) अनुलम्ब इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनें।

- (3) ऐसी सभी इलेक्ट्रिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनें जिनमें यांत्रिकी चलन जैसे कि इंजेक्शन, मोल्ड क्लोजिंग, मोल्ड ओपनिंग, इंजेक्शन, स्कू ड्राईवर आदि का नियंत्रण स्वतंत्र सर्वो मोटरों से होता है और जिनमें अंकीय नियंत्रण प्रणाली स्थापित होती है और जो हार्डड्रोलिक यूनितों रहित होती हैं।
- (4) फुटवीयर बनाने के लिए मल्टी कलर/मल्टी-मोल्ड मशीनरी, फुटवीयर बनाने के लिए रोटरी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनरी तथा फुटवीयर सोल/स्ट्रेप/हील इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन जिसे सीमा शुल्क टैरिफ वर्गीकरण संख्या 8453 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

5. प्लास्टिक प्रोसेसिंग अथवा इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनों को आईटीसी (एचएस) और सीमा शुल्क वर्गीकरण संख्या 8477के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। आठ अंकीय स्तर पर उत्पाद को सीमा शुल्क के वर्गीकरण के अध्याय 84771000 के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तथापि, उपरोक्त वर्गीकरण निर्देशात्मक मात्र है और यह किसी भी तरह से जांच के अधिकार क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

6. याचिकादातों ने यह दावा किया है कि भारतीय उद्योग द्वारा निर्मित संबद्ध वस्तुओं और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तुओं में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। भारतीय उद्योग द्वारा विनिर्मित और भारत में आयातित वस्तुएं, वास्तविक और तकनीकी लक्षणों, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रोद्योगिकी, कार्यो और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा शुल्क वर्गीकरण जैसे प्राचलों की दृष्टि से एक समान ही हैं। ये दोनों वस्तुएं तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य हैं। उपभोक्ता देश में विनिर्मित और आयातित मशीनों दोनों का उपयोग कर रहे हैं जो कि परस्पर रूप से परिवर्तनीय हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तुओं के कार्य-क्षेत्र और कवरेज के बारे में कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिए मौजूदा जांच के प्रयोजनार्थ नियमावली के नियम 2 (घ) में उल्लिखित परिभाषा के अनुसार याचिकादाता द्वारा विनिर्मित वस्तुओं को संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद के समान ही माना जा रहा है।

7. प्राधिकारी के ध्यान में यह लाया गया है कि जांच शुरुआत करने संबंधी अधिसूचना में दिया गया उत्पाद का विवरण, जो कि इस तरह से पठित है "प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीने अथवा इंजेक्शन मोल्डिंग मशीने", ऐसा आभास देता है कि रबड़ जैसी अन्य सामग्री प्रयुक्त करने वाली सभी इंजेक्शन मशीने भी शुल्क के आदेश के अंतर्गत आती हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच में प्लास्टिक प्रोसेसिंग अथवा इंजेक्शन मोल्डिंग मशीने शामिल हैं जिन्हें इंजेक्शन प्रेस के रूप में भी जाना जाता है, जिनका उपयोग केवल प्लास्टिक सामग्री की मोल्डिंग के लिए किया जाता है। इसलिए रबड़ अथवा सिलिकोन जैसी अन्य सामग्री की मोल्डिंग अथवा इंजेक्टिंग के लिए प्रयुक्त होने वाली मशीनों को "विचाराधीन उत्पाद" के कार्य-क्षेत्र से बाहर रखा गया है। इसलिए स्पष्ट स्थिति बनाए रखने के लिए इस उत्पाद को आगे "40 से 3200 मी.टन तक की क्लेम्पिंग फोर्स के साथ प्लास्टिक सामग्री की प्रोसेसिंग अथवा मोल्डिंग करने वाली प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीने अथवा इंजेक्शन मोल्डिंग मशीने" कहा गया है।

8. यह नोट किया जाता है कि प्लास्टिक मशीने विभिन्न आकारों और क्षमताओं की विनिर्मित की जाती हैं जिन्हें क्लेम्पिंग फोर्स के रूप में वर्णित किया जाता है। घरेलू उत्पादक के साथ-साथ विदेशी उत्पादक विभिन्न क्लेम्पिंग फोर्स और अतिरिक्त विशिष्टताओं और विभिन्न क्षमताओं वाली विभिन्न प्रकार की प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीनें विनिर्मित करते हैं, जिनका उपयोग उत्पादों के कुछ समूहों के लिए किया जाता है। घरेलू उद्योग विभिन्न क्लेम्पिंग फोर्स वाली मशीनों का उत्पादन करता है तथा संबद्ध देशों में उत्पादकों द्वारा निर्मित ऐसी श्रृंखला की मशीनें समान वस्तुएं हैं तथा वे स्पष्ट रूप से तकनीकी और वाणिज्यिकी रूप से प्रतिस्थापन योग्य हैं। इसलिए इस प्रकार के उत्पाद, अपनी क्लेम्पिंग फोर्स श्रृंखला के भीतर तथा समान वस्तु के प्रयोजनार्थ परस्पर रूप से समान हैं। विभिन्न क्षमताओं/क्लेम्पिंग फोर्स वाली प्रोसेसिंग मशीनों को हाल ही की जांच में भिन्न प्रकार के उत्पाद माना गया है और उनकी तुलना जितना संभव हो सका है, समानता के आधार पर एक समान मशीनों से की गई है। मौजूदा जांच में भी इसी प्रकार की क्रिया-विधि का प्रयोग किए जाने का प्रस्ताव है।

ग. घरेलू उद्योग और दर्जा

9. मौजूदा आवेदन प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीनों के उत्पादकों की ओर से प्लास्टिक मशीनरी मेन्युफेक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (जिसे आगे याचिकादाता अथवा पीएमएमए कहा गया है) द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इसके चार सदस्य नामतः (1) मेसर्स तोशिबा मशीन्स, (2) मेसर्स फेरोमेटिक मिलाक्रोन, (3) मेसर्स विंडसर मशीन्स और (4) मेसर्स इलेक्ट्रोनिका मशीन टूल्स, जो कि भारत में विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उत्पादक हैं और जिनका भारत में संबद्ध वस्तुओं का कुल उत्पादन 90% होता है, ने संबद्ध सूचना प्रस्तुत करने के साथ संबद्ध देशों से पीपीएम के आयातोंपर पाटन-रोधी शुल्क लगाए जाने का अनुरोध किया है।

10. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मेसर्स तोशिबा मशीन्स (चेन्नई) प्राईवेट लिमिटेड, मेसर्स तोशिबा मशीन्स (विएतनाम) कंपनी लिमिटेड से संबंध रखती है और मेसर्स तोशिबा मशीन्स (विएतनाम) कंपनी लिमिटेड केवल इलेक्ट्रिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनों का विनिर्माण करती है जो कि मौजूदा जांच का मामला नहीं है। इसलिए प्राधिकारी की यह धारणा है कि याचिकादाता को नियमावली में उल्लिखित परिभाषा के अनुसार घरेलू उद्योग के भाग के रूप में ही माना जा सकता है और तदनुसार उपरोक्त सभी चार घरेलू उत्पादकों को नियमावली के नियम 2(ख) में उल्लिखित परिभाषा के भीतर इस जांच के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग के

रूप में माना गया है। प्राधिकारी की यह भी धारणा है कि आवेदन, उपरोक्त नियमावली के नियम 5 के अनुसार दर्जे के मानदंड को पूरा करता है।

घ. न्यूनतम सीमा

11. प्राधिकारी ने इस जांच के प्रयोजनार्थ वाणिज्य आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस) के साथ-साथ संबद्ध देशों के सहयोगी निर्यातकों से प्राप्त आंकड़ों की जांच की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुओं को विभिन्न मॉडलों/क्षमताओं में विनिर्मित और बेचा जाता है और उनको क्लेम्पिंग फोर्स के बतौर अभिज्ञात किया जाता है। जबकि डीजीसीआई एंड एस से प्राप्त किए गए आंकड़ों का विश्लेषण करने से ऐसा पता चलता है कि कुछ कारोबारों में वास्तविक क्लेम्पिंग फोर्स का उल्लेख नहीं किया गया है। चूंकि विचाराधीन उत्पाद में उत्पाद के विवरण और कीमत के आधार पर 40 मी. टन से 3200 मी. टन की क्लेम्पिंग फोर्स युक्त और पीपीएम शामिल है और विश्लेषण के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद के व्यापक प्राचलों के भीतर उनके कारोबार पर विचार किया गया है। तथापि, उनकी समानता की तुलना करने के प्रयोजनार्थ केवल उन कारोबारों पर विचार किया गया है, जिनके मॉडलों/क्लेम्पिंग फोर्स को अभिज्ञात किया जा सका है।

12. इस जांच के आधार पर संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात पर्याप्त पाए गए हैं और ये न्यूनतम सीमा से अधिक हैं।

ङ. जांच से संबंधित हितबद्ध पक्षकार

13. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीनी टाईपाई से संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्यातक की प्रश्नावली के अपने उत्तर प्रस्तुत किए हैं और उनके आंकड़ों यथा संभव जांच की गई है :-

(क) मेसर्स एशियन प्लास्टिक मशीनरी कंपनी लिमिटेड (निर्यातक), मेसर्स चैन हसोंग मशीनरी चाईनीज टाईपाई कंपनी लिमिटेड (उत्पादक) चीनी टाईपाई।

(ख) मेसर्स जोन वाई मशीनरी वर्क्स कंपनी लिमिटेड (उत्पादक) (चीनी टाईपाई)।

14. मेसर्स हेरोविन मशीनरीज सप्लाइज कंपनी (फिलीपाईन्स) ने एक पत्र दिया है, जिसमें उन्होंने यह कहा है कि उनका व्यवसाय प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनों, उसके कल पुर्जों और उपकरणों तक ही सीमित है, जो कि फिलीपाईन्स के बाजार में ही होता है और उनका भारतीय बाजार में कोई रुचि नहीं है।

15. मेसर्स हुआयुन विएतनाम मशीनरी कंपनी लिमिटेड (विएतनाम) ने दिनांक 20 नवंबर, 2014 के अपने पत्र के साथ एक अपूर्ण उत्तर दायर किया है जिसके साथ उनका अगोपनीय वृत्तान्त संलग्न नहीं किया गया है। उन्हें दिनांक 31 दिसंबर, 2014 और 21 जुलाई, 2015 के ई-मेल भेज कर उनसे अनुरोध किया गया है कि वे प्रश्नावली के परिशिष्ट 4 से 8 प्रस्तुत करें तथा पाटन-रोधी करार के अनुच्छेद 6.5 के साथ पठित पाटन-रोधी नियमावली के नियम 7 के अनुसार किए गए निवेदनों के अगोपनीय वृत्तान्त का उनका एक सेट अधूरा है। तथापि, कंपनी अपने उत्तर को पूरा करने के लिए किसी भी दस्तावेज को प्रेषित करने में विफल रही है अथवा उन्होंने नियमावली के उपबंधों का अनुसरण नहीं किया है। इसलिए कंपनी द्वारा दायर किए गए उत्तर को अस्वीकार कर दिया गया है और इस कंपनी को असहयोगी माना गया है।

16. मेसर्स चुआन लिह एफए मशीनरी वर्क्स कंपनी लिमिटेड (चीनी टाईपाई) ने दिनांक 17 नवंबर, 2014 के अपने पत्र के साथ अपना आंशिक उत्तर प्रेषित किया है। दिनांक 8 दिसंबर, 2014 और 21 जुलाई, 2015 के ई-मेल द्वारा कंपनी से अनुरोध किया गया था कि वे निर्धारित प्रपत्र के अनुसार अपने अगोपनीय वृत्तान्त के साथ प्रश्नावली के अपने पूरे उत्तर का एक सेट प्रेषित करें। तथापि, कंपनी को पूरा उत्तर प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने के बाद भी वह अपना पूरा उत्तर भेजने में विफल रही है। इसलिए कंपनी द्वारा भेजे गए आंशिक उत्तर को अस्वीकार कर दिया गया है और इस कंपनी को असहयोगी माना गया है।

17. फिलीपाईन्स, मलेशिया और विएतनाम के अन्य किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने प्रश्नावली का कोई उत्तर प्रेषित नहीं किया है। संबद्ध देशों की सरकारों ने भी प्राधिकारी के समक्ष कोई निवेदन नहीं किया है।

18. संबद्ध वस्तुओं के किसी भी आयातक अथवा प्रयोक्ता ने आयातकों की प्रश्नावली का कोई उत्तर नहीं भेजा है/क्षति संबंधी निवेदन किया है। ऑल इंडिया प्लास्टिक मेन्युफेक्चरर्स एसोसिएशन आफ इंडिया जो कि भारत में प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीनों के प्रयोक्ताओं की प्रतिनिधि एसोसिएशन है, ने संयुक्त क्षति निवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें उसने विभिन्न आधार पर घरेलू उद्योग के दावों का प्रतिवाद किया है। घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि हालांकि प्रयोक्ता एसोसिएशन ने अपना उत्तर प्रस्तुत किया है, फिर भी प्रयोक्ता एसोसिएशन के किसी भी सदस्य ने प्रश्नावली का कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है अथवा अपने आयातों और आयातों की कीमत के बारे में कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की है। इसके अतिरिक्त घरेलू उद्योग ने यह भी तर्क दिया है कि जांच शुरू करने की सूचना से सभी हितबद्ध पक्षकारों को निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष संबद्ध सूचना प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता है। एसोसिएशन ने ऐसी किसी भी प्रकार की कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की है जो कि मौजूदा जांच से संबद्ध हो। इसलिए उन्हें इस जांच में हितबद्ध पक्षकार का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए।

19. प्रकटन के बाद के अपने अनुरोधों में घरेलू उद्योग ने यह भी तर्क दिया है कि यद्यपि ऑल इंडिया प्लास्टिक मेन्युफेक्चरर्स एसोसिएशन ने अपना अनुरोध प्रस्तुत किया है तथापि, प्रयोक्ता एसोसिएशन के किसी सदस्य ने भी आयातों की मात्रा, आयात कीमत आदि के संबंध में प्रश्नावली का कोई उत्तर या कोई सूचना प्रदान नहीं की है। एसोसिएशन ने तथापि, वर्तमान जाँच से संगत कोई सूचना प्रदान नहीं की है। एमडीएफ मामले में मै. मैरिनो पैनल प्रॉडक्ट्स लि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी में सेस्टेट के हाल के एक निर्णय का उल्लेख करते हुए घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि माननीय सेस्टेट ने यह माना है कि कोई पक्ष किसी जाँच में अपनी स्थिति सिद्ध किए बिना निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष कोई अभ्यावेदन नहीं दे सकता है। यह भी तर्क दिया गया कि यदि वह पक्ष किसी एसोसिएशन की स्थिति के रूप में स्वयं को बताता है तो वह संगत संविधियों के अनुसार कोई पंजीकृत एसोसिएशन होनी चाहिए। एसोसिएशन द्वारा ऐसी कोई सूचना नहीं दी गई है और एसोसिएशन अपनी स्थिति को सिद्ध किए बिना इस जाँच में भागीदारी कर रही है। अतः प्राधिकारी को एसोसिएशन को असहयोगी मानना चाहिए, अन्यथा यह एक परिपाटी बन जाएगी कि कोई पक्षकार कोई सूचना दिए बिना हितबद्ध पक्ष बन जाएगा और उसे अपने कर्तव्यों को पूरा किए बिना एक हितपद्ध पक्षके सभी अधिकार दे दिए जाएंगे।

20. उपर्युक्त मामले में सेस्टेट का संगत निर्णय का पाठ निम्नानुसार है:

"जब तक कोई पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष यह नहीं दर्शाता है कि वह संबद्ध वस्तु का कोई आयातक/निर्यातक है तब तक उसे किसी हितबद्ध पक्ष के रूप में कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार नहीं मिलता है। ऐसे निर्यातकों जिन्होंने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है, के संबंध में प्राधिकारी ने उन्हें असहयोगी माना है। यह सिद्धांत समान रूप से आयातकों पर भी लागू होगा। अतः, यह सिद्ध करना आयातक का दायित्व है कि वह जाँच की प्रक्रिया में आयातक प्रश्नावली में यथा अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करके हितबद्ध पक्षकार बने। ऐसा करने में विफलता एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में उसके दावे के लिए घातक होगा। अपीलकर्ता ने प्राधिकारी के समक्ष यह दर्शाते हुए कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की है कि वह जाँच के अधीन वस्तु को आयातक रहा था और इसलिए उसे हितबद्ध पक्ष नहीं माना जा सकता है।"

21. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सेस्टेट द्वारा नियमावली के नियम 2(ग) की उक्त व्याख्या ऐसे किसी आयातक जिस पर प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी हो परंतु उसने ऐसा नहीं किया हो किंतु न्यायाधिकरण के समक्ष मुद्दा रखने पर जोर दिया हो, के अधिकार तक सीमित है। माननीय न्यायाधिकरण ने उक्त नियमावली में यथा सम्मिलित व्यापार या व्यवसायिक एसोसिएशन के अधिकारी के संबंध में कोई निर्णय नहीं दिया है। इस जाँच में, ऑल इंडिया प्लास्टिक मेन्युफेक्चरर्स एसोसिएशन आफ इंडिया ने प्लास्टिक मेन्युफेक्चरर्स की एक एसोसिएशन होने के नाते अपने सदस्यों द्वारा किए गए आयातों की मात्रा और मूल्य के बारे में किसी प्रकार की विस्तृत सूचना और ऐसी सूचना जिससे पाटन और क्षति का निर्धारण करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, दिए बिना जांच के विभिन्न पहलुओं के संबंध में कुछ तर्क दिए हैं। इन मशीनों के प्रयोक्ताओं जो कि संबद्ध वस्तुओं के आयातक भी हैं, के प्रतिनिधि निकाय होने के नाते यह एसोसिएशन ऐसी बहुत उपयोगी सूचना प्रस्तुत कर सकती थी जो कि प्राधिकारी को तथ्यों के आधार पर निर्धारण करने में सहायक सिद्ध हो सकती थी। तथापि, इस तथ्य के बावजूद कि एसोसिएशन ने अपने निवेदनों के साथ जांच के उचित और पारदर्शी होने के हित में ऐसा कोई आंकड़ा और कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की है, जो कि जांच को उचित सिद्ध करने और पारदर्शी बनाने के हित में उपयोगी होती, जांच के अन्य पहलुओं के संबंध में किए गए उनके निवेदनों को रिकार्ड में ले लिया गया है और उनकी जांच अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्कों के साथ की गई है तथा उनका निदान इन निष्कर्षों में, जितना संभव हो सका है, संबद्ध और जांच किए जा सकने योग्य प्रमाण के साथ किया गया है।

22. इसलिए इस जांच में उपरोक्त पैरा 13 और 18 में उल्लिखित पक्षकारों के साथ घरेलू उद्योग और शामिल संबद्ध देशों की सरकारों को, हितबद्ध पक्षकारों के रूप में माना गया है।

च. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए विविध मुद्दे

च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

23. हितबद्ध पक्षकारों ने मौजूदा जांच के संबंध में अनेक मुद्दे उठाए हैं, जिनमें घरेलू उद्योग द्वारा अपनी जाचिका में अपनाई गई पाटन निर्धारण की क्रिया-विधि और उसको हुई क्षति के दावे शामिल हैं। जबकि पाटन और क्षति का निर्धारण करने से संबंधित मुद्दों का निदान इस निर्णय में उपयुक्त स्थलों पर किया गया है, फिर भी इस जांच से संबद्ध हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए सामान्य मुद्दों की जांच, जितनी प्रासंगिक थी, नीचे की गई है। संक्षिप्तता बनाए रखने के लिए पक्षकारों के निवेदनों और उनमें उठाए गए मुद्दों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

- (क) यह कि घरेलू उद्योग ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है तथा पाटन और क्षति के दावों से संबंधित अधिकतर महत्वपूर्ण आंकड़ों को गोपनीय रखा गया है जिससे हितबद्ध पक्षकारों को उनको सार्थक रूप से समझने और उन पर अपनी टिप्पणियां व्यक्त करने से वंचित किया गया है।
- (ख) यह कि घरेलू उद्योग द्वारा अपनी जाचिका में प्रस्तुत की गई अपूर्ण और अपर्याप्त सूचना के आधार पर यह जांच शुरू की गई है। यह तर्क दिया गया है कि आवेदन के प्रपत्र के भाग - IV में लागत संबंधी सूचना, घरेलू उद्योग के प्रत्येक अंग द्वारा पृथक रूप से प्रस्तुत करनी चाहिए।

- (ग) यह कि याचिका में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए डीजीसीआई एंड एस के कारोबार-वार के आंकड़ों से पता चलता है कि विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र में अत्यधिक ऐसे उत्पादों मात्रा को शामिल नहीं किया गया है, जिनको आयात के आंकड़ों में शामिल किया गया है। प्रयुक्त किए गए आंकड़ों में इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनें और उनके कल-पुर्जे और अन्य मदें शामिल हैं।
- (घ) यह कि याचिका में उल्लिखित पाटन के आरोप, अधिकतर अनुमानों और पूर्वधारणाओं पर आधारित हैं और उनके समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए हैं तथा पाटन और क्षति की पर्याप्त और सही सूचना के बिना जांच शुरू नहीं की जानी चाहिए।

च. 2 घरेलू उद्योग के विचार

24. घरेलू उद्योग ने अपने निवेदनों में हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों का खंडन किया है। इस संबंध में घरेलू उद्योग के निवेदनों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

- यह कि निर्यातकों ने यह दावा किया है कि अत्यधिक सूचना गोपनीय है और उनके द्वारा कोई उपयुक्त संक्षिप्त विवरण नहीं दिया गया है। जहां तक कि निर्यातकों द्वारा उत्पाद के विवरण का प्रकटन भी नहीं किया गया है।
- यह कि निर्यातकों ने ऐसी समस्त सूचना प्रकट नहीं की है, जिसे नियमवाली के अंतर्गत प्रकट करना उनका दायित्व है तथा इस संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा पद्धति का अनुसरण किया जा रहा है।
- याचिकादाताओं द्वारा कोई अत्यधिक गोपनीयता का दावा नहीं किया गया है। याचिकादाताओं ने गोपनीयता के रूप में लागत संबंधी सूचना के दावे के लिए पर्याप्त कारण बताए हैं।
- याचिकादाताओं ने ऐसे आयातों की पूरी सूची प्रदान की है जिनमें न केवल विचाराधीन उत्पाद ही शामिल है, बल्कि उसमें विचाराधीन उत्पाद के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए उत्पाद भी शामिल हैं और इसलिए याचिका में संपूर्ण सूचना निहित है। इसके अतिरिक्त याचिकादाताओं ने एक ऐसा विवरण प्रस्तुत किया है जिसमें केवल विचाराधीन उत्पाद के आयातों की मात्रा और मूल्य दर्शाया गया है, जो कि वस्तुतः निर्धारित आवश्यकता है।

च. 3 प्राधिकारी द्वारा जांच

25. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए विविध मुद्दों की जांच की गई है। जहां तक गोपनीयता के दावे के बारे में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए विविध मुद्दों का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जितना संभव हो सका है और व्यवहारिक है, सूचना प्रस्तुत करने वाले विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों के गोपनीयता के दावों की जांच की गई है और पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति के आधार पर गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया गया है। जहां तक निर्यातकों के निवेदनों का संबंध है, निर्यातकों द्वारा प्रदत्त सूचना में से उतनी सूचना को जिसे प्रदत्त करने वाले पक्षकार के व्यवसाय के लिए संवेदनशील नहीं समझा गया है, सार्वजनिक फाईल में उपलब्ध करा दिया गया है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए प्रतिवादी पक्षकारों के गोपनीयता के दावों के संबंध में सभी हितबद्ध पक्षकारों की उपरोक्त आपत्तियों का निपटान कर दिया गया है।

26. जांच शुरू करने के समय याचिकादाताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए कारोबार-वार आयात के आंकड़ों और विचाराधीन उत्पाद में शामिल नहीं की गई कुछ मदों के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरू करने के समय घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रथम दृष्टया प्रमाणों पर विश्वास किया गया था। तथापि, डीजीसीआई एंड एस से प्राप्त किए गए कारोबार-वार आयात के आंकड़ों की विस्तार से जांच की गई है और ऐसे कारोबार के केवल उन्हीं उत्पादों को इस जांच के अंतर्गत शामिल किए गए उत्पादों के रूप में सभी प्रकार का निर्धारण करने के लिए अभिज्ञात किया गया है और उनके पृथक आंकड़ों को सार्वजनिक फोल्डर में रखा गया है।

27. जहां तक याचिकादाता द्वारा अपने आवेदन में प्रस्तुत सूचना की पर्याप्तता का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरू करने से पहले प्राधिकारी द्वारा याचिकादाता द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रथम दृष्टया प्रमाणों की जांच की गई थी और प्रथम दृष्टया प्रमाणों की पर्याप्तता से संतुष्ट होने पर जांच की शुरुआत की है। तथापि, वास्तविक निर्धारण, प्रतिवादी निर्यातकों के वास्तविक आंकड़ों और प्राधिकारी के पास उपलब्ध अन्य तथ्यों पर आधारित है। इसलिए किसी भी तरीके से पक्षकारों के हितों की अनदेखी नहीं की गई है।

28. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए अन्य मुद्दों का निदान, इस निर्णय के संबंधित भागों में किया गया है उन्हें यहां दोहराया नहीं गया है। पक्षकारों ने अपने निवेदनों के बाद किए गए प्रकटन में मुख्यतया सामान्य मुद्दों पर अपने दृष्टिकोण को दोहराया है। इसलिए संक्षिप्तता बनाए रखने के प्रयोजन से उन्हें निर्णय में दोहराया नहीं गया है।

छ. पाटन मार्जिन की क्रियाविधि और उसका निर्धारण

29. चीनी टाईपाई, फिलीपाईन्स, मलेशिया और विएतनाम की मूल की अथवा वहां से निर्यातित वस्तुओं के विरुद्ध यह जांच शुरू की गई है। जैसा कि पहले नोट किया गया है अकेले चीनी टाईपाई से संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली के अपने पूरे उत्तर दिए हैं :-

- (क) मेसर्ज एशियन प्लास्टिक मशीनरी कंपनी लिमिटेड (निर्यातक), मेसर्ज चैन हसोंग मशीनरी चाईनीज टाईपाई कंपनी लिमिटेड (उत्पादक) चीनी टाईपाई।
 (ख) मेसर्ज जोन वाई मशीनरी वर्क्स कंपनी लिमिटेड (उत्पादक) (चीनी टाईपाई)।

30. फिलीपाईन्स, मलेशिया और विएतनाम के अन्य किसी भी निर्यातक/उत्पादक से प्रश्नावली का पूरा उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए पाटन की संभाव्यता और मात्रा, यदि कोई है, का निर्धारण सहयोगी निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना, याचिकादाता द्वारा अपनी याचिका में प्रस्तुत की गई सूचना तथा नियमावली के अनुसार प्राधिकारी को उपलब्ध कराए गए तथ्यों के आधार पर किया गया है, जो कि निम्नानुसार है :-

छ. 1 चीनी टाईपाई

31. विश्लेषित आयात आंकड़ों के अनुसार जांच अवधि के दौरान चीनी टाईपाई से 276 संख्या में संबद्ध मशीनों का आयात किया गया है। चीनी टाईपाई से दो उत्पादकों और निर्यातकों ने प्रश्नावली के पूरे उत्तर प्रस्तुत किए हैं और उनके द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना की जितना संभव हुआ है, जांच की गई है। तदनुसार चीनी टाईपाई से निर्यातकों/उत्पादकों के लिए निर्धारित किया गया पाटन मार्जिन निम्नानुसार है :-

(1) मेसर्ज चैन हसोंग मशीनरी चाईनीज टाईपाई कंपनी लिमिटेड (उत्पादक) और मेसर्ज एशियन प्लास्टिक मशीनरी कंपनी लिमिटेड (निर्यातक)

32. मेसर्ज चैन हसोंग मशीनरी चाईनीज टाईपाई कंपनी लिमिटेड ("चैन हसोंग") और मेसर्ज एशियन प्लास्टिक मशीनरी कंपनी लिमिटेड ("एशियन प्लास्टिक") ने चीनी टाईपाई से संबद्ध वस्तुओं के क्रमशः उत्पादक और निर्यातक के रूप में प्रश्नावली के संयुक्त उत्तर प्रस्तुत किए हैं। एशियन प्लास्टिक {***} और चैन हसोंग {***} दोनों एशियन प्लास्टिक की सहायक कंपनियां हैं और चैन हसोंग पीएमएम व्यवसाय में पृथक रूप से कार्य करती है। चैन हसोंग उत्पादन और घरेलू विक्रियों का काम करती है तथा एशियन प्लास्टिक चीन को छोड़ कर सभी निर्यात बाजारों के लिए चैन हसोंग से संबद्ध विशेष विक्री करने वाली कंपनी है। एशियन प्लास्टिक, चैन हसोंग को छोड़ कर अन्य उत्पादकों के स्रोत से पीपीएम प्राप्त नहीं करती है। इसलिए पाटन मार्जिन, यदि कोई है, की जांच करने के लिए इन दोनों कंपनियों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना की एक साथ जांच की गई है।

(क) सामान्य मूल्य

33. जांच अवधि के दौरान चैन हसोंग ने चीनी टाईपाई में विभिन्न असंबद्ध ग्राहकों को विभिन्न आकार की और क्लेम्पिंग फोर्स के {***} प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीनें (सेट) बेचे थे।

34. तथापि, घरेलू बाजार में बेचे गए लगभग {***} मॉडल/किस्म के उत्पाद में से केवल {***} मॉडल/किस्म के उत्पाद निर्यात विक्री के कारोबार के समनुरूप हैं। इसलिए इन तुलनीय मशीनों के सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ कंपनी के रिकार्ड के अनुसार विनिर्माण और विक्री लागत के साथ घरेलू विक्रियों के कारोबार की जांच की गई है। सीधी विक्री लागत में कमीशन, अंतर्देशीय भाड़े, फोरक लिफ्ट और क्रेन शुल्क, जहां कहीं भी लागू होता है, वहां ब्याज और क्रेडिट लागत का आवश्यक समायोजन किया गया है ताकि मशीनों की कार्यगत कीमतों का पूर्वाकलन किया जा सके। निर्यातित मशीनों की समानता के आधार पर मशीनों को तुलनीय स्तर पर लाने के लिए कंपनी द्वारा मुख्य मशीनों के साथ आपूर्ति किए गए अतिरिक्त उपकरणों और अतिरिक्त वैकल्पिक मदों की लागत का समायोजन किया गया है।

35. भारत को निर्यातित शेष किस्मों के उत्पादों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण, जिनके लिए घरेलू बाजार में कोई तुलनीय मशीन नहीं बेची गई थी, तुलनीय किस्म के उत्पाद की तृतीय देश की निर्यात कीमतों के आधार पर किया गया था, जिसके लिए कंपनी द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार उचित लाभ सहित उत्पादन की लागत अथवा प्रत्यक्ष विक्री व्ययों के लिए उचित समायोजन किया गया है। एशिया प्लास्टिक्स द्वारा तीसरे देशों को भी निर्यात किए गए हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि कंपनी ने जांच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद की विक्री पर {***} का औसत लाभ अर्जित किया है। इसलिए ऐसी किस्मों के उत्पाद के लिए जिनके लिए घरेलू बाजार में तुलनीय किस्म के उत्पाद की विक्री नहीं की गई थी, सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ नियमावली के अनुसार उचित लाभ मार्जिन के रूप में इस लाभ मार्जिन पर विचार किया गया है।

36. घरेलू उद्योग ने अपने निवेदनों में यह तर्क दिया है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए मेसर्ज चैन हसोंग मशीनरी चाईनीज टाईपाई कंपनी लिमिटेड के कच्चे माल की लागत और उत्पादन की लागत को स्वीकार नहीं किया जा सकता

है। यह तर्क दिया है कि यह कंपनी कुछ कच्चे माल की अधिप्राप्ति, अपनी संबद्ध कंपनी से कर रही है और इसलिए यह उचित नहीं है कि उनकी लागत, विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्रियों से संबद्ध लागत को निर्दिष्ट कर सके। इसके अतिरिक्त यह भी तर्क दिया गया है कि नियमावली में ऐसा उल्लेख नहीं है कि कंपनी द्वारा बना कर रखे गए रिकार्ड के आधार पर निर्धारित उत्पादन की लागत परम पावन है और उसे बिना सोचे समझे स्वीकार कर लिया जाए क्योंकि धारा 9 क (1) ग में मूल देश में निर्यातक के उत्पादन की लागत के बजाए उत्पादन की लागत का उल्लेख किया गया है।

37. इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन मुख्यतया पृथक उत्पादकों/निर्यातकों के कीमत का चलन है। इसलिए जांच किए जाने वाले देश के बाजार की तुलना में पृथक उत्पादकों/निर्यातकों के अपने गृह बाजार अथवा तृतीय देश के बाजार में कीमत का चलन, पाटन-रोधी जांच में जांच करने का विषय होता है। केवल ऐसी स्थिति में ही जब कि उत्पादक/निर्यातक किसी सार्थक निर्धारण के लिए अपेक्षित सूचना प्रस्तुत नहीं करते हैं, उक्त देश में उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए मूल देश में उत्पादन की लागत सहित उपलब्ध तथ्यों की विधि को अपनाया जाता है। इसलिए जब कि संबंधित उत्पादक/निर्यातक ने अपनी घरेलू बिक्रियों और अपने उत्पादन की लागत के बारे में सूचना प्रदान की है, ऐसी लागत और सूचना की तब तक अनदेखी नहीं की जा सकती है और उसे अन्य सूचना से परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, जब तक कि लागत संबंधी ऐसी सूचना को अवास्तविक नहीं पाया जाता है। चीनी टाईपाई में निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों जितना व्यावहारिक था, जांच कर ली गई है। इसलिए इस संबंध में घरेलू उद्योग का तर्क स्वीकार करने योग्य नहीं पाया गया है। तदनुसार जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इस किस्म के उत्पाद के स्तर पर कार्य गत सामान्य मूल्य का निर्धारण किया गया है। तथापि, चूंकि कंपनी द्वारा बेचे गए मॉडल व्यवसायिक रूप से संवेदनशील हैं, इसलिए ऐसे मॉडलों के ब्यौरों और उनके सामान्य मूल्य को गोपनीय रखा गया है।

38. घरेलू उद्योग ने प्रकटन के बाद के अपने अनुरोधों में यह तर्क दिया है कि किसी निर्यातक द्वारा उत्पादित और घरेलू या निर्यात बाजार में बेचे गए पी सी एन को व्यवसायिक रूप से संवेदनशील सूचना नहीं माना जा सकता है और इसलिए उसका प्रकटन होना चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस मामले में निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत की गई मॉडल/उत्पाद किस्म संबंधी सूचना में वास्तविक क्षमताओं और घरेलू बाजार तथा निर्यात बाजार में बेची गई मशीनों की विभिन्न अन्य विशेषताओं के बारे में व्यवसायिक रूप से संवेदनशील सूचना शामिल है, जिसके गोपनीय होने का दावा निर्यातक ने किया है। प्राधिकारी ने इस मामले में विशेष पीसीएन नहीं तैयार किया है। चूंकि ये सूचनाएं व्यवसायिक रूप से संवेदनशील हैं इसलिए उन्हें गोपनीय माना गया है। किसी भी तरह से तुलना समान से समान आधार पर की गई है जैसा कि जांच परिणाम में विस्तार से बताया गया है और इसलिए अन्य पक्षों के हितों से समझौता नहीं किया गया है। अतः प्राधिकारी को इस तर्क में कोई सत्यता प्रतीत नहीं होती है।

(ख) निर्यात कीमत

39. जांच अवधि के दौरान चैन हसोंग ने मै. एशिया प्लास्टिक, जो चैन हसोंग के बिक्री स्कंध के रूप में कार्य करता है, के माध्यम से भारत को {***} मशीनों का निर्यात किया है जिनका कुल मूल्य {***} संयुक्त अमरीकी डालर है, जिसमें भारत में विभिन्न किस्म के {***} अंत प्रयोक्ताओं को शामिल किया गया है। ऐसी बिक्रियां प्रदानगी और भुगतान की विभिन्न शर्तों पर की गई हैं। कुछ कारोबार के आधार पर निर्यातक ने मुख्य मशीनों के साथ अतिरिक्त/वैकल्पिक मदों की भी आपूर्ति की है। इसलिए सामान्य मूल्य के साथ समान आधार पर तुलना करने के लिए उपयुक्त समायोजन किया गया है। चूंकि चैन हसोंग और एशियन संबंधित हैं और एशियन चैन हसोंग के बिक्री स्कंध के रूप में भारत को निर्यातों के लिए प्रचालन करना है इसलिए कार्यगत कीमतों का पूर्वाकलन करने के लिए निर्यात बिक्रियों में शामिल अंतर्राष्ट्रीय भाडे, अंतर्राष्ट्रीय बीमे, सीमाशुल्क के ब्रोकरेज शुल्क और एफसीएल परिवहन प्रभारों, टर्मिनल हैंडलिंग प्रभारों, बंदरगाह सेवा शुल्क, व्यापार संवर्धन शुल्क, बैंक प्रभारों और क्रेडिट लागत जैसी एशियन द्वारा किए गए प्रत्यक्ष बिक्री व्यय को भी एशियन की बीजक कीमत से समायोजित किया गया है। एशियन के एसजीए व्यय और लाभ मार्जिन को भी उत्पादक के स्तर पर कारखाना द्वार कीमत ज्ञात करने के लिए घटाया गया है। तदनुसार जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, पृथक मॉडलों/किस्म के उत्पाद चैन हसोंग के लिए कार्यगत निर्यात कीमत का पूर्वाकलन किया गया है। तथापि, चूंकि कंपनी द्वारा बेचे गए मॉडल व्यवसायिक रूप से संवेदनशील हैं, इसलिए ऐसे मॉडलों और उनकी निर्यात कीमतों को गोपनीय रखा गया है।

(ग) पाटन मार्जिन

40. पृथक मॉडलों/किस्मों के उत्पाद के लिए कार्यगत स्तर पर इस प्रकार से निर्धारित किए गए सामान्य मूल्य की तुलना, जैसा ऊपर उल्लेख किया गया है, मॉडलों/किस्मों के उत्पाद के स्तर पर निर्धारित पृथक पाटन मार्जिन के साथ की गई है और उसके बाद समग्र उत्पाद के भारित औसत मार्जिन का निर्धारण किया गया है। इस प्रकार से निर्धारित किया गया समग्र उत्पाद का भारित औसत पाटन मार्जिन {***} संयुक्त अमरीकी डालर अर्थात् {***%} है।

(2) मेसर्स जोन वाई मशीनरी वर्क्स कंपनी लिमिटेड (चीनी टाईपाई)।

41. मेसर्स जोन वाई मशीनरी वर्क्स कंपनी लिमिटेड, चीनी टाईपाई ने चीनी टाईपाई से संबद्ध वस्तुओं के उत्पादक और निर्यातक के रूप में प्रश्नावली का उत्तर दिया है। यह कंपनी उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न आकारों/क्षमताओं

की प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीनों का उत्पादन करती है जिसके लिए विभिन्न संघटकों और मशीन के कलपुर्जों की आपूर्ति, चीनी ताईपाई के भीतर उपलब्ध स्रोतों के साथ-साथ अन्य देशों से भी की जाती है। कंपनी अपने गृह बाजारों के साथ-साथ अपने निर्यात बाजारों में भी ऐसी मशीनों को सीधे अंत प्रयोक्ताओं को बेचती है। इस उत्पादक/निर्यातक के पाटन मार्जिन का निर्धारण निम्नानुसार किया गया है :-

(क) सामान्य मूल्य

42. जांच अवधि के दौरान इस कंपनी ने घरेलू बाजार में विभिन्न प्रकार की केवल {***} मशीनों की बिक्री की है जिसका एनटीडी का कुल मूल्य {***} है। तथापि, किस्म की केवल {***} मशीने भारतीय बाजार में बेची गई थीं, जिनका मूल्य घरेलू बिक्रियों के कारोबार के समान था। घरेलू बाजार में नहीं बेचे गए किस्मों के उत्पादों के लिए तृतीय देश के निर्यात आंकड़ों का विश्लेषण करने का प्रयास, यह देखने के लिए किया गया था कि क्या तृतीय देश की निर्यात कीमतों के आधार पर शेष किस्मों के उत्पाद के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण किया जा सकता है। यह नोट किया गया था कि भारत में किस्मों/मॉडलों के बेचे गए {***} उत्पाद, तृतीय देशों के निर्यातित किस्मों/मॉडलों के समान थे। इसलिए इन मॉडलों के लिए समान पाए गए मॉडलों के सामान्य मूल्य का निर्धारण, इन बिक्रियों की कीमत के आधार पर किया गया था जिसके लिए निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तर में सत्यापित व्यौरों के अनुसार प्रत्यक्ष बिक्री व्यय के लिए विधिवत समायोजन किया गया था। कंपनी ने घरेलू बाजार में मशीनों के साथ अतिरिक्त अथवा वैकल्पिक उपकरणों/संघटकों की आपूर्ति नहीं की है। इसलिए घरेलू/तृतीय देश की बिक्रियों में ऐसा कोई समायोजन करने की आवश्यकता नहीं है।

43. ऐसी किस्मों के उत्पादों के लिए जिनकी घरेलू बिक्रियां अथवा तृतीय देशों की बिक्रियां एक समान नहीं है, सामान्य मूल्य का निर्धारण, कंपनी के रिकार्ड के अनुसार एसजीए व्यय के साथ उत्पादन की लागत और उचित लाभ के आधार पर की गई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि कंपनी ने जांच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद की बिक्री पर कोई लाभ अर्जित नहीं किया था। इसलिए ऐसी किस्मों के उत्पाद जिनके लिए घरेलू बाजार अथवा तृतीय बाजार में किसी तुलनीय किस्म के उत्पाद की बिक्री नहीं की गई थी, के सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ नियमावली के अनुसार उचित लाभ मार्जिन के रूप में {***%} लाभ मार्जिन को उचित माना गया है। तदनुसार जैसा कि ऊपर जांच की गई है, उत्पाद किस्म के स्तर पर कार्यगत सामान्य मूल्य का निर्धारण किया गया है। तथापि, चूंकि कंपनी द्वारा बेचे गए मॉडल व्यवसायिक रूप से संवेदनशील हैं, इसलिए ऐसे मॉडलों और उनकी निर्यात कीमतों को गोपनीय रखा गया है।

(ख) निर्यात कीमत

44. जांच अवधि के दौरान इस कंपनी ने भारत को {***} प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीनों जिनमें विभिन्न प्रकार की {***} मशीने शामिल हैं, का निर्यात किया है, जिनका कुल मूल्य {***} संयुक्त अमरीकी डालर है। ऐसी बिक्रियां एफओबी/सीआईएफ/सीएफआर शर्तों पर भारत में सीधे अंत प्रयोक्ताओं को की गई हैं। कुछ मामलों में बिक्री एजेंटों को कारोबार कमीशन का भुगतान किया गया है। मशीनों के साथ किसी अतिरिक्त संघटकों अथवा वैकल्पिक मदों की आपूर्ति नहीं की गई है। इसलिए इस संबंध में किसी भी प्रकार के समायोजन करने की आवश्यकता नहीं है। जहां कहीं भी लागू होता है, वहां निर्यात बिक्री कीमतों से कमीशन, अंतर्राष्ट्रीय भाडे, अंतर्राष्ट्रीय बीमे, अंतरदेशीय भाडे, सीमाशुल्क के ब्रोकरेज शुल्क, टर्मिनल हैंडलिंग प्रभारों, बंदरगाह सेवा शुल्क, व्यापार संवर्धन शुल्क, मोल-तोल पर ब्याज, बैंक प्रभारों और क्रेडिट लागत का समायोजन किया गया है, ताकि पृथक किस्म के उत्पाद के लिए कार्यगत निर्यात कीमत का पूर्वाकलन किया जा सके। तथापि, चूंकि कंपनी द्वारा बेचे गए मॉडल व्यवसायिक रूप से संवेदनशील हैं, इसलिए ऐसे मॉडलों और उनकी निर्यात कीमतों को गोपनीय रखा गया है।

(ग) पाटन मार्जिन

45. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, कार्यगत स्तर पर इस तरह से निर्धारित किए गए पृथक किस्मों के उत्पाद के सामान्य मूल्य की तुलना, समान किस्म के उत्पाद के साथ की गई है ताकि पृथक पाटन मार्जिन का पता लगाया जा सके और उसके बाद समग्र उत्पाद के लिए औसत पाटन मार्जिन का निर्धारण किया गया है। इस प्रकार से निर्धारित किया गया समग्र उत्पाद का भारत औसत पाटन मार्जिन {***} संयुक्त अमरीकी डालर अर्थात {*** %} है।

(3) चीनी ताईपाई से सभी अन्य निर्यातक

46. आयात आंकड़ों के अनुसार जांच अवधि के दौरान चीनी ताईपाई से संबद्ध वस्तुओं की कुल 276 संख्या में आयात किया गया है, जिनमें से प्रतिवादी निर्यातकों की कुल {***} मशीने हैं। इसलिए इस अवधि के दौरान चीनी ताईपाई से अन्य निर्यातकों ने अत्यधिक मात्रा में संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। इन निर्यातकों से सहयोग नहीं मिलने के कारण चीनी ताईपाई से सभी गैर-सहयोगी निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण, चीनी ताईपाई से सहयोगी निर्यातकों द्वारा प्रदान की गई सूचना को ध्यान में रख कर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है जो कि {***} संयुक्त अमरीकी डालर अर्थात {*** %} है।

ज. फिलीपाईन्स, मलेशिया और विएतनाम

47. फिलीपाईन्स, मलेशिया और विएतनाम के किसी भी निर्यातक ने किसी भी प्रश्नावली का कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। प्राधिकारी के पास उपलब्ध आयात आंकड़ों के अनुसार जांच अवधि के दौरान फिलीपाईन्स, मलेशिया और विएतनाम से अत्यधिक संख्या में संबद्ध वस्तुओं का आयात किया गया है। इसलिए इन देशों से निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण, उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है।

(क) फिलीपाईन्स, मलेशिया और विएतनाम में सामान्य मूल्य

48. फिलीपाईन्स, मलेशिया और विएतनाम में किसी भी उत्पादक अथवा निर्यातक ने इन देशों में संबद्ध वस्तुओं के सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए कोई सूचना प्रदान नहीं की है। इसलिए प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान की गई सूचना और प्राधिकारी के पास उपलब्ध अन्य तथ्यों के आधार पर नियमावली के अनुसार उपलब्ध अन्य तथ्यों के आधार पर इन देशों में सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है। निर्यातक देशों के घरेलू बाजारों में वास्तविक लागत और कीमतों अथवा तृतीय देशों को उनके निर्यातों पर कोई सूचना प्राप्त नहीं होने के कारण प्राधिकारी ने संरचित लागत के सा उचित लाभ को जोड़ने के आधार पर इन देशों में सामान्य मूल्य संरचित किया है। प्राधिकारी आगे यह भी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद में अनेक किस्मों के उत्पाद शामिल हैं, जो कि विभिन्न क्लेम्पिंग फोर्स के उत्पादों के समान हैं। इस प्रकार प्राधिकारी ने भारत में घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित तुलनीय उत्पादों की उत्पादन की लागत और उसमें जोड़े गए उचित लाभ को ध्यान में रख कर सामान्य मूल्य संरचित किया है।

49. प्राधिकारी नोट करते हैं कि विभिन्न मॉडलों/किस्मों के उत्पाद की संबद्ध लागत और कीमतें, उनकी क्लेम्पिंग फोर्स और संरूपण में भिन्नता होने के कारण भिन्न हैं। इसलिए उपरोक्त अनुसार प्रत्येक संबद्ध देश से वास्तविक रूप से आयातित किस्मों के उत्पाद के सामान्य मूल्य का निर्धारण पृथक रूप से किया गया है, ताकि घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित समतुल्य मॉडल/किस्म के उत्पाद के लिए घरेलू उद्योग की विनिर्माण लागत को ध्यान में रखते हुए उनकी उचित तुलना संबंधित उत्पादों की निर्यात कीमत के साथ की जा सके। जहां कहीं भी घरेलू उद्योग ने समान क्लेम्पिंग फोर्स के समान किस्म के उत्पाद का उत्पादन नहीं किया है, वहां निकटस्थ क्लेम्पिंग फोर्स युक्त मशीन की लागत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करके एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया गया है ताकि कीमत की तुलना क्षमता को प्रभावित करने वाली किसी भी भिन्नता की गुंजाईश की व्यवस्था उसकी तुलना की जा सके। उत्पाद में अन्य देशों में विनिर्मित अनेक संघटक और कलपुर्जे शामिल होने तथा विश्व भर में मशीन उत्पादकों द्वारा उनको प्रयुक्त करने से उनकी अनोखी किस्म की प्रकृति होने के कारण जितना संभव हो सका है, घरेलू उद्योग द्वारा आयातित ऐसे संघटकों और कलपुर्जों की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों को ध्यान में रखा गया है।

50. जांच अवधि के दौरान फिलीपाईन्स, मलेशिया और विएतनाम से संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित मॉडलों/किस्मों के उत्पादों का आयात किया गया था। इसलिए इन मॉडलों के सामान्य मूल्य का निर्धारण उपरोक्त सामान्य सिद्धांत को अपना कर किया गया है, जिसे नीचे पाटन मार्जिन के पैराग्राफों की पाटन मार्जिन तालिकाओं में दर्शाया गया है।

(ख) फिलीपाईन्स, मलेशिया और विएतनाम में निर्यात कीमत

51. जांच अवधि के दौरान डीजीसीआई एंड एस के आयात आंकड़ों की जांच के अनुसार फिलीपाईन्स, मलेशिया और विएतनाम से संबद्ध वस्तुओं के क्रमशः 73 अदद, 98 अदद और 149 अदद आयात किए गए हैं। फिलीपाईन्स, मलेशिया और विएतनाम में सभी निर्यातकों की निर्यात कीमत का निर्धारण, डीजीसीआई एंड एस से जांच अवधि के लिए कारोबार-वार आंकड़ों में प्रतिबिम्बित आयात कीमतों के आधार पर किया गया है। आयात आंकड़ों में प्रतिबिम्बित मॉडल/उत्पाद किस्म-वार औसत सीआईएफ कीमत को उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर अंतर्देशीय और समुद्री भाडों और बीमा, हैंडलिंग और अन्य बिक्री व्यय के लिए समायोजित किया गया है, ताकि कार्यगत निर्यात कीमत प्राप्त की जा सके, जैसा कि नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

(ग) फिलीपाईन्स, मलेशिया और विएतनाम में पाटन मार्जिन

52. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, फिलीपाईन्स, मलेशिया और विएतनाम में पृथक किस्म के उत्पाद का इस प्रकार से निर्धारित किए गए सामान्य मूल्य की तुलना, समान स्तर के समान किस्म के उत्पादों की कार्यगत निर्यात कीमत से की गई है, ताकि मॉडल/उत्पाद किस्म के पृथक पाटन मार्जिन का आकलन किया जा सके और उसके बाद प्रत्येक देश के लिए समग्र उत्पाद के लिए भारत औसत पाटन मार्जिन का निर्धारण किया गया है, जो कि निम्नानुसार है :-

(1) फिलीपाईन्स

53. इस प्रकार फिलीपाईन्स में सभी निर्यातकों का पाटन मार्जिन निम्नानुसार निर्धारित किया गया है :-

क्लैम्पिंग फोर्स (मी. टन)	मात्रा	निबल निर्यात कीमत अमरीकी डालर में	निबल मूल्य अमरीकी डालर में	पाटन मार्जिन अमरीकी डालर में	पाटन मार्जिन %
100	***	***	***	***	
120	***	***	***	***	
130	***	***	***	***	
140	***	***	***	***	
160	***	***	***	***	
188	***	***	***	***	
200	***	***	***	***	
230	***	***	***	***	
250	***	***	***	***	
280	***	***	***	***	
300	***	***	***	***	
400	***	***	***	***	
500	***	***	***	***	
600	***	***	***	***	
650	***	***	***	***	
कुल योग	73	***	***	***	55-65%

(2) मलेशिया

54. इस प्रकार मलेशिया में सभी निर्यातकों का पाटन मार्जिन निम्नानुसार निर्धारित किया गया है :-

क्लैम्पिंग फोर्स (मी. टन)	मात्रा	निबल निर्यात कीमत अमरीकी डालर में	निबल मूल्य अमरीकी डालर में	पाटन मार्जिन अमरीकी डालर में	पाटन मार्जिन %
60	***	***	***	***	
88	***	***	***	***	
90	***	***	***	***	
100	***	***	***	***	
120	***	***	***	***	
130	***	***	***	***	
140	***	***	***	***	
150	***	***	***	***	
158	***	***	***	***	
160	***	***	***	***	
170	***	***	***	***	
200	***	***	***	***	
280	***	***	***	***	
320	***	***	***	***	

380	***	***	***	***	
390	***	***	***	***	
458	***	***	***	***	
500	***	***	***	***	
550	***	***	***	***	
600	***	***	***	***	
680	***	***	***	***	
800	***	***	***	***	
कुल योग	98	***	***	***	75- 85%

(3) विएतनाम

55. इस प्रकार विएतनाम में सभी निर्यातकों का पाटन मार्जिन निम्नानुसार निर्धारित किया गया है :-

क्लैम्पिंग फोर्स (मी. टन)	मात्रा	निबल निर्यात कीमत अमरीकी डालर में	निबल मूल्य अमरीकी डालर में	पाटन मार्जिन अमरीकी डालर में	पाटन मार्जिन %
60	***	***	***	***	
86	***	***	***	***	
90	***	***	***	***	
120	***	***	***	***	
160	***	***	***	***	
200	***	***	***	***	
250	***	***	***	***	
280	***	***	***	***	
320	***	***	***	***	
380	***	***	***	***	
470	***	***	***	***	
530	***	***	***	***	
600	***	***	***	***	
700	***	***	***	***	
1000	***	***	***	***	
कुल योग	149	***	***	***	40-50%

पाटन मार्जिन तालिका

क्रमांक	देश	उत्पादक	निर्यातक	पाटन मार्जिन अमरीकी डालर /पीसी	पाटन मार्जिन %
1	चीनी तार्इपाई	मेसर्ज चेन हुसोंग मशीनरी चाईनीज तार्इपाई कंपनी लिमिटेड	मेसर्ज एशियन प्लास्टिक मशीनरी कंपनी लिमिटेड	***	5-15%
2	चीनी तार्इपाई	मेसर्ज मशीनरी वर्कस कंपनी लिमिटेड	मेसर्ज जोन वाई मशीनरी वर्कस कंपनी लिमिटेड	***	0-10%

3	चीनी ताईपाई	सभी अन्य	सभी अन्य	***	40-50%
4	फिलीपाईन्स	सभी उत्पादक	सभी निर्यातक	***	55-65%
5	मलेशिया	सभी उत्पादक	सभी निर्यातक	***	75-85%
6	विएतनाम	सभी उत्पादक	सभी निर्यातक	***	40-50%

56. इस प्रकार निर्धारित पाटन मार्जिन न्यूनतम से अधिक पाए गए हैं।

ज. क्षति एवं कारणात्मक संबंधों का निर्धारण

57. अनुबंध-II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम-11 में यह प्रावधान है कि किसी क्षति के निर्धारण में उन कारकों की जांच शामिल है जो घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाते हैं "... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए ..." कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है, जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती।"

58. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए आवेदन प्लास्टिक प्रसंस्करण मशीनों के उत्पादकों की ओर से प्लास्टिक मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (जिसे इसके बाद याचिकाकर्ता या पी एम एम ए आई कहा गया है) द्वारा दायर किया गया है। इसके चार सदस्य हैं- (i) मै0 तोशीबा मशीन्स; (ii) मै0 फेरोमेटिक मिलाक्रोन; (iii) मै0 विंडसर इंडिया; और (iv) मै0 इलैक्ट्रॉनिका मशीन्स, जो भारत में विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उत्पादक हैं और जो भारत में संबद्ध वस्तुओं के कुल उत्पादन बहुत बड़ा भाग रखते हैं। नियमावली के नियम 2(ख) के संदर्भ में याचिकाकर्ता को जांच के प्रयोजन से घरेलू उद्योग के रूप में माना गया है। अतः इस निर्धारण के प्रयोजन के लिए याचिकाकर्ता की लागत और क्षति संबंधी सूचना का यह निर्धारण नियम 2(ख) में परिभाषित किए गए अनुसार घरेलू उद्योग माने जाते हुए जांच की गई है।

(I) घरेलू उद्योग के क्षति संबंधी दावों के संबंध में निर्यातक, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

59. इस जांच में निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अपने संबंधित अभ्यावेदनों में क्षति एवं कारणात्मक संपर्क के संबंध में अन्य बातों के साथ :साथ यह तर्क दिया है कि-

- (क) घरेलू उद्योग द्वारा वास्तविक क्षति का आरोप सही नहीं है। निवेश, क्षमता और निवेश, मालसूची, श्रम, आयात की मात्रा में कमी आदि सहित आर्थिक स्थितियां यह दर्शाती हैं कि घरेलू उद्योग अच्छा कार्य कर रहा है। देश में घटती हुई मांग की स्थिति के बावजूद घरेलू उद्योग ने अपनी उत्पादन क्षमता 34 प्रतिशत तक बढ़ाई है।
- (ख) बिक्री में कमी, और परिणामस्वरूप उत्पादन में कमी याचिकाकर्ताओं द्वारा कहे गए अनुसार देश में उत्पाद के लिए मांग में कमी के कारण है।
- (ग) आयात आंकड़े यह दर्शाएंगे कि कुल मिलाकर कि भारत में उत्पादन अथवा उपभोग के सापेक्ष आयात में कमी आई है। इससे स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि मात्रात्मक प्रभाव नहीं है। अतः याचिकाकर्ताओं का यह दावा कि संबंधित देशों से आयात के कारण बिक्री में कमी की वजह से घरेलू उत्पादकों को क्षति हुई है, सही नहीं है।
- (घ) वर्ष 2010-11 के दौरान जब संबद्ध देशों से आयात उच्चतम स्तर पर थे, याचिकाकर्ता की लाभप्रदता अपने उच्च स्तर पर थी। वर्ष 2013-14 में जब आयात घट गए तो घरेलू उद्योग की लाभप्रदता भी घट गई। घरेलू उद्योग की लाभप्रदता घरेलू उद्योग द्वारा क्षमता की अनुचित वृद्धि के कारण प्रभावित हुई।
- (ङ) विंडसर की लेखा परीक्षा रिपोर्ट में यह उल्लेख है कि मांग में कमी आर्थिक वृद्धि में समग्र कमी, नीतियों और निर्णय करने में स्थिरता, आगामी चुनावों के संबंध में अटकलें और इसीलिए अधिकतर नए निवेश आस्थगित हो गए, देश के कुछ भागों में बिजली की कमी, ग्राहकों को अपनी विस्तार योजनाओं और नई परियोजनाओं को जबरन आस्थगित करने के कारण थी जिसके फलस्वरूप अंततः कम ऑर्डर आए और परिष्कृत मशीनों को उठाने में विलंब हुआ।
- (च) संबद्ध देशों से भारत में कुल आयात 24 प्रतिशत से कम हैं जबकि याचिकाकर्ता का 61 प्रतिशत से अधिक आकर्षक बाजार हिस्सा है। वह जांच अवधि के दौरान 7 प्रतिशत तक बढ़ा है और संबद्ध देशों से आयात का बाजार हिस्सा कम हुआ है।

- (छ) प्लास्टिक प्रसंस्करण मशीनों को शामिल किए जाने के लिए नई क्षमता के कारण उसी अवधि के दौरान क्षमता उपयोग आंशिक रूप से 10 प्रतिशत तक कम हुआ। यदि नई क्षमताओं पर विचार नहीं किया जाता तो हाल के वर्षों में क्षमता उपयोग रिकॉर्ड स्तर पर होता।
- (ज) वर्ष 2010-11 से 2013-14 की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा किया गया भारी निवेश इस आरोप को पूरी तरह नकारता है कि घरेलू उद्योग को उस अवधि के दौरान वास्तविक क्षति हुई है।
- (झ) संबंधित देशों में शुरू होने वाले पी पी एम के आयातों के संबंध में पाटनरोधी उपाय घरेलू हित में नहीं होंगे क्योंकि पाटनरोधी उपायों से :
- (i) प्रयोक्ता उद्योग के सैकड़ों हजार द्वारा उत्पादित परिष्कृत सामानों की कीमत बढ़ेगी और क्रेताओं को नुकसान होगा तथा अंततः उपभोक्ताओं को नुकसान होता।
 - (ii) बाजार में प्रतिस्पर्धा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता।
 - (iii) घरेलू उद्योग ने कथित रूप से जोखिम पर रोजगार की संख्या की अपेक्षा छोटे उद्योग में काफी संख्या में रोजगार को खतरा होता।

(II) घरेलू उद्योग के विचार

60. घरेलू उद्योग ने अन्य बातों के साथ-साथ अपने पक्ष में यह तर्क दिए हैं कि:

- i. चीन, मलेशिया, फिलिपींस, चीनी ताइपेई और वियतनाम से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के बाद भारत में विचाराधीन उत्पाद का पाटन प्रारंभ हो गया;
- ii. विचाराधीन उत्पाद के लिए मांग क्षति अवधि में कम हुई है। ऑटो क्षेत्र की वृद्धि लगभग 16 प्रतिशत तक कम हुई है जिसके कारण इस क्षेत्र में इस्तेमाल की गई मशीनें बेकार हैं। फलस्वरूप इन मशीनों का इस्तेमाल पैकेजिंग और अन्य क्षेत्रों के लिए किया जा रहा है। इस प्रकार यद्यपि, ऑटो क्षेत्र में मांग में कमी से इस क्षेत्र में मांग में कमी आई है तथापि, साथ-साथ अन्य क्षेत्रों में भी मांग में कमी आई है।
- iii. विचाराधीन उत्पाद के पाटित आयात संबद्ध देशों से भारी मात्रा में भारतीय बाजार में आ रहे हैं।
- iv. आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से काफी नीचे थी जिससे कीमत में काफी कमी आई।
- v. जबकि, उत्पादन लागत में आधार वर्ष से वृद्धि हुई है, बिक्री कीमत लागत में वृद्धि के अनुपात में नहीं बढ़ी है। देश में आयातों के कारण उत्पाद की कीमतें प्रभावित हो रही हैं। घरेलू उद्योग को उस सीमा तक कीमतें बढ़ाने से जबरन रोका जा रहा है जहां उसे लाभ में काफी कमी झेलनी पड़ रही है।
- vi. घरेलू उद्योग ने अनुमानों को ध्यान में रखते हुए बाजार में वृद्धि की प्रत्याशा में वर्ष 2011-12 और उसके बाद 2012-13 में अपनी क्षमता बढ़ाई है। तथापि, दुर्भाग्यवश उपभोक्ताओं द्वारा उत्पादित किए जा रहे उत्पादों के लिए मांग में काफी कमी आई जिसके परिणामस्वरूप विचाराधीन उत्पाद की मांग पिछले चार वर्षों में काफी कम हुई।
- vii. बिक्री में कमी और परिणामस्वरूप उत्पादन में कमी देश में उत्पाद के लिए मांग में कमी के कारण है। चूंकि उत्पाद अधिकतर ऑर्डर वाली मद के लिए किया जाता है अतः घरेलू उद्योग मुख्य रूप से पुष्ट आदेशों के लिए उत्पाद करता है। इस प्रकार बिक्री में कमी से उत्पादन पर और परिणामस्वरूप क्षमता उपयोग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
- viii. घरेलू उद्योग के निष्पादन में उत्पादन, घरेलू बिक्री, क्षमता उपयोग, लाभ, निवेश पर आय, नकद प्रवाह की दृष्टि से ह्रास हुआ है। घरेलू उद्योग ने पाटन के परिणामी प्रभाव काफी प्रतिकूल रहे हैं।
- ix. भारतीय बाजार में पाटित आयातों के निरंतर मौजूद रहने से घरेलू उद्योग को बाजार में बने रहने के लिए कोई विकल्प नहीं रह गया है बल्कि वे ईष्टतम कीमतों से कम पर सामान बेचने के लिए मजबूर हैं। घरेलू उद्योग को लागत में वृद्धि के अनुपात में अपनी कीमतें बढ़ाने से रोका गया था।
- x. घरेलू उद्योग के सामने बिक्री, उत्पादन, क्षमता उपयोग, लाभ और निवेश पर आय की दृष्टि से नकारात्मक वृद्धि की स्थिति आ रही है। यह स्पष्ट रूप से बाजार में विचाराधीन उत्पाद के पाटन के कारण है।

- xi. यद्यपि, घरेलू उद्योग को क्षति संबद्ध देशों से पाटन और देश में उत्पाद के लिए मांग में कमी, के निमित्त हुई है, तथापि पाटनरोधी शुल्क न लगाए जाने से घरेलू उद्योग को काफी गहन क्षति होगी। इस प्रकार घरेलू उद्योग का निष्पादन पाटनरोधी शुल्क न लगाए जाने की स्थिति में और अधिक खराब होगा।
- xii. संबद्ध वस्तुएं पूंजीगत वस्तुओं की मदें हैं और इसीलिए घरेलू उद्योग को भावी उद्योग दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए अपनी क्षमता विस्तार की योजना बनाने की आवश्यकता है। उस स्थिति में उद्योग का दृष्टिकोण प्लास्टिक उद्योग के लिए आशावान भावी मांग दर्शा रहा था जोकि बहुत अधिक था और इसीलिए प्रसंस्करण/माउंडिंग मशीनरी उद्योग के लिए मांग में भारी वृद्धि थी। वर्ष 2020 के लिए निर्धारित अनुमान यह दर्शाते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के लिए मांग प्रति वर्ष लगभग 15,000 मशीनों तक बढ़ेगी। इस उत्पाद के लिए वर्तमान क्षमता और संभावित मांग को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ताओं सहित कई उद्योग उत्पादकों ने क्षमता विस्तार में भारी मात्रा में निवेश किया। तथापि, उत्पाद के लिए मांग काफी मात्रा में कम हुई है और इसीलिए घरेलू उद्योग कई स्रोतों से पाटन तथा मांग में कमी दोनों तरह से इस समय क्षति झेल रहा है। इन परिस्थितियों में पाटनरोधी शुल्क न लगाए जाने से घरेलू उद्योग को गहन क्षति होगी।
- xiii. पाटन ही घरेलू उद्योग को क्षति का एकमात्र कारक नहीं है। घरेलू उद्योग को विभिन्न स्रोतों से पाटन तथा मांग में कमी, दोनों से क्षति हो रही है। साथ ही, जबकि यह माना जाता है कि मांग में कमी उत्पादन और बिक्री में कमी के लिए आंशिक रूप से जिम्मेदार रही है, विदेशी उत्पादकों द्वारा पाटन के कारण संबद्ध आयातों की मौजूदगी से घरेलू उद्योग को क्षति में वृद्धि हुई है।
- xiv. उद्योग को पहले चीनी पाटन से नुकसान हो रहा था। जब कुछ चीनी कंपनियां वियतनाम चली गईं और पाटन जारी रखा तो दूसरे देशों के उत्पादक देश में उत्पाद के पाटन में उन चीनी कंपनियों के साथ हो गए। घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा चीनी आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने से स्वाभाविक रूप से सुधर जाना चाहिए था। स्रोत परिवर्तन से निरंतर पाटन लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के उपचारात्मक प्रभावों से काफी कम हो गया।
- xv. आयातों का बाजार हिस्सा घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने में महत्वपूर्ण रहा।
- xvi. पाटनरोधी शुल्क अनुचित कीमत वाले पाटित आयातों पर लगाया जाता है और पाटनरोधी शुल्क का महत्व तथा उद्देश्य समान स्तर बनाए रखना तथा पाटन रोकना है और एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की अनुमति देना है। विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उद्योग को पाटित आयातों की मौजूदगी के कारण वास्तविक क्षति हो रही है। इस प्रकार, कानूनी तौर पर यह सिद्ध करना आवश्यक नहीं है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से उपभोक्ताओं पर महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- xvii. पाटनरोधी शुल्क लगाने से निचले स्तर के उद्योग पर काफी प्रभाव पड़ेगा जिसे इस तथ्य से भी देखा जाएगा कि चीनी मशीनों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बावजूद ऐसा कोई प्रतिकूल प्रभाव देखने में नहीं आया है।

61. घरेलू उद्योग ने नियत शुल्कों के रूप में पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

(III) प्राधिकारी द्वारा मुद्दों की जांच:

62. प्राधिकारी घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों तथा उसमें उठाए गए विभिन्न मुद्दों को नोट करते हैं और उनका समाधान नीचे संगत पैराग्राफों में करते हैं।

झ. क्षति एवं कारणात्मक संपर्क की जांच

63. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में (क) पाटित आयातों की मात्रा और घरेलू बाजार में समान वस्तुओं की कीमत पर पाटित आयातों के प्रभाव, एवं (ख) ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव, दोनों की तथ्यपरक जांच का प्रावधान है। जहां तक पाटित आयातों के मात्रात्मक प्रभाव का संबंध है, प्राधिकारी के लिए यह जांच करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप में या भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में पर्याप्त वृद्धि हुई है। जहां तक कि पाटित आयातों के कीमत प्रभाव का संबंध है, प्राधिकारी के लिए यह जांच करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पादक की कीमत की तुलना में कीमत में पर्याप्त कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे उत्पादों के प्रभाव से कीमत में काफी अधिक मात्रा में अन्यथा गिरावट आई है अथवा होने वाली इस वृद्धि में रुकावट आई है जो अन्यथा काफी अधिक स्तर तक बढ़ गई होती।

झ.1. क्षति का समग्र मूल्यांकन

64. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध- II (iii) में यह प्रावधान है कि यदि एक से अधिक देश से किसी उत्पाद के हुए आयात के साथ-साथ पाटनरोधी जांच की जा रही है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी उस स्थिति में ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी निर्धारण करेंगे जब वह यह निर्धारित करें कि:-

- (क) प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में पुष्टिकृत पाटन मार्जिन निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में व्यक्त दो प्रतिशत से अधिक है और प्रत्येक देश से हुए आयात की मात्रा समान वस्तु के आयात की मात्रा की 3 प्रतिशत से कम है वहां संचयी रूप से आयात समान वस्तु के आयात का प्रतिशत से 7 अधिक बनता है: तथा
- (ख) आयातित वस्तु एवं समान घरेलू वस्तुओं के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों के मद्देनजर आयातों के प्रभाव का संचयी निर्धारण उचित है।

65. वर्तमान मामले में प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन का भारित औसत मार्जिन निर्धारित न्यूनतम सीमाओं से अधिक पाया गया है और प्रत्येक संबद्ध देश से पाटित आयात की मात्रा निर्धारित सीमाओं से अधिक है।

66. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु व्यापक क्षेत्र की पूंजीगत वस्तु है और घरेलू उद्योग तथा विदेशी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अलग-अलग स्वरूपों तथा विशिष्टियों में समान क्षेत्रों में आपूर्ति करते हैं। तुलनीय रेंज में संबद्ध देशों से आयातित वस्तुओं की कीमतें संकीर्ण कीमत रेंज में होती हैं जो यह दर्शाती है कि पाटित वस्तु परस्पर उनके बीच में ही और घरेलू वस्तुओं के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। अतः प्राधिकारी यह मानते हैं कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों के प्रभावों पर संचयी रूप से मूल्यांकन करना उपयुक्त है।

3.2 पाटित आयातों के वास्तविक और संभावित प्रभाव की जांच

67. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-11 के संगत भाग में यह प्रावधान है कि संबंधित घरेलू उद्योग में पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में सभी संगत आर्थिक कारकों और उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाली सूचियों का मूल्यांकन शामिल होगा जिसमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट सहित घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों; घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभावों का तथ्यपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा।

68. उपर्युक्त नियमों के अनुसार ऊपर दर्शाए गए अनुसार घरेलू उद्योग को प्रभावित करने वाले सभी आर्थिक मानदंडों की निम्नलिखित रूप में जांच की गई है:-

(क) पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव :

(i) संबद्ध देशों की आयात मात्रा और हिस्सा:

69. विभिन्न स्रोतों से आयात की मात्रा और कीमतों की जांच के लिए प्राधिकारी ने डी जी सी आई एंड एस से लेनदेनवार आंकड़ों पर विश्वास किया है और व्यक्तिगत लेनदेनों का विचाराधीन उत्पाद की पहचान करने के लिए उत्पाद विवरण के आधार पर जांच की है। विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में न आने वाली मशीनों को लेन-देनवार आंकड़ों में दिए गए उत्पाद विवरण के अनुसार रखा गया है। जांच कि गए लेन-देनवार आंकड़े सेनडिस्क के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित सरकार की अपील के रहते हुए सार्वजनिक फोल्डर में रख दिया गया है। क्षति की जांच अवधि के दौरान आयात की मात्रा इस विश्लेषण के अनुसार निम्नलिखित है :-

विवरण	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (पी ओ आई)	% हिस्सा
संबद्ध देशों का आयात						
चीनी ताइपेई	अदद	706	716	406	276	32%
मलेशिया	अदद	102	87	109	106	12%
फिलीपिंस	अदद	73	151	41	74	9%
वियतनाम	अदद	0	77	228	155	18%
संबद्ध देश समग्र रूप में	अदद	881	1,031	784	611	71%
प्रवृत्ति	अदद	100	117	89	69	
चीन (पहले ही लागू ए डी डी)	अदद	98	36	46	29	3%
प्रवृत्ति	अदद	100	37	47	30	
अन्य देश	अदद	571	415	243	219	25%
प्रवृत्ति	अदद	100	73	43	38	
कुल आयात	अदद	1,550	1,482	1,073	859	100%
प्रवृत्ति		100	96	69	55	

70. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों तथा सभी देशों से संबद्ध वस्तुओं का कुल आयात क्षति जांच अवधि के दौरान काफी कम हुआ है। संबद्ध देशों का आयात जांच अवधि के दौरान कुल आयात का लगभग 71 प्रतिशत है जो आधार वर्ष में लगभग 51 प्रतिशत से अधिक है। तथापि, आयात में कमी की जांच मांग और बाजार हिस्से के संदर्भ में किए जाने की आवश्यकता है।

(II) मांग और बाजार हिस्सा

71. घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग और संबद्ध देशों के मांग और बाजार हिस्से का मूल्यांकन घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री तथा आयातों को ध्यान में रखकर किया गया है जो निम्नलिखित है :-

मांग	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (पी ओ आई)
घरेलू उद्योग की बिक्री	अदद	2,025	1,959	1,773	1,662
प्रवृत्ति		100	97	88	82
अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री	अदद	203	196	177	166
प्रवृत्ति		100	97	88	82
संबद्ध देशों से आयात					
चीनी ताइपेई	अदद	706	716	406	276
मलेशिया	अदद	102	87	109	106
फिलीपींस	अदद	73	151	41	74
वियतनाम	अदद	-	77	228	155
संबद्ध देश समग्र रूप में	अदद	881	1,031	784	611
प्रवृत्ति		100	117	89	69
चीन से आयात	अदद	98	36	46	29
प्रवृत्ति		100	37	47	30
अन्य देश	अदद	571	415	243	219
प्रवृत्ति		100	73	43	38
कुल मांग	अदद	3,778	3,637	3,023	2,687
प्रवृत्ति		100	96	80	71

72. उपर्युक्त आंकड़े यह दर्शाते हैं कि क्षति जांच अवधि के दौरान घरेलू बाजार में संबद्ध सामानों की मांग आधार वर्ष की तुलना में लगभग 29 प्रतिशत तक कम हुई है। घरेलू उद्योग की बिक्री उसी अवधि में लगभग 18 प्रतिशत तक कम हुई है। संबद्ध देशों से आयात भी उसी अवधि में लगभग 31 प्रतिशत तक कम हुई है।

73. जहां तक मांग परिदृश्य का संबंध है, घरेलू उद्योग ने यह बात रखी है कि संबद्ध सामानों की मांग सामान्य आर्थिक गिरावट तथा विशेष रूप से ऑटो घटक उद्योग क्षेत्र, जोकि पिछले कुछ वर्षों के दौरान इन मशीनों का सबसे बड़ा प्रयोक्ता है, में मांग की कमी के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है। यह बात रखी गई है कि यह एक वैश्विक परिदृश्य होने के नाते प्लास्टिक प्रसंस्करण मशीन उद्योग सब जगह दबाव में है और इसीलिए इन देशों में मौजूदा क्षमताओं का इस्तेमाल करने के लिए कई स्रोतों से पाटन प्रारंभ हुआ है। भारत में मांग का एक महत्वपूर्ण भाग संबद्ध देशों सहित अनेक स्रोतों से पाटित आयातों द्वारा अधिकृत किया गया है।

74. क्षति जांच अवधि के दौरान घरेलू बाजार में विभिन्न व्यापारियों के हिस्से की प्रवृत्ति की निम्नलिखित रूप में जांच की गई है :-

बाजार हिस्सा	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (पी ओ आई)
घरेलू उद्योग की बिक्री	%	54%	54%	59%	62%
अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री	%	5%	5%	6%	6%
संबद्ध देशों से आयात					
चीनी ताइपेई	%	19%	20%	13%	10%
मलेशिया	%	3%	2%	4%	4%
फिलीपींस	%	2%	4%	1%	3%
वियतनाम	%	-	2%	8%	6%
संबद्ध देश समग्र रूप में	%	23%	28%	26%	23%
चीन से आयात	%	3%	1%	2%	1%
अन्य देश	%	15%	11%	8%	8%
कुल मांग/खपत	%	100%	100%	100%	100%

75. उपर्युक्त आंकड़े यह दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान लगभग 8 प्रतिशत तक बढ़ा है। यद्यपि, कुल मिलाकर बिक्री काफी घटी है। कुल घरेलू मांग में संबद्ध देशों का हिस्सा 2011-12 और 2012-13 में वृद्धि के बाद जांच अवधि में आधार वर्ष के उसी स्तर पर रही है। यद्यपि, घरेलू उद्योग की बिक्री बाजार हिस्से में पर्याप्त गिरावट होने पर काफी वृद्धि दर्शाती है। अतः प्राधिकारी नोट करते हैं कि घटती हुई मांग के परिदृश्य की अवधि में विभिन्न व्यापारियों के बाजार हिस्से में आयात के प्रभाव को स्पष्ट रूप से नहीं दर्शाते हैं।

(ख) घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत संबंधी प्रभाव

76. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी को यह विचार करने की अपेक्षा है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में काफी कमी आई है, अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव काफी मात्रा में कीमतें घटाने के लिए अन्यथा है अथवा कीमतों में वृद्धि को वे रोकते हैं जोकि अन्यथा पर्याप्त मात्रा तक बढ़ गई होती। तदनुसार, संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के निमित्त घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की जांच कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमत कम होने और कीमत घटने के संदर्भ में की गई है।

77. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुएं अलग-अलग क्षमताओं और स्वरूपों वाली पूंजीगत वस्तुएं हैं। अतः कीमत कटौती तथा कम कीमत पर बिक्री के विश्लेषण के उद्देश्य से प्रत्येक मॉडल/ उत्पाद के लिए घरेलू उद्योग के उत्पादन लागत, निवल बिक्री प्राप्ति (एन एस आर) तथा क्षति रहित कीमतों (एन आई पी) की तुलना प्रत्येक देश से उत्पाद स्तर पर उनके समेकन से पहले संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तुओं के तदनुसारी मॉडलों/उत्पाद किस्मों के पाटित आयातों के पहुंच मूल्य से की गई है।

78. घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित एवं आपूर्ति किए गए प्रत्येक मॉडल/उत्पाद किस्मों की क्षति रहित कीमतों का निर्धारण नियमावली के अनुबंध-3 में उल्लिखित सिद्धांतों के अनुसार जांच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के लिए उत्पादन लागत को उपयुक्त रूप से ध्यान में रखकर प्राधिकारी की विद्यमान परिपाटी के अनुसार किया गया है।

(i) पाटित आयातों से कीमतों में कमी आने का प्रभाव

79. कीमतों में कमी का निर्धारण घरेलू उद्योग द्वारा तदनुसारी बेचे गए मॉडलों की निवल बिक्री प्राप्ति के साथ संपूर्ण जांच अवधि में संबद्ध देशों से पाटित आयातों के पहुंच मूल्य अलग-अलग मॉडलों/उत्पाद किस्मों के साथ तुलना करके किया गया है और उसके बाद प्रत्येक संबद्ध देश के लिए समग्र रूप से उत्पाद के भारित औसत कीमत कटौती का निर्धारण यह देखने के लिए किया गया है कि क्या आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतें काफी मात्रा में कम हो रही है। इस प्रयोजन के लिए आयातों का पहुंच मूल्य 1 प्रतिशत सार संभाल प्रभार जोड़कर तथा डी जी सी आई एंड एस के आयात आंकड़ों में सूचित मूल्य के लागू सीमाशुल्क को लगाकर परिकलित किया गया है।

घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति निर्धारित करने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा पेश किया गया कोई छूट, रिबेट, कमीशन आदि तथा दिया गया केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कुल बिक्री प्राप्ति से घटा दिया गया है।

80. उत्पाद स्तर पर प्रत्येक संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं की कीमतों में कमी निम्नलिखित रूप में निकलती है

	चीनी ताइपेई	मलेशिया	फिलीपींस	वियतनाम समा . गण	समग्र
भारित औसत कीमत कटौती (रू.)	***	***	***	***	***
कीमत कटौती (%)	0-10%	65-75%	40-50%	30-40%	15-25%

81. उपर्युक्त आंकड़े यह दर्शाते हैं कि भारित औसत स्तर पर प्रत्येक संबद्ध देश से पाटित आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में काफी कमी आ रही है।

(ii) पाटित आयातों से कम कीमत पर बिक्री प्रभाव

82. पाटित आयातों से कम कीमत पर बिक्री के प्रभावों की जांच करने के लिए सबसे पहले तुलनीय मॉडलों/उत्पाद किस्मों के आयातों के पहुंच मूल्य की तुलना तदनुसारी उत्पाद किस्मों के लिए निर्धारित क्षति रहित कीमतों से की गई है और उसके बाद कम कीमत पर बिक्री मार्जिन का भारित औसत प्रत्येक संबद्ध देश के उत्पाद स्तर पर निकाला गया है। तैयार किया गया भारित औसत कम बिक्री मार्जिन निम्नलिखित है :-

	चीनी ताइपेई	मलेशिया	फिलीपींस	वियतनाम समा . गण	कुल
कम बिक्री मार्जिन (रू.)	(***)	***	***	***	***
कम बिक्री मार्जिन (%)	(0-10)%	40-50%	25-35%	20-30%	10-20%

83. उपर्युक्त आंकड़े यह दर्शाते हैं कि भारित औसत स्तर पर मलेशिया, फिलीपींस और वियतनाम से पाटित आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमतों से काफी कम है। परंतु, चीनी ताइपेई के मामले में भारित औसत स्तर पर कम बिक्री मार्जिन नकारात्मक पाया गया है। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीनी ताइपेई से निर्यातकों ने अपनी प्रश्नावली के उत्तर में प्रस्तुत किया है और इन निर्यातकों के कम बिक्री मार्जिन का भी निर्धारण किया गया है और इस निष्कर्ष में संगत खंड में उन्हें रिकॉर्ड किए गए अनुसार उन पर विश्वास किया गया है।

(iii) पाटित आयातों से कीमत न्यूनीकरण, कमी का प्रभाव

84. यह जांच करने के लिए कि क्या घरेलू कीमतें संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मौजूदगी के कारण कम हो रही हैं, घरेलू उद्योग के भारित औसत बिक्री प्राप्ति की तुलना भारित औसत स्तर पर पाटित आयातों के पहुंच मूल्य और बिक्री लागत से की गई है।

विवरण	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
बिक्री की भारित औसत लागत	रू./अदद	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूची	100	115	121	127
घरेलू उद्योग की भारित औसत निवल बिक्री प्राप्ति	रू./अदद	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूची	100	106	108	114
भारित औसत पहुंच मूल्य					
चीनी ताइपेई	रू./अदद	32,90,886	25,89,317	34,64,495	42,33,910
प्रवृत्ति	सूची	100	79	105	129
मलेशिया	रू./अदद	21,23,614	19,74,631	23,29,541	18,31,239
प्रवृत्ति	सूची	100	93	110	86

फिलीपींस	रू./अदद	16,97,109	15,93,097	13,02,944	24,11,463
प्रवृत्ति	सूची	100	94	77	142
वियतनाम समा. गण.	रू./अदद	-	20,27,780	23,63,552	30,88,308
प्रवृत्ति	सूची	-	100	117	152

85. उपर्युक्त आंकड़े यह दर्शाते हैं कि यद्यपि बिक्री की भारित औसत लागत क्षति जांच अवधि में पर्याप्त रूप से बढ़ी है। तथापि, भारित औसत बिक्री कीमत उसी दर पर नहीं बढ़ी है जो कीमत न्यूनीकरण दर्शाता है। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुओं की लागत और कीमतें क्षमता और अन्य स्वरूपों पर पर्याप्त रूप से अलग-अलग निर्भर करती हैं और इसीलिए भारित औसत आधार पर आधारित तुलना से पाटित आयातों के कीमत न्यूनीकरण अथवा कम होने के प्रभावों की स्पष्ट एवं सार्थक समझ नहीं बन सकती।

(ग) अन्य क्षति कारकों की जांच

(i) क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग तथा बिक्री पर वास्तविक एवं संभावित प्रभाव

86. निम्नलिखित तालिका क्षति जांच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के लिए घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री दर्शाती है :

विवरण	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (पी ओ आई)
क्षमता	अदद	3,650	4,200	4,600	4,600
प्रवृत्ति		100	115	126	126
उत्पादन	अदद	2,260	2,229	2,053	2,069
प्रवृत्ति		100	99	91	92
क्षमता उपयोग	%	62%	53%	45%	45%
प्रवृत्ति		100	86	72	73
घरेलू बिक्री	अदद	2,025	1,959	1,773	1,662
प्रवृत्ति		100	97	88	82

87. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने वर्ष 2011-12 और 2012-13 में अपनी क्षमताओं में वृद्धि की है। यद्यपि, क्षमता आधार वर्ष की तुलना में 26 प्रतिशत तक बढ़ी है, तथापि, उत्पादन लगभग 8 प्रतिशत तक कम हुआ है और घरेलू बिक्री लगभग 18 प्रतिशत तक कम हुई है। हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में कमी पूर्णतः मांग में कमी के कारण हुई है न कि कथित पाटित आयातों के कारण।

88. घरेलू उद्योग ने यह बात रखी है कि वर्ष 2004-05 और 2010-11 के बीच प्लास्टिक प्रसंस्करण मशीनों की मांग काफी थी और इस अवधि में अच्छी वृद्धि दर्शायी। वर्ष 2012 की प्लास्ट इंडिया रिपोर्ट में दिए गए विभिन्न प्रयोक्ता उद्योगों के दृष्टिकोण के आधार पर मांग अनुमानों के अनुसार वर्ष 2020 तक प्रति वर्ष प्लास्टिक प्रसंस्करण मशीनों की मांग लगभग 1,50,000 मशीनों तक पहुंचने की आशा थी। उद्योग में हो रही वृद्धि और देश में उत्पाद की संभावित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए भारत में प्लास्टिक प्रसंस्करण मशीनों के प्रमुख उत्पादकों ने पर्याप्त नए निवेशों के साथ अपनी क्षमताओं का विस्तार किया। तथापि, दुर्भाग्यवश सामान्य आर्थिक गिरावट के कारण इन मशीनों के प्रयोक्ताओं द्वारा उत्पादित किए जा रहे उत्पादों की मांग विशेषकर ऑटो-घटक की मांग में काफी कमी आई। फलस्वरूप विचाराधीन उत्पाद के लिए यह मांग पिछले 4 वर्षों में पर्याप्त रूप से कम हो गई। साथ ही पाटित आयात काफी पाटित कीमतों पर काफी मात्रा में भारतीय बाजार में आ रहे हैं। फलस्वरूप घरेलू उद्योग का उत्पादन और घरेलू बिक्री प्रभावित हुई।

(ii) नियोजित पूंजी पर लाभ/हानि, नकद प्रवाह, आय संबंधी वास्तविक एवं संभावित प्रभाव

89. लाभप्रदता मानदंडों के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन निम्नलिखित है :

विवरण	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
लाभ/हानि	लाख रूपए	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूची	100	45	20	18
कर एवं ब्याज पूर्व लाभ/हानि	लाख रूपए	***	***	***	***

प्रवृत्ति	सूची	100	53	25	22
नकद लाभ	लाख रूपए	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूची	100	52	30	28
नियोजित पूंजी	लाख रूपए	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूची	100	129	167	196
नियोजित पूंजी पर आय	%	60-70%	25-35%	5-15%	0-10%
प्रवृत्ति	सूची	100	41	15	11

90. उपर्युक्त आंकड़े यह दर्शाते हैं कि यद्यपि, पूरी क्षति जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के घरेलू प्रचालन लाभदायक रहे हैं परंतु कंपनी का निवल लाभ और नियोजित पूंजी पर आय 2012-13 से काफी कम हुए हैं। क्षति अवाध के दौरान नकद लाभ भी काफी कम हुआ है।

(iii) रोजगार एवं मजदूरी पर वास्तविक एवं संभावित प्रभाव

91. नीचे दिए गए रोजगार एवं मजदूरी संबंधी आंकड़े रोजगार एवं मजदूरी में वृद्धि दर्शाते हैं, यद्यपि, उत्पादकता कमोवेश समान रही है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग व्यापक श्रृंखला की क्षमताओं की प्लास्टिक प्रसंस्करण मशीनों का उत्पादन करता है और उनमें से कुछ को इस जांच में शामिल नहीं किया गया है। उद्योग में इस अवधि के दौरान अन्य शामिल क्षमताएं भी हैं। अतः रोजगार एवं मजदूरी संबंधी सूचना में विचाराधीन उत्पाद के संबंध में उद्योग की स्थिति में बहुत स्पष्ट नहीं दी गई है।

विवरण	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
रोजगार	अदद	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूची	100	107	108	109
मजदूरी	लाख रूपए	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूची	100	131	145	166
उत्पादकता	अदद/दिन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूची	100	99	91	92

92. उपर्युक्त आंकड़े यह दर्शाते हैं कि यद्यपि, रोजगार आधार वर्ष में लगभग 9 प्रतिशत तक बढ़ा है। तथापि, उसी वर्ष में मजदूरी लगभग 66 प्रतिशत तक बढ़ी है। मजदूरी में वृद्धि पर्याप्त है। अतः रोजगार एवं मजदूरी पर क्षति के पर्याप्त कारकों के रूप में विचार नहीं किया गया है। तथापि, रोजगार एवं मजदूरी में वृद्धि की संभावना को उद्योग की लाभप्रदता के संदर्भ में देखे जाने की आवश्यकता है जिसमें पर्याप्त कमी आई है। उत्पादकता पूर्व में नोट किए गए अनुसार उत्पादन में कमी के कारण पर्याप्त रूप से कम हुई है।

(iv) मालसूची पर वास्तविक एवं संभावित प्रभाव

93. घरेलू उद्योग की मालसूची पर पर्याप्त प्रभाव नहीं पड़ा है और वह स्थिर रही है जैसा कि निम्नलिखित तालिका से देखा जा सकता है। तथापि, इसे इस अवधि के दौरान हुई घरेलू बिक्री में कमी की दृष्टि से निर्यात में वृद्धि और उत्पादन में कमी के संदर्भ में देखे जाने की आवश्यकता है।

विवरण	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
मालसूची	अदद	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूची	100	200	120	100

(v) नए निवेश जुटाने के लिए योग्यता पर वास्तविक एवं संभावित प्रभाव

94. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू बाजार तथा निर्यात बाजार में उत्पाद के लिए मांग में अच्छी वृद्धि को ध्यान में रखते हुए क्षति जांच अवधि के दौरान विस्तार के लिए घरेलू बाजार में नए पूंजी निवेश किए हैं। निर्यात बाजार में घरेलू उद्योग की बिक्री जांच अवधि के दौरान एक अच्छी वृद्धि दर्शाती है जबकि घरेलू बाजार में बिक्री काफी कम हुई है। अतः जांच अवधि से पहले की अवधि में नए निवेश करने के लिए घरेलू उद्योग की योग्यता पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि जांच अवधि के पहले दो वर्षों में लाभप्रदता अच्छी थी। तथापि, अंतिम दो वर्षों में लाभप्रदता में काफी कमी से इस क्षेत्र में नए निवेशों पर पर्याप्त रूप से प्रभाव पड़ने की संभावना है।

(vi) वृद्धि पर वास्तविक एवं संभावित प्रभाव

95. घरेलू उद्योग के निष्पादन का समग्र विश्लेषण यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग के सामने बिक्री, उत्पादन, क्षमता उपयोग, लाभ और निवेश पर आय के संदर्भ में नकारात्मक वृद्धि की समस्या आई है। यद्यपि, रोजगार, मजदूरी, निवेश और मालसूची में जांच अवधि के दौरान कोई कमी नहीं आई है। तथापि, इन मानदंडों पर पाटित आयातों का संभावित प्रभाव काफी अधिक हो सकता था क्योंकि लाभप्रदता काफी कम हुई और मांग कम रही।

(vii) पाटन एवं पाटन मार्जिन की मात्रा

96. पिछले खंड में संबद्ध देशों के लिए निर्धारित पाटित आयातों के पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से काफी ऊपर हैं।

(viii) कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

97. संबद्ध देशों से पाटित आयातों की कीमतों और पाटित आयातों की मात्रा में प्रवृत्ति की जांच तथा घरेलू कीमतें यह दर्शाती हैं कि घरेलू बाजार में मांग में कमी तथा उनकी मात्रा और कीमतों के प्रभाव के माध्यम से संबद्ध देशों से काफी पाटित आयातों की मौजूदगी में कमी से घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव पड़ा है।

(घ) क्षति मार्जिन

98. घरेलू उद्योग के लिए संबद्ध वस्तुओं की क्षति रहित कीमतों का निर्धारण मॉडल/उत्पाद किस्म के स्तर पर क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए आयातों के संबंधित पहुंच मूल्यों के साथ अच्छी तुलना के लिए पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-3 में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार अलग-अलग मॉडलों और उत्पाद किस्मों के लिए किया गया है और उसके बाद संबद्ध देशों से विभिन्न स्रोतों से समग्र रूप में उत्पाद के क्षति मार्जिन का निर्धारण निम्नलिखित रूप में किया गया है।

	क्षति मार्जिन अम.डॉ./पीसी	क्षति मार्जिन %
चीनी ताइपेई		
मै0 चेनशॉग मशीनरी चीनी ताइपेई कं. लि. (उत्पादक) और मै0 एशियर प्लास्टिक मशीनरी कं. लि. (निर्यातक)	***	0-10%
मै0 जोन वाई मशीनरी वर्क्स कं. लि. (चीनी ताइपेई)	(***)	(20-30)%
सभी अन्य	***	25-35%
मलेशिया	***	40-50%
फिलीपींस	***	25-35%
वियतनाम समा. गण.	***	20-30%

99. उपर्युक्त आंकड़े यह दर्शाते हैं कि मलेशिया, फिलीपींस और वियतनाम से पाटित आयातों के क्षति मार्जिन का भारत औसत सकारात्मक और पर्याप्त है। जहां तक चीनी ताइपेई का संबंध है, मै0 जोन वाई मशीनरी वर्क्स कं. लि0, चीनी ताइपेई का भारत औसत क्षति मार्जिन नकारात्मक पाया गया और उस देश से अन्य निर्यातकों का भारत औसत क्षति मार्जिन सकारात्मक पाया गया है। घरेलू उद्योग ने अपने प्रकटन पश्चात विवरण में एन आई पी के निर्धारण के संबंध में कतिपय मुद्दे उठाए हैं। उन मुद्दों की जांच की गई है और प्राधिकारी नोट करते हैं कि एन आई पी का निर्धारण नियमावली के अनुबंध-III में उल्लिखित सिद्धांतों और विद्यमान परिपाटी के अनुसार किया गया है।

(ड.) कारणात्मक संपर्क एवं अन्य कारक

100. नियमों के अनुसार प्राधिकारी के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि वह पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति और पाटित आयातों के बीच कारणात्मक संपर्कों की जांच करे। प्राधिकारी ने जांच की है कि क्या अन्य ज्ञात कारकों से घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती थी। प्राधिकारी के ध्यान में लाए गए निम्नलिखित मुद्दों की अनिवार्य गैर-जिम्मेदार कारकों के साथ प्राधिकारी के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार पाटित आयातों को छोड़कर अन्य कारकों, यदि कोई हों, की जांच की गई है कि घरेलू उद्योग को क्षति में उनका क्या योगदान है। तदनुसार, निम्नलिखित मानदंडों की जांच की गई है।

(i) अन्य स्रोतों से आयातों की मात्रा तथा कीमतें

101. जांच किए गए आयात आंकड़े यह दर्शाते हैं कि संबद्ध वस्तुएं उन अन्य देशों से आयातित की जा रही हैं जो जांच के अधीन नहीं हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क इस समय चीन जनवादी गणराज्य से मजबूरी में आयातित 1000 मी. टन तक के संबद्ध सामानों के आयात के विरुद्ध लागू हैं। चीन जनवादी गणराज्य से आयात की मात्रा और आयातों में उसका हिस्सा पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद काफी कम हुआ है। संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा जांच अवधि के दौरान कुल आयातों का 71 प्रतिशत है। अन्य

देशों से आयात, जिन पर पाटन का आरोप नहीं है, अधिक कीमतों पर हैं। अतः अन्य स्रोतों से आयातों से घरेलू उद्योग पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

(ii) मांग में संकुचन और/उपभोग पद्धति में परिवर्तन

102. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आधार वर्ष से घरेलू बाजार में उत्पादों की मांग में काफी कमी आई है और हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग का निष्पादन मांग में कमी के कारण प्रभावित हुआ है न कि कथित पाटित आयातों के कारण। तथापि, घरेलू उद्योग ने यह बात रखी है कि संबद्ध वस्तुएं प्रमुखतः इलैक्ट्रिकल पैकेजिंग, मेडिकल, घरेलू उपकरणों और ऑटो क्षेत्र में इस्तेमाल की जाती हैं। ऑटो क्षेत्र की वृद्धि इस अवधि के दौरान लगभग 16 प्रतिशत तक कम हुई है जिसके कारण इस क्षेत्र में इस्तेमाल मशीनें या तो बेकार पड़ी हैं या पैकेजिंग और अन्य क्षेत्रों के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। इस प्रकार ऑटो क्षेत्र में मांग में कमी से इस क्षेत्र में कम मांग हुई है, साथ ही इससे अन्य क्षेत्रों में भी मांग में कमी आई है। अतः इस अवधि के दौरान इंजेक्शन मशीनों की समग्र मांग में कमी आई है।

103. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तुओं की मांग जांच अवधि के दौरान लगभग 29 प्रतिशत तक कम हुई है। यह कमी सामान्य रूप में आर्थिक मंदी के कारण और विशेष रूप से ऑटो क्षेत्र में कमी के कारण हुई है। ऑटो घटक क्षेत्र इन पूंजीगत वस्तुओं का एक प्रमुख उपभोक्ता है। मांग में इस कमी से घरेलू उद्योग की बिक्री पर काफी प्रभाव पड़ा है तथापि, संबद्ध देशों और अन्य देशों से पाटित आयात घटते हुए बाजार में भारत में मांग के लगभग 24 प्रतिशत है और इससे घरेलू उद्योग की मात्रा तथा कीमत प्रभाव की स्थिति बड़ी है।

(iii) व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां और विदेशी तथा घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा

104. प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत में संबद्ध वस्तुओं के कई उत्पादक हैं। किसी भी घरेलू उत्पादक ने अपनाई गई व्यापार व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियों अथवा अनुचित प्रतिस्पर्धा के संबंध में किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा कोई तर्क नहीं दिया गया है। जांच अवधि के दौरान आयातित वस्तुओं की मात्रा और मूल्य यह दर्शाते हैं कि वस्तुएं भारतीय बाजार में बिना किसी प्रतिबंध के आ रही हैं। विदेशी उत्पादक और घरेलू उद्योग भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। इस प्रकार जांच में यह नहीं दर्शाया गया है कि प्रतिस्पर्धा की स्थितियां अथवा व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां घरेलू उद्योग को कथित क्षति के लिए जिम्मेदार हैं।

(iv) प्रौद्योगिकी में विकास

105. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने यह दर्शाने के लिए कोई सूचना नहीं दी है कि इंजेक्शन मोल्डिंग टेक्नोलॉजी में अथवा घरेलू उद्योग द्वारा भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री को प्रभावित करने वाली नई पीढ़ी की मशीनों के विकास में कोई खास परिवर्तन है। की गई जांच से टेक्नोलॉजी में अथवा प्लास्टिक मोल्डिंग इंडस्ट्रीज में प्राथमिकता में कोई परिवर्तन ऐसा नहीं आया है जिससे कि इस क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा हो।

(v) घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

106. घरेलू उद्योग के निर्यात की मात्रा जांच अवधि के दौरान पर्याप्त रूप में बढ़ी है जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय उत्पादकों की कीमत प्रतिस्पर्धात्मकता दर्शाती है। निर्यात बिक्री काफी लाभदायक पाई गई है। तथापि, पिछले खंड में क्षति विश्लेषण घरेलू उद्योग के घरेलू निष्पादन के आधार पर है। घरेलू एवं निर्यात बाजारों में कीमतें और लाभप्रदता को घरेलू उद्योग को हुई क्षति का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से प्राधिकारी द्वारा अलग-अलग किया गया है।

(vi) घरेलू उद्योग की उत्पादकता

107. घरेलू उद्योग की उत्पादकता क्षति जांच अवधि में उत्पादन में कमी के कारण कम हुई है न कि अन्य किसी कारक के कारण। अतः उत्पादकता में कमी को घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने वाला कारक नहीं माना जा सकता।

ज. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षों के प्रकटन के बाद के अनुरोध

ज. 1 घरेलू उद्योग

108. घरेलू उद्योग ने प्रकटन के बाद की अपनी टिप्पणियों में अनुरोध किया है कि मै. जोन वाइ मशीनरी, चीनी ताइपेई के मामले में ऋणात्मक मार्जिन का अर्थ यह नहीं है कि डीए जोन वाइ मशीनरी पर पाटनरोधी शुल्क (एडीडी) नहीं लगाएंगे। यह तर्क दिया गया है कि एनआईपी से कम पर काफी आयात हुए हैं और इसलिए निर्दिष्ट प्राधिकारी से केवल उन निर्यात सौदों पर विचार करने का अनुरोध किया जाता है जिनकी पंहुच कीमत एनआईपी से कम है। यह अनुरोध किया गया है कि क्षति मार्जिन की गणना करने की यह पद्धति कोठारी सुगर्स एंड कैमिकल्स लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में सेस्टेट के निर्णय से संगत है जिसमें सेस्टेट ने यह माना था कि क्षति मार्जिन का निर्धारण केवल उन निर्यात सौदों पर विचार करने के बाद किया जाना अपेक्षित है जिनमें क्षति मार्जिन धनात्मक है। यह भी अनुरोध किया गया है कि यूरोपीय आयोग द्वारा भी इसी प्रक्रिया का प्रयोग किया जा रहा है। घरेलू उद्योग ने यह भी तर्क दिया है नियमावली में क्षति मार्जिन के निर्धारण के संबंध में कोई विशिष्ट व्यवस्था नहीं है और उनमें केवल एनआईपी के निर्धारण की पद्धति विहित है। इसलिए, याचिकाकर्ता प्राधिकारी से इस निर्यातक के मामले में सकारात्मक क्षति मार्जिन सौदों पर विचार करने का और तदनुसार क्षति मार्जिन के निर्धारण का अनुरोध करता है।

ज.2 अन्य हितबद्ध पक्ष

109. दि ऑल इंडिया प्लास्टिक मेन्युफेक्चरर्स एसोसिएशन ने प्रकटन के बाद के अपने प्रकटन के बाद के अनुरोधों में अधिकांशतः अपने तर्कों को दोहराया है और अन्य बातों के साथ-साथ यह तर्क दिया है कि

- यह जाँच शुरू नहीं की जानी चाहिए थी क्योंकि याचिका में पाटन और/या क्षति के पर्याप्त या संगत साक्ष्य नहीं थे।
- याचिकाकर्ता द्वारा उठायी गई कथित क्षति वास्तविक नहीं है और तदनुसार, पाटनरोधी उपायों का आवेदन न्यायोचित नहीं है।
- घरेलू उद्योग द्वारा कथित रूप से उठायी गई क्षति संबद्ध देशों से आयातों से इतर कारकों की वजह से हुई है। भारत में संबद्ध वस्तु की कम मांग से घरेलू उद्योग का उत्पादन प्रभावित हुआ है।
- घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री की मात्रा संदर्भ अवधि के दौरान घट रही थी। इसे अलग से नहीं देखा जाना चाहिए। इसकी जाँच कुल मांग के संबंध में की जानी चाहिए।
- घरेलू उत्पादकों को 2013-14 में बिक्री में गिरावट के कारण क्षति उठानी पड़ी है और यह कि बिक्री में इस गिरावट के लिए संबंधित देशों से आयातों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।
- घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में पीओआई के दौरान 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और संबद्ध देशों से आयातों के बाजार हिस्से में गिरावट आई है।
- घरेलू उद्योग द्वारा क्षमता में अनावश्यक वृद्धि किए जाने के कारण घरेलू उद्योग की लाभप्रदता प्रभावित हुई है।
- घरेलू उद्योग की कुल उत्पादन (स्थापित) क्षमता में 2010-11 से 2013-14 तक 33 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- इसी अवधि के दौरान क्षमता उपयोग में 10 प्रतिशत की मामूली गिरावट आई है परंतु इसे निवेशों में भारी वृद्धि के आलोक में देखा जाना चाहिए जो सिद्ध करता है कि घरेलू उद्योग प्रतिस्पर्धी था, क्योंकि उसके पास पूरी उत्पादन श्रृंखला में क्षमता में वृद्धि करने के लिए निवेश हेतु पर्याप्त वित्तीय संसाधन थे।
- घरेलू उद्योग की मालसूची में निरंतर कमी आई है इस प्रकार यह संकेतक वास्तविक क्षति संबंधी निष्कर्ष का समर्थन नहीं करता है।
- वास्तविक क्षति का आरोप बेबुनियाद है। निवेश, क्षमता और निवेश, मालसूची, श्रम, आयातों की मात्रा में कमी आदि जैसे आर्थिक संकेतक दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग अच्छा निष्पादन कर रहा है।
- संबंधित देशों के मूल के पीपीएम के आयातों पर पाटनरोधी उपायों को लगाया जाना घरेलू हित में नहीं होगा।
- पाटनरोधी उपाय हजारों प्रयोक्ता उद्योगों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं की कीमत को बढ़ा देंगे और क्रेताओं और अंततः उपभोक्ताओं को नुकसान पहुंचाएंगे और उत्पाद के लिए बाजार में प्रतिस्पर्धा पर नकारात्मक प्रभाव होगा और निम्नवर्ती उद्योगों में काफी संख्या में नौकरियां खतरे में पड़ जाएंगी इस प्रकार घरेलू उद्योग में अनेक नौकरियां कथित रूप से खतरे में हैं।
- पाटनरोधी उपाय लागू किया जाना भारतीय उद्योग के वृहत्तर हित में नहीं होगा क्योंकि इससे कीमत में वृद्धि हो जाएगी।

ज.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

110. मै. जोन वाइ मशीनरी के क्षति मार्जिनों के संबंध में घरेलू उद्योग की टिप्पणियों के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा उद्धरित कोठारी सुगर के मामले में माननीय सेस्टेट के निर्णय के प्रति पक्षपात के बिना, प्राधिकारी नोट करते हैं कि मामले की वास्तविक स्थिति और वे तर्क जिनके आधार पर उस मामले में जो पद्धति अपनाई गई थी, जिसका निर्णय माननीय सेस्टेट ने लिया था वह बिल्कुल अलग हैं। उक्त आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख है और उस मामले में दलील दिए गए बेड लिनेन का उल्लेख करते समय आदेश में यह स्पष्ट किया गया है और यह समुक्ति की गई है कि

'हम भी यह नहीं समझते कि बेड लिनेन के मामले में पैनल रिपोर्ट वर्तमान मामले पर लागू होती है। वह ऐसा मामला था जिसमें निर्यातकों ने जाँच में सहयोग दिया था और सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के बारे में पूरे आकड़े भरे थे। तथापि, पक्षकारों ने कतिपय किस्मों की कीमतों को शामिल करने/बाहर करने के बारे में शिकायत की थी। विचाराधीन उत्पाद व्यापक किस्म का था। वह ऐसा मामला भी नहीं था जिसमें शुल्क परिवर्तनशील आधार पर लागू किया गया था। ऐसे मामले में, एक देश से क्षतिरहित कीमत से कम पर पर्याप्त आयातों का प्रभाव नहीं हुआ था। प्रत्येक मामले में वास्तवि स्थिति के आधार पर क्षति और कारणात्मक संबंध का विश्लेषण करने में विभिन्न मापदंडों की संगतता और महत्व में अंतर होता है।'

111. इस मामले की वास्तविक स्थितियां अलग हैं। यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें ताइवान से कोई उत्तर नहीं मिला है। ताइवान से संबंधित निर्यातकों ने भारत को अपने निर्यात के संबंध में पूरी सूचना प्रस्तुत की है और वितृत जाँच के आधार पर मै. जोन वाइ मशीनरी

के लिए भारित औसत क्षति मार्जिन ऋणात्मक पाया गया है। वास्तव में उत्पाद किस्म/पाडल स्तर पर भी क्षति मार्जिन को इस कंपनी द्वारा निर्यातित सभी उत्पाद प्रकारों/माडलों के लिए ऋणात्मक पाया गया है। अतः, प्राधिकारी को एनआईपी से कम के सौदों के आधार पर क्षति मार्जिन की गणना करके मै. जोन वाइ मशीनरी पर शुल्क लगाने के लिए माननीय सेस्टेट के कोठारी सुगर निर्णय के अनुपात को लागू करने के घरेलू उद्योग के तर्कों में कोई तथ्य नहीं दिखता है।

112. जहां तक ऑल इंडिया प्लास्टिक मैनुफेक्चरर्स एसोसिएशन का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि एसोसिएशन ने अधिकांशतः अपने उन्हीं तर्कों को दोहराया है जिनका समाधान इस जांच परिणाम में संगत स्थानों पर पहले ही कर दिया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच को नियमावली के अनुसार और प्रस्तुत किए गए प्रथम दृष्टया साक्ष्य पर आवश्यक विचार करने के बाद शुरू किया गया था। घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुत सूचना की विधिवत रूप से जांच की गई थी और घरेलू उद्योग को हुई क्षति सहित विभिन्न निर्धारण रिकार्ड में उपलब्ध वास्तविक तथ्यों पर आधारित हैं। क्षति संबंधी सभी मापदंडों की जांच ऊपर यथा रिकार्ड किए गए जांच की प्रक्रिया के दौरान एआईपीएमए समेत हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए अनुरोधों को ध्यान में रखकर की गई है। अतः एआईपीएमए के प्रकटन के बाद के अनुरोध तदनुसार निपटा दिये गये हैं।

ट. क्षति और कारणात्मक संपर्कों के संबंध में निष्कर्ष

113. उपर्युक्त विश्लेषण यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग का निष्पादन उत्पादन में कमी, बिक्री और क्षमता उपयोग, लाभ में कमी और निवेश पर आय में कमी के कारण जांच अवधि के दौरान कम हुआ है। संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तुओं की घरेलू उद्योग में कीमतें काफी कम हुई हैं तथा चीनी ताइपेई को छोड़कर भारत औसत स्तर पर घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों पर कम बिक्री का काफी प्रभाव पड़ा है। घरेलू उद्योग को हुई क्षति काफी और वास्तविक है।

114. जैसा कि पहले नोट किया गया है कि विभिन्न कारकों के संयोजन, यथा पाटित कीमतों पर संबद्ध देशों से आयात की भारी मात्रा, चीन जनवादी गणराज्य से सतत पाटन और घरेलू मांग में कमी से जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के निष्पादन पर प्रभाव पड़ा है।

ठ. भारतीय उद्योग के हित तथा अन्य मुद्दे

115. हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि संबंधित देशों में आने वाले पी पी एम के आयातों से संबंधित पाटनरोधी उपाय घरेलू हित में नहीं होंगे क्योंकि पाटनरोधी उपायों से सैंकड़ों हजार प्रयोक्ता उद्योगों द्वारा उत्पादित परिष्कृत वस्तुओं की कीमत बढ़ेगी और क्रेताओं को उसका नुकसान होगा तथा अंततः उपभोक्ताओं को हानि होगी और बाजार में प्रतिस्पर्धा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। एवं घरेलू उद्योग में जोखिम पर कथित रूप से रोजगार की संख्या के बजाए नीचे के उद्योग में रोजगार को ज्यादा खतरा होगा। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन रोधी शुल्क लगाए जाने का उद्देश्य सामान्यः पाटन के अनुचित व्यवहारों द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति लाई जा सके जो देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से संबद्ध देशों से आयात किसी भी रूप में प्रतिबंधित नहीं होंगे और इसलिए उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।

ड निष्कर्षः

116. उठाए गए मुद्दों और हितबद्ध पक्षों के अभ्यावेदनों तथा इस रिकार्ड में दर्ज किए गए के अनुसार प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत तथ्यों की जांच करने के बाद प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि शुल्कों के अधिरोपण के पश्चात संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण वर्तमान जांच अवधि में घरेलू उद्योग के निष्पादन और पाटित कीमतों पर संबद्ध देशों से भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तुएं आ रही हैं जिससे हाल के वर्षों में मांग में कमी आई है। घरेलू उद्योग को हुई क्षति काफी और वास्तविक है।

ढ. सिफारिशें

117. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की शुरुआत कर उसकी सूचना सभी हितबद्ध पक्षकारों को प्रदान की गई थी और पाटन, क्षति एवं कारणात्मक संबंध के विभिन्न पहलुओं पर सकारात्मक सूचना और सत्यापनीय साक्ष्य प्रदान करने के लिए निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जांच करने पर तथा यह सिद्ध होने पर कि संबद्ध देशों से वस्तुएं पाटित कीमतों पर भारतीय बाजार में आ रही हैं और घरेलू उद्योग को मात्रा और कीमत प्रभाव के माध्यम से क्षति पहुंचा रही हैं, प्राधिकारी नीचे दिए गए रूप में और तरीके से, संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने की सिफारिश करना आवश्यक और उपयुक्त समझते हैं।

118. प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए कमतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी जांच अवधि के लिए इस निष्कर्ष में निर्धारित पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन, जो भी कम हो, के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग पाटित आयातों के क्षतिकारक प्रभाव समाप्त किए जा सके। तदनुसार, संबद्ध देशों के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के सभी आयातों पर केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से निम्नलिखित शुल्क तालिका के कालम 9 में उल्लिखित राशि के बराबर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की जाती है। इस प्रयोजन के लिए आयातों का पहुंच

मूल्य सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के तहत सीमाशुल्क द्वारा निर्धारित तथा सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 3, 3क, 8ख, 9 और 9क के तहत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर सभी सीमाशुल्कों के अनुसार आकलनीय होगा।

शुल्क तालिका

क्र.सं.	उप शीर्ष अथवा टैरिफ मद	वस्तुओं का विवरण	विनिर्दिशन	उद्गम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	शुल्क राशि	माप की इकाई
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	8477.1000**	प्रसंस्करण या मोल्डिंग प्लास्टिक सामग्री के लिए प्रयुक्त प्लास्टिक प्रसंस्करण मशीनें या इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनें ***	40 टन के बराबर अथवा उससे अधिक तथा 3200 टन के बराबर अथवा उससे कम की क्लैपिंग फोर्स	चीनी ताइपेई	चीनी ताइपेई	मै. चेन शोंग मशीनरी चीनी ताइपेई कंपनी लिमिटेड	मै. एशियन प्लास्टिक मशीनरी कंपनी लिमिटेड	6.06	%
2	-वही-	-वही-	-वही-	चीनी ताइपेई	चीनी ताइपेई	मै0 जोन वाई मशीनरी वर्क्स कं. लि0	मै0 जोन वाई मशीनरी वर्क्स कं. लि0	NIL	%
3	-वही-	-वही-	-वही-	चीनी ताइपेई	चीनी ताइपेई	उपर्युक्त से इतर अन्य कोई संयोजन		27.98	%
4	-वही-	-वही-	-वही-	चीनी ताइपेई	कोई	कोई	कोई	27.98	%
5	-वही-	-वही-	-वही-	संबद्ध देशों से इतर कोई अन्य	चीनी ताइपेई	कोई	कोई	27.98	%
6	-वही-	-वही-	-वही-	फिलीपींस	कोई	कोई	कोई	30.85	%
7	-वही-	-वही-	-वही-	संबद्ध देशों से इतर कोई अन्य	फिलीपींस	कोई	कोई	30.85	%
8	-वही-	-वही-	-वही-	मलेशिया	कोई	कोई	कोई	44.74	%
9	-वही-	-वही-	-वही-	संबद्ध देशों से इतर कोई अन्य	मलेशिया	कोई	कोई	44.74	%
10	-वही-	-वही-	-वही-	वियतनाम	कोई	कोई	कोई	23.15	%
11	-वही-	-वही-	-वही-	संबद्ध देशों से इतर कोई अन्य	वियतनाम	कोई	कोई	23.15	%

नोट:

** उपर्युक्त वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के उद्देश्य से विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है।

*** निम्नलिखित प्रकार के उत्पाद पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के उद्देश्य से विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग किए गए हैं।

- i. सीमाशुल्क प्रशुल्क वर्गीकरण सं. 847730 के तहत वर्गीकृत ब्लो मोल्डिंग मशीनें
- ii. खड़ी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनें
- iii. सभी इलैक्ट्रिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनें जिनमें यांत्रिक संचलन, यथा इंजेक्शन, मोल्ड क्लोजिंग, मोल्ड ओपनिंग, उत्पादन, पेचकश आदि का नियंत्रण स्वतंत्र सर्वो मोटरों द्वारा किया जाता है और जिनमें डिजिटल नियंत्रण प्रणाली होती है तथा जो बिना हाइड्रोलिक यूनिट के होते हैं।
- viii. फुटवियर बनाने के लिए बहुरंगी/मल्टी मोल्ड मशीनरी, फुटवियर बनाने के लिए रोटरी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनरी तथा सीमाशुल्क, प्रशुल्क वर्गीकरण संख्या 8453 के तहत वर्गीकृत फुटवियर सोल/स्ट्रैप/हील इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन।

ण. आगे की प्रक्रिया

119. केन्द्र सरकार के आदेशों के विरुद्ध कोई अपील जो इस सिफारिश के कारण की जाए, इस अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलिय प्राधिकरण में दायर की जा सकेगी।

120. प्राधिकारी इस अधिनियम के संगत प्रावधानों और नियमों तथा समय-समय पर इस संबंध में जारी सार्वजनिक सूचनाओं के अनुसार समय-समय पर इसमें सिफारिश किए गए अनुसार, परिभाषात्मक उपाय को जारी रखने, उसमें संशोधन करने अथवा उसे समाप्त करने की आवश्यकता की समीक्षा कर सकते हैं। प्राधिकारी द्वारा ऐसी समीक्षा के लिए तब तक कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा, जब तक इस प्रयोजन के लिए निर्धारित समय सीमा के अनुसार हितबद्ध पक्षकार द्वारा अनुरोध दायर न किया जाए।

ए. के. भल्ला, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th January, 2016

FINAL FINDING

Sub: Anti-Dumping Investigation concerning import of Plastic Processing Machines or Injection Moulding Machines from Chinese Taipei, Philippines, Malaysia and Vietnam.

F.NO. 14/03/2014-DGAD: Having regard to the Customs Tariff Act 1975 as amended in 1995 (hereinafter referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, (hereinafter referred to as the Rules) thereof,

1. WHEREAS Plastics Machinery Manufacturers Association of India, along with its members, viz. (a) M/s Toshiba Machine (Chennai) Pvt. Ltd., (b) M/s Ferromatik Milacron India Pvt. Ltd, (c) M/s Windsor Machines Limited, and (d) M/s Electronica Plastic Machines Ltd (herein after referred to as the applicants) had filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as this Authority), in accordance with the Act, and the Rules, alleging dumping of certain Plastic Processing Machines or Injection Moulding Machines (hereinafter referred to as the subject goods), originating in or exported from Chinese Taipei, Philippines, Malaysia and Vietnam (herein after also referred to as subject countries) and requested for initiation of an investigation for levy of anti-dumping duties on the subject goods.
2. AND WHEREAS, the Authority, on the basis of sufficient *prima facie* evidence of dumping, injury and causal links submitted by the applicants, issued a public notice dated 14th October, 2014, in accordance with the Rule 6(1) of the Rules, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating Anti-Dumping investigations concerning imports of the subject good, originating in or exported from the subject countries, to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the amount of anti-dumping duty, which, if levied would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

A. Procedure

3. Procedure described below has been followed with regard to this investigation, after issuance of the public notice notifying the initiation of the above investigation by the Authority.
 - i. In terms of sub-Rule 5 of Rule 5, the Authority notified the Embassies of the subject countries in India about the receipt of the application from the domestic industry requesting for initiation of anti-dumping investigation.

- ii. The Embassies of the subject countries in New Delhi were also informed about the initiation of the investigations in accordance with Rule 6(2).
- iii. The Designated Authority sent copies of initiation notifications dated 14th October, 2014 to the Embassies of the subject countries in India, known exporters from the subject countries, known importers in India and other interested parties, as per the information available with it, as well as the domestic industry. Parties to this investigation were requested to file questionnaire responses and make their views known in writing within prescribed time limit. Copies of the letter, petition and questionnaire sent to the exporter, were also sent to the Embassies of subject countries along with a list of known exporters/ producers with a request to advise the exporters/producers from the subject countries to respond to the questionnaire within the prescribed time.
- iv. Copy of the non-confidential version of the petition filed by the domestic industry was made available to the known exporters and the Embassies of the subject countries in accordance with Rules 6(3) supra.
- v. Exporters' Questionnaires were sent to the following known exporters from subject countries in accordance with the Rule 6(4) to elicit relevant information.
 - a. M/s Shasima Sdn Bhd, Malaysia
 - b. M/s Mk Plastics Machinery (M) Sdn Bhd, Malaysia
 - c. M/s Mekahsa Plastic Equipment, Malaysia
 - d. M/s Monefaith Sdn Bhd, Malaysia
 - e. M/s Arasan Automation, Malaysia
 - f. M/s Wilson Products & Marketing Co. Malaysia
 - g. M/s Efficient Growth Sdn Bhd, Malaysia
 - h. M/s Sa Protech Enterprise, Malaysia
 - i. M/s Intertech Machinery Incorporation, Chinese Taipei
 - j. M/s Fure Shuen Machine Industry Co, Chinese Taipei
 - k. M/s Polystar Machinery Co Ltd, Chinese Taipei
 - l. M/s Yea Jing Machinery Co Ltd, Chinese Taipei
 - m. M/s Joiepack Industrial Co Ltd., Chinese Taipei
 - n. M/s Tianchen Plastic Machinery Co, Chinese Taipei
 - o. M/s Thanh Danh Company Ltd, Vietnam
 - p. M/s Soong Viet Trading & Machinery Co, Vietnam
 - q. M/s Beta Mechanical Co Ltd, Vietnam
- vi. The following producers/exporters, exporting the subject goods originating in or exported from the subject countries, have filed questionnaire responses:
 - a. M/s Chen Hsong Machinery Chinese Taipei Co Ltd (Producer) Chinese Taipei; with M/s Asian Plastic Machinery Co Ltd (Exporter)
 - b. M/s Jon Wai Machinery Works Co Ltd (Chinese Taipei)
- vii. Apart from the above responses the following exporters from the subject countries also filed partial/incomplete responses:
 - a. M/s Huayuan Vietnam Machinery Co. Ltd (Vietnam)
 - b. M/s Chuan Lih FA Machinery Works Co. Ltd. (Chinese Taipei)
- viii. M/s Herovin Machineres Supplies Co (Philippines), vides its letter dated December 03, 2014, intimated the Authority that they are not involved in any export business of the subject goods to the Indian market.
- ix. Questionnaires were sent to the following known importers and consumers of subject goods in India calling for necessary information, in prescribed formats, in accordance with Rule 6(4):
 - a. M/s Electronic Plastic Machine Ltd.(Tal Mulshi, Pune)
 - b. M/s Plastics Machinery Manufacturers Association of India.(New Delhi)
 - c. M/s Ferromatik Milacron India Pvt. Ltd. (Ahmedabad)

- d. M/s Windsor Machines Ltd.(Thane)
 - e. M/s Toshiba Machines Pvt. Ltd.(Chennai)
 - f. M/s Bharat Box Factory Ltd.(Punjab)
 - g. M/s Kunstocom (India) Ltd.(New delhi)
 - h. M/s Sumi Motherson Group (Noida)
 - i. M/s Supreme Industries Ltd.(Mumbai)
 - j. M/s Vidyut Metallics Ltd (Mharashtra)
 - k. M/s Prince Plastics International Pvt. Ltd.(Thane)
 - l. M/s Prince Plastics International pvt. Ltd.(Mumbai)
 - m. M/s Arun Plasto Moulders India Pvt. Ltd.(Tamil Nadu)
 - n. M/s Mouldwell Products (Tamil Nadu)
 - o. M/s Salzer Electronics ltd.(Tamil Nadu)
 - p. M/s Riya Moulders(Chennai)
 - q. M/s CJ Polytech Pvt. Ltd.(Tamil Nadu)
 - r. M/s Tech Plastic Industries (Chennai)
 - s. M/s Sakkthi Polymers(Tamil Nadu)
 - t. M/s Tooling Temple (Tamil Nadu)
 - u. M/s Victorious Engineering Works (U.P)
 - v. M/s Ejobs Info Tech India Pvt .ltd.(Coimbatore)
 - w. M/s Electronica Machine tools Ltd.(Pune)
 - x. M/s Moldwell Products India Pvt. Ltd.(Tamil Nadu)
 - y. M/s All India Plastic Manufactures Association (Mumbai)
- x. None of the importers/users of the subject goods have filed their responses.
 - xi. All India Plastic Manufacturers of India, as Association representing user industry of Plastic Processing Machinery, have filed a combined injury submission opposing the claims of the domestic industry on various grounds
 - xii. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to provide the transaction-wise details of imports of subject goods for the past three years, including the period of investigations, which was received by the Authority. The Authority has, relied upon the DGCI&S data for computation of the volume of imports and required analysis after due examination of the transactions and pruning the data for unrelated products;
 - xiii. The Authority made available non-confidential versions of the evidences presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties;
 - xiv. Optimum cost of production and cost to make and sell the subject goods in India, based on the information furnished by the petitioner on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP), was worked out so as to ascertain whether Anti-Dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to Domestic Industry. The NIP has been determined by the Authority in terms of the principles laid down under Annexure III to the Anti-dumping Rules;
 - xv. The confidentiality claims of various interested parties in respect of the data submitted by them have been examined. The information, which is by nature confidential or which has been provided on a confidential basis by the interested parties, along with non-confidential summary thereof, has been treated confidential.
 - xvi. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has recorded the findings on the basis of the facts available.
 - xvii. The Authority held a public hearing on 8th April, 2015 to hear the interested parties orally, which was attended to by representatives of interested parties. However, due to change in the Designated Authority thereafter, a fresh hearing was held on 19th August 2015. The interested parties were asked to file written submissions and rejoinders. The written submissions and rejoinders received from interested parties, to the extent relevant, have been considered in the finding;
 - xviii. The Central Govt. has extended the period for completion of the investigation till 13th January 2016 in terms of Rule 17 of the Rules.
 - xix. On the spot verification of the data of the domestic industry, as well as that of the cooperating exporters, was carried out to the extent considered necessary.

- xx. In accordance with the Rules the Authority disclosed the essential facts of the case to all interested parties vide a disclosure statement issued on 29.12.2015. The domestic industry and the All India Plastic Manufacturers Association filed their comments on the disclosure statement. The comments of the interested parties have been addressed in this finding to the extent relevant.
- xxi. *** in this finding represents information furnished by the interested parties on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- xxii. Investigation was carried out for the period starting from April 2013- March 2014 (POI). However, the injury investigation covers the period 2010-11, 2011-12, 2012-13 and 2013-14 (POI).
- xxiii. The Authority has taken weighted average exchange rate for the POI (April 2013- March 2014) as Rs 60.85/US\$.

B. Product under Consideration and Like Article

- 4. The product under consideration notified in the initiation notification is “all kinds of plastic processing or injection moulding machines, also known as injection presses, having clamping force not less than 40 tonnes, and not above 3200 tonnes, used for processing or moulding of plastic materials The following types of products are however, excluded from the scope of the product under consideration:
 - i. Blow Moulding Machines classified under Customs Tariff Classification No. 847730.
 - ii. Vertical injection moulding machines.
 - iii. All electric injection moulding machines wherein the mechanical movements such as injection, mould closing, mould opening, ejection, screw driver, etc. are controlled by independent servo motors and having digital control system and without Hydraulic Units.
 - iv. Multi-colour/ multi-mould machinery for making footwear, Rotary injection moulding machinery for making footwear and footwear sole/strap/heel injection moulding machine classified under the Customs Tariff Classification No. 8453.
- 5. Plastic Processing Machineries are classified under ITC (HS) and Customs Classification Number 8477. At the eight digit level the product is covered under Chapter 84771000 of the Customs Classification. However, the above classification is indicative only and no way binding on the scope of this investigation.
- 6. Petitioners have claimed that there is no known difference in subject goods produced by the Indian industry and subject goods imported into India from the subject countries. Subject goods produced by the Indian industry and imported in India are comparable in terms physical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. They are technically and commercially substitutable. The consumers are using the domestically manufactured and imported machines interchangeably. The Authority notes that none of the interested parties have put forth any argument regarding the scope and coverage of the product under consideration and like articles. Therefore, for the purpose of the present investigation, the goods produced by the petitioner are being treated as like articles of the product imported from the subject countries within the meaning of the Rules, 2(d) of the Rules.
- 7. It has been brought to the notice of the Designated Authority that the product description given in the initiation notification which reads as “Plastic Processing machines or Injection moulding machines” it gives an impression that all injection moulding machines using other materials such as rubber are also covered under the duty order. In this connection the Authority notes that the investigation covers plastic processing or injection moulding machines also known as injection presses used for processing or moulding of Plastic materials only. Therefore, machines used for moulding or injecting other materials such as rubbers or silicone are not covered under the scope of the ‘product under consideration’. Therefore, for the sake of clarity the product is hereinafter described as “Plastic Processing Machines or Injection Moulding Machines used for processing or moulding plastic materials with clamping force from 40 to 3200 MT”.
- 8. It is noted that the plastic processing machines are manufactured in various sizes and capacities described in terms of clamping forces. The domestic producers as well as the foreign producers manufacture different types of plastic processing machines with different clamping forces and different additional features and the machines with different capacities are used for moulding certain group of products. Domestic industry produces machines with different clamping forces and within those ranges the machines produced by the producers in the subject country are like articles and clearly technically and commercially substitutable. Therefore, these product types are *inter se* like products within their clamping force ranges and for the purpose of like to like comparison Plastic Processing Machines of different capacities/clamping forces have been treated as different product types in recent investigations and comparisons have been made on like to like basis to the extent possible. The same methodology has been used in the present investigation.

C. Domestic Industry and Standing

9. The present application has been filed by Plastics Machinery Manufacturers Association of India (hereinafter referred to as petitioner or PMMAI) on behalf of the producers of Plastic Processing Machines. Four of its members, (i) M/s Toshiba Machines; (ii) M/s Ferromatic Milacron; (iii) M/s Windsor India; and (iv) M/s Electronica Machines who are domestic producers of the product under consideration in India, have provided relevant information seeking imposition of anti dumping duty in force on imports of PPMs from subject countries and commanding over 90% of the total production of the subject goods in India, have provided relevant information
10. The Authority notes that though M/s Toshiba Machine (Chennai) Pvt. Ltd. is related to M/s Toshiba Machine (Vietnam) Co Ltd and M/s Toshiba Machine (Vietnam) Co Ltd manufactures only electric injection moulding machines, which is not a subject matter of present investigation. Therefore, the Authority holds that petitioners are eligible to be treated as part of the domestic industry within the meaning of the term in the Rules and accordingly, all the four domestic producers as above have been treated as the domestic industry for the purpose of this investigation within the meaning of the Rule 2(b) of the Rules and holds that the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 of the Rules supra.

D. De Minimis Limits

11. The Authority has examined the transaction-wise import data received from the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) as well as the data furnished by the cooperating exporters from the subject countries for the purpose of this investigation. The Authority notes that the subject goods are manufactured and sold in various models/ capacities and identified in terms of their clamping forces. While the DGCI&S data source analysed shows the description of the goods, against certain transactions the exact clamping forces have not been mentioned. Since the product under consideration covers PPM with clamping force ranging from 40 MT to 3200 MT, based on the product description and prices the transactions falling within the broad parameters of the PUC have been considered for the purpose of volume analysis. However, for the purpose of like to like comparison only those transactions, in which actual model/clamping forces could be identified, have been considered.
12. On the basis of this examination the imports of the subject goods from the subject countries are found to be substantial and above the *de minimis* level.

E. Interested Parties to the investigation

13. The Authority notes that following producer/exporters of subject goods from Chinese Taipei have submitted their responses to the exporter's questionnaire and their data has been verified to the extent feasible.
 - a. M/s Asian Plastic Machinery Co Ltd (Exporter) M/s Chen Hsong Machinery Chinese Taipei Co Ltd (Producer) Chinese Taipei
 - b. M/s Jon Wai Machinery Works Co Ltd (Chinese Taipei)
14. M/s Herovin Machineries Supplies Co (Philippines) filed a letter stating that their business is limited to importation of Plastic injection moulding machines, its parts and accessories only for Philippines market and they have no interest in Indian market.
15. M/s Huayuan Vietnam Machinery Co. Ltd (Vietnam) has filed an incomplete response by post vide their letter dated 20th November 2014, without a non-confidential version of the same. They were intimated vide e-mails dated 31st December 2014, 21st July 2015 to file Appendices 4 to 8 of the Questionnaire and one complete set of Non-Confidential version of the Submissions made by them in terms of Rule 7 of Anti Dumping Rules read with Article 6.5 of the Agreement on Anti Dumping. However, the Company failed to file any document to complete the response or comply with the provisions of the Rules. Therefore, the partial response filed by the Company has been rejected and the Company has been treated as non-cooperative.
16. M/s Chuan Lih FA Machinery Works Co. Ltd. (Chinese Taipei) filed a partial response vide their letter dated 17th Nov 2014. Vide e-mails dated 8th December 2014 and 21st July 2015, the Company was asked to submit the complete set of questionnaire response along with non-confidential version as per the format prescribed. However, the Company failed to file the complete questionnaire response in spite of opportunity being given. Therefore, the partial response filed by the Company has been rejected and the Company has been treated as non-cooperative.
17. None of the other producers/exporters from Philippines, Malaysia & Vietnam has filled any questionnaire response. The Governments of the subject countries have also not made any submissions before the Authority.
18. None of the importers or users of the subject goods have filed importers' questionnaire response/injury submissions. All India Plastic Manufacturers Association of India, as Association representing user industry of Plastic Processing Machinery in India, have filed a combined injury submission opposing the claims of the domestic industry on various grounds. Domestic industry has argued that though the user association has filed its submissions none of the members of the user association has filed any questionnaire response or provided any information regarding their

volume of imports, import price etc.. The domestic industry further argues that the notice of initiation provides opportunities to all interested parties to provide relevant information to the Designated Authority. The Association has not provided any information whatsoever which is relevant to the present investigation. Therefore, they should be given the status of an interested party to this investigation.

19. In its post disclosure submissions the domestic industry has further argued that though *All India Plastic Manufacturers Association* has filed its submission none of the members of the user association has filed any questionnaire response or provided any information regarding their volume of imports, import price etc. The Association has however provided no information whatsoever which is relevant to the present investigation. Referring to a recent decision of the CESTAT in *M/s Merino Panel Products Ltd. vs. Designated Authority* in the MDF matter the domestic industry has argued that the Hon'ble CESTAT has held that a party cannot simply represent before the Designated Authority without establishing its status in an investigation. It has been further argued that in case the party claims itself a status of an association, then it must be a registered association under the relevant statutes. No such information has been provided by the association and the association is participating in the investigations without establishing its locus. Therefore, the Authority should treat the association as non cooperative, otherwise it would become a practice that any party can claim status of interested party without providing any information and would be given all the rights of an interested party without fulfilling the duties of the same.

20. Relevant decision of the CESTAT in the above matter reads as follows:

“Unless a party demonstrates to the Authority that it is an importer / exporter of the subject article, it does not acquire the right to participate in the proceedings as an interested party. In respect of exporters, who have not filed the response to the Exporter Questionnaire, the Authority has considered them to be non-cooperating. This principle would apply equally to the importers. It was, therefore, incumbent on the importer to establish that it was an interested party by furnishing the information as required in the importer questionnaire in the course of the investigations. Failure to do so would be fatal to its claim as an interested party. The appellant did not file any information before the Authority to demonstrate that it was an importer of the article under investigation and hence could not be treated as an interested party”.

21. The Authority notes that the above interpretation of Rule 2(c) of the Rules by the CESTAT is limited with respect to right of an importer who has an obligation to file questionnaire response but did not do so but sought to agitate issues before the Tribunal. The Hon'ble Tribunal has not given any ruling with respect to right of the trade or business association as included in the said Rules. In this investigation the All India Plastic Manufacturers Association of India, as an association of the plastic manufacturers, has made certain arguments in respect of various aspects of the investigation without filing any detailed information with regard to the volume and value of imports by their members and information that can be used for determination of dumping and injury. Being a body representing the users of these machines who are also importers of the subject goods this association could have provided very useful information to help the Authority in making its determination based on facts. However, notwithstanding the fact that the Association has not filed any data and other information, in the interest of fairness and transparency their submission with regard to the other aspects of the investigation have been taken on record and examined along with the arguments made by other interested parties and have been addressed in these findings to the extent they are relevant and backed by verifiable evidence.

22. Therefore, the parties named at para 13 and 18, alongwith the domestic industry and the Governments of the countries involved have been treated as the interested parties to this investigation.

F. Miscellaneous issues raised by the interested parties

F.1 Views of the other interested parties

23. The interested parties have raised several issues with respect to the present investigation, including methodologies of dumping determination adopted by the domestic industry in its petition and their injury claims. While the issues regarding the dumping and injury determination have been dealt in the appropriate places in this finding, the general issues raised by the parties to the investigation have been examined hereunder to the extent they are relevant. For the sake of brevity the submissions of the parties and issues raised therein have been summarized as follows:

- a. That excessive confidentiality has been claimed by the domestic industry and the most of the vital data pertaining to the claims of dumping and injury have been kept confidential thereby denying the interested parties to meaningfully understand and comment upon them;
- b. That the investigation has been initiated on the basis of incomplete and inadequate information filed by the domestic industry in its petition. It has been argued that costing Information in Section VI of the Application Proforma should have been filed separately for each constituent of the Domestic Industry;

- c. Transaction-wise DGCI&S data submitted by the domestic industry in the petition show that significant volume of products not covered under the scope of the product under consideration has been included in the Import data. The data includes used Injection moulding machines and parts and other items;
- d. That the allegations of dumping set out in the Petition are largely based on estimates and assumptions and not supported by evidence and the investigation should not have been initiated without adequate and accurate information on dumping and injury;

F.2 Views of the Domestic Industry

24. The domestic industry, in its submissions, has refuted the arguments of the interested parties. The submissions of the domestic industry, in this respect, have been summarized as follows:
 - That the exporters have claimed most of the information as confidential and no proper summarization is provided by them. Even product description has not been disclosed by the exporters.
 - That the interested parties have not disclosed all such information that they are obliged to disclose under the Rules and practice being followed by the Designated Authority in this regard;
 - That nothing excessive has been claimed confidential by the petitioners. The petitioners have provided sufficient reasoning to claim costing information as confidential.
 - The petitioners have provided complete list of imports which includes not only the Product under Consideration but also products not covered under the product under consideration and therefore, complete information is available in the petition. Further, petitioners have provided a statement showing volume and value of imports of the product under consideration alone, which is in fact the prescribed requirement;

F.3 Examination by the Authority

25. Various miscellaneous issues raised by the interested parties have been examined. As far as the issues raised by the interested parties regarding the confidentiality claims are concerned, the Authority notes that to the extent possible and practicable the confidentiality claims of various parties submitting the information have been examined and confidentiality claims admitted on the basis of nature of information provided by the parties. As far as the submissions of the exporters are concerned, the information provided by the exporters, to the extent they are not business sensitive to the party providing the same, have been placed in the public file. In view of the above the objections of all parties with respect to confidentiality claims of the opposing parties have been disposed off.
26. As regards the transaction-wise import data submitted by the petitioners at the time of initiation and inclusion of certain items which are not covered under product under consideration is concerned the Authority notes that at the time of initiation prima facie evidence submitted by the domestic industry was relied upon. However, transaction-wise import data obtained from DGCI&S has been examined in detail and only those transactions clearly identified as products covered under the investigation have been taken into account for all determinations and the segregated data has been placed in the public folder.
27. As far as adequacy of information submitted by the petitioner in its application is concerned, the Authority notes that the prima facie evidence submitted by the petitioner was examined by the Authority before initiation of the investigation and being satisfied with adequacy of the prima facie evidences the subject investigation was initiated. However, the actual determination is based on actual data of the responding exporters and other facts available with the Authority. Therefore, the interests of the parties have not been compromised in any manner.
28. Other issues raised by the interested parties have been addressed in the respective sections in this finding and not repeated here. In their post disclosure submissions the parties have essentially reiterated their stand on the general issues. Therefore, for the sake of brevity those arguments have not been repeated in the findings.

G. Methodology and Determination of Dumping Margin

29. The investigation was initiated against the goods originating in or exported from Chinese Taipei, Philippines, Malaysia and Vietnam. As noted earlier the following producers/exporters of the subject goods from Chinese Taipei alone have filed complete questionnaire responses:
 - a. M/s Asian Plastic Machinery Co Ltd (Exporter) and M/s Chen Hsong Machinery Chinese Taipei Co Ltd (Producer) Chinese Taipei;
 - b. M/s Jon Wai Machinery Works Co Ltd (Chinese Taipei)
30. No complete questionnaire response has been received from any producer/exporter from Philippines, Malaysia and Vietnam. Therefore, determination of the extent and degree of dumping, if any, has been examined based on the information submitted by the cooperating exporters, information submitted by the petitioner in its petition and other facts available with the Authority in accordance with the Rules as follows:

G.1 Chinese Taipei

31. As per the import data analysed 276 number of the subject machines have been imported from Chinese Taipei during the period under investigation. Two producing exporters from Chinese Taipei have filed complete questionnaire response and the information submitted by them has also been verified to the extent possible. Accordingly, dumping margins for the producers/exporters from Chinese Taipei have been determined as follows:

(i) M/s. Chen Hsong Machinery Chinese Taipei Co. Ltd. (Producer) and M/s. Asian Plastic Machinery Co. Ltd. (Exporter)

32. M/s Chen Hsong Machinery Chinese Taipei Co., Ltd. ("Chen Hsong") and M/s. Asian Plastic Machinery Co. Ltd., ("Asian Plastic") have filed a combined questionnaire response as producer and exporter of the subject goods from Chinese Taipei respectively. Both Asian Plastics and Chen Hsong are [***] % subsidiaries of [***]. Asian Plastic and Chen Hsong assume separate functions in the PPMs business. Chen Hsong undertakes the production and domestic sales and Asian Plastic is the exclusive sale company for the affiliate Chen Hsong for all export markets, except China. Asian Plastic does not source PPMs from other producers except Chen Hsong. Therefore, the information submitted by both the related entities has been examined together for determination of their dumping margins, if any.

(a) Normal Values

33. During the POI Chen Hsong sold [***] (Sets) of plastic processing machines of various sizes and clamping forces to various unrelated customers in Chinese Taipei for a total value of NTD [***].

34. However, out of about [***] models/product types sold in the domestic market only [***] models/product types corresponding match in the export sales transactions. Therefore, for the purpose of determination of the normal values of these comparable machines the domestic sales transactions have been examined along with the cost to make and sell as per the records of the Company. Necessary adjustments towards direct selling costs such as Rebate, Commission, Inland Freight, Forklift & Crane fee, Interest and Credit Costs, wherever applicable, have been applied to arrive at ex-works prices of the machines. In order to bring the machines to comparable level for like to like comparison with exported machines adjustments of costs of additional accessories and additional optional items, supplied by the Company along with the main machines, have also been made.

35. For the remaining product types exported to India, for which no comparable machines were sold in the domestic market, the Normal Values have been determined based on the third country export prices of the comparable product types, duly adjusted for the direct selling expenses, or cost of production plus a reasonable profit as per the information filed by the Company. Third country exports are also carried out by Asia Plastics. The Authority notes that the Company earned an average profit of [***%] on the sale of the product under consideration during the POI. Therefore, for the purpose of determination of the Normal value of the product types for which no comparable types were sold in domestic market this profit margin has been considered as reasonable profit margin as per the Rules.

36. The domestic industry, in its submissions has argued that the raw material cost and cost of production of M/s. Chen Song Machinery Chinese Taipei Co. Ltd., cannot be accepted for determination of their Normal value. It has been argued that this Company is procuring some of the raw materials from its affiliated Company and therefore, their costs do not reasonably reflect the costs associated with the production and sales of the product under consideration. It has also been further argued that the Rules do not state that the cost of production determined based on records maintained by a company is sacrosanct and must be blindly adopted as the Section 9A(1)c refers to the cost of production in the country of origin and do not state the cost of production of the exporter.

37. In this connection the Authority notes that dumping is essentially the price behavior of individual producers/exporters. Therefore, the price behavior of the individual producer/exporter in its home market or third country market *vis a vis* the investigating country market is the subject matter of examination in an antidumping investigation. Only when the producers/exporters concerned do not file the required information for any meaningful determinations, facts available method, including cost of production in the country of origin, is adopted for determination of Normal value for the producers and exporters in that country. Therefore, when the producer/exporter concerned has provided information with regard to its domestic sales and its cost of production that cost cannot be ignored and replaced by other information, unless the cost information provided is found to be unreliable. The data submitted by the producers/exporters in Chinese Taipei have been verified to the extent feasible. Therefore, the arguments of the domestic industry in this regard have not been found to be acceptable. Accordingly, ex-works normal values have been determined at product type level as explained above. However, since the models sold by the company are business sensitive information the details of models and their normal values have been kept confidential.

38. The domestic industry, in its post disclosure submissions has argued that the PCN produced by an exporter and sold in the domestic or export market cannot be claimed as business sensitive information and therefore, should be disclosed. The Authority notes that the model/product type information filed by the exporters in this case contain business sensitive information about actual capacities and various other features of the machines sold in the

domestic market and export market, which the exporter has claimed as confidential. The Authority has not devised specific PCNs in this case. Since this information is business sensitive they have been treated as confidential. In any case the comparison has been carried out on like to like basis as has been explained in detail in the findings and therefore, the interests of the other parties have not been compromised. Therefore, the Authority does not find any merit in this argument.

(b) Export Prices

39. During the POI Chen Hsong exported [***] machines to India for a total value of USD [***] through M/s. Asia Plastics, covering [***] different product types to end users in India. The Sales are on various terms of delivery and payment. Against certain transactions the exporter has also supplied additional/optional items with the main machines. Therefore, appropriate adjustments have been made to the export prices for like to like comparison with the Normal values. Since Chen Hsong and Asian are related and Asian operate as a sales arm of Chen Hsong for the exports to India, all direct selling expenses involved in export sales, incurred by Asian, such as International Freight, International Insurance, Custom Brokerage Fee, and FCL transport charges, Terminal Handling Charges, Harbor Service Fee, Trade Promotion Fee, Bank Charges and Credit Costs have also been adjusted from the invoice price of Asian to arrive at ex-works prices. The SGA expenses and profit margin of Asian have also been deducted to arrive at ex-works price at the level of the producer. Accordingly, ex-works export prices of Chen Hsong have been worked out for individual models/product types as explained above. However, since the models sold by the company are business sensitive information the details of models and their export prices have been kept confidential.

(c) Dumping Margin

40. The normal values of the individual models/product types, so determined at ex-works level, have been compared with the ex-works export prices of the corresponding models/product types at the same level as described above to arrive at the individual dumping margins at the model/product type levels and then weighted average dumping margin for the product as a whole has been determined. The weighted average dumping margin of the product as a whole has thus been determined as US\$ [***] i.e. [***] %.

(ii) M/s. Jon Wai Machinery Works Co. Ltd., (Chinese Taipei)

41. M/s. Jon Wai Machinery Works Co. Ltd., Chinese Taipei has filed a questionnaire response as producer and exporter of the subject goods from Chinese Taipei. The company produces Plastic Processing Machines of various sizes/capacities and configuration as per Customers requirement for which various components and machine parts are sourced from within Chinese Taipei and also other countries. The company sells the machines directly to end users in the home market as well as in its export markets. The dumping margin of this producer/exporter has been determined as follows:

(a) Normal Values

42. During the POI the company sold only [***] machines of [***] different types in the domestic market for a total value of NTD [***]. However, only [***] machines types sold to Indian market have equivalent domestic sales transactions. For the product types not sold in the domestic market an attempt was made to analyse the third country export data to see if normal value for the remaining product types can be determined based on third country export prices. It was noted that [***] product types/models sold to India had matching product types/models exported to third countries. Therefore, for these models the normal values of the matched models have been determined based on their selling prices duly adjusted for as direct selling expenses as per the verified details in the questionnaire response of the exporter. The Company has not supplied any additional or optional accessories/components with the machines in the domestic market/third country. Therefore, no such adjustment is required in the domestic/third country sales.
43. For the product types not having like product domestic sales or third country sales normal values have been determined based on cost of production plus SGA expenses as per the records of the Company and a reasonable profit. The Authority notes that the Company did not earn any profit on the sale of the product under consideration during the POI. Therefore, for the purpose of determination of the Normal value of the product types, for which no comparable types were sold in domestic market or third country market, a profit margin of [***%] has been considered as reasonable profit margin as per the Rules. Accordingly, ex-works normal values have been determined at product type level as explained above. However, since the models sold by the company are business sensitive information the details of models and their normal values have been kept confidential.

(b) Export Prices

44. During the POI the Company exported [***] Plastic processing machines covering [***] different machine types, to India for a total value of US\$ [***]. The sales are directly to unaffiliated end users in India on FOB/CIF/CFR terms. In certain transactions commission has been paid to the sales agents. No additional components or optional items have been supplied with the machines. Therefore, no adjustment is required in this respect. The expenses towards

Commission, International Freight, International Insurance, Inland Freight, Custom Brokerage Fee, Terminal Handling Charges, Harbor Service Fee, Trade Promotion Fee, Negotiation Interests, Bank Charges and Credit Costs, wherever applicable, have been adjusted from the export sales prices to arrive at the ex-works export prices of individual product types. However, since the models sold by the company are business sensitive information the details of models and their export prices have been kept confidential.

(c) Dumping Margin

45. The normal values of the individual product types so determined at ex-works level have been compared with the ex-works export prices of the corresponding product types at the same level as described above to arrive at the individual dumping margins at the product type level and then weighted average dumping margin for the product as a whole has been determined. The weighted average dumping margin of the product as a whole has thus been determined as US\$[***] i.e. [***] %.

(iii) All other exporters from Chinese Taipei

46. As per the import data total 276 no of the subject goods were imported from Chinese Taipei during the POI out of which the responding exporters account for total [***] machines. Therefore significant volume of the subject goods have been exported by other exporters from Chinese Taipei during this period. In the absence of cooperation from these exporters dumping margin for all non-cooperative exporters from Chinese Taipei has been determined based on facts available taking into account the information provided by the cooperating exporters from Chinese Taipei as US\$ [***/[***]]%.

G.2 Philippines, Malaysia and Vietnam

47. None of the exporters from Philippines, Malaysia and Vietnam has filed any questionnaire response. As per the import data available with the Authority significant number of the subject goods have been imported from Philippines, Malaysia and Vietnam during the POI. Therefore, dumping margins for the exporters from these countries have been determined on facts available basis.

(a) Normal Values in Philippines, Malaysia and Vietnam

48. Since none of the producers or exporters in Philippines, Malaysia and Vietnam has provided any information for determination of the normal values of the subject goods in these countries, the Authority has determined the Normal values in these countries on facts available basis, as per the Rules, taking into account information provided by the domestic industry and other facts available with the Authority. In the absence of information on actual costs and prices in the domestic markets of the exporting countries or their exports to third countries, the Authority has constructed the Normal Values in these countries based on constructed cost plus reasonable profit. The Authority further notes that the product under consideration includes a number of product types, corresponding to different clamping forces. Thus, the Authority has constructed the normal values of each product type by taking into account cost of production of the comparable products manufactured by the domestic industry in India plus a reasonable profit.
49. The Authority notes that the associated costs and prices of different models/product types vary depending upon the clamping force and other configurations. Therefore, normal values of the product types actually imported from each of the subject countries as above have been determined separately for fair comparison with their respective export prices taking into account the cost of manufacturing of the domestic industry for the closest model/product type manufactured by the domestic industry during the POI. Wherever the domestic industry did not produce a matching product type with identical clamping force a conservative approach has been adopted by determining the normal value based on the cost of the machine with nearest clamping force to enable like to like comparison after making due allowance for any differences that affect price comparability. Because of the very nature of the product, involving several components and parts manufactured in other countries and used by the machine producers across the globe, to the extent possible due account has been taken of the international prices of such components and parts imported by the domestic industry.
50. During the POI the following models/product types of the subject goods were imported from Philippines, Malaysia and Vietnam. Therefore, the normal values of these models have been determined adopting the above general principles as shown in the dumping margin tables given in dumping margin paragraph below.

(b) Export Prices: Philippines, Malaysia and Vietnam

51. As per the DGCI&S import data examined during the POI 73 pieces, 98 pieces and 149 pieces of the subject goods have been imported from Philippines, Malaysia and Vietnam respectively. Export Price for all exporters in Philippines, Malaysia and Vietnam have been determined on the basis of import prices reflected in transaction-wise data for the POI from DGCI&S. Model/product type-wise average CIF price reflected in the import data has been adjusted for inland and ocean freights and insurance, handling and other selling expenses based on facts available to arrive at ex-works export prices as given in the dumping margin table given below.

(c) Dumping Margin: Philippines, Malaysia and Vietnam

52. The normal values of the individual product types in Philippines, Malaysia and Vietnam so determined at ex-works level have been compared with the ex-works export prices of the corresponding product types at the same level as described above to arrive at the individual dumping margins at the model/product type level and then weighted average dumping margin for the product as a whole has been determined for each country as follows:

(i) Philippines

53. Dumping margin for all exporters in Philippines has thus been determined as under:

Clamping Force (MT)	Qty	Net Export Price in US\$	NV US\$	DM US\$	DM %
100	***	***	***	***	
120	***	***	***	***	
130	***	***	***	***	
140	***	***	***	***	
160	***	***	***	***	
188	***	***	***	***	
200	***	***	***	***	
230	***	***	***	***	
250	***	***	***	***	
280	***	***	***	***	
300	***	***	***	***	
400	***	***	***	***	
500	***	***	***	***	
600	***	***	***	***	
650	***	***	***	***	
Grand Total	73	***	***	***	55-65%

(ii) Malaysia

54. Dumping margin for all exporters in Malaysia has thus been determined as under:

Clamping Force	Qty	Net Export Price in US\$	NV US\$	DM US\$	DM %
60	***	***	***	***	
88	***	***	***	***	
90	***	***	***	***	
100	***	***	***	***	
120	***	***	***	***	
130	***	***	***	***	
140	***	***	***	***	
150	***	***	***	***	
158	***	***	***	***	
160	***	***	***	***	
170	***	***	***	***	
200	***	***	***	***	
280	***	***	***	***	
320	***	***	***	***	
380	***	***	***	***	
390	***	***	***	***	
458	***	***	***	***	
500	***	***	***	***	
550	***	***	***	***	
600	***	***	***	***	
680	***	***	***	***	
800	***	***	***	***	
Grand Total	98	***	***	***	75- 85%

(iii) Vietnam

55. Dumping margin for all exporters in Vietnam has thus been determined as under:

Clamping Force	Qty	Net Export Price in US\$	NV US\$	DM US\$	DM %
60	***	***	***	***	
86	***	***	***	***	
90	***	***	***	***	
120	***	***	***	***	
160	***	***	***	***	
200	***	***	***	***	
250	***	***	***	***	
280	***	***	***	***	
320	***	***	***	***	
380	***	***	***	***	
470	***	***	***	***	
530	***	***	***	***	
600	***	***	***	***	
700	***	***	***	***	
1000	***	***	***	***	
Grand Total	149	***	***	***	40-50%

Dumping margin table

Sl. No.	Country	Producer	Exporter	DUMPING MARGIN US\$ / PC	DUMPING MARGIN %
1	Chinese Taipei	M/s. Chen Hsong Machinery Chinese Taipei Co. Ltd.	M/s. Asian Plastic Machinery Co. Ltd.	***	5-15%
2	Chinese Taipei	M/s. Jon Wai Machinery Works Co. Ltd.	M/s Jon Wai Machinery Works Co. Ltd.	***	0-10%
3	Chinese Taipei	All Others	All Others	***	40-50%
4	Philippines	All producers	All Exporters	***	55-65%
5	Malaysia	All producers	All Exporters	***	75-85%
6	Vietnam	All producers	All Exporters	***	40-50%

56. The dumping margins so determined have been found to be above *de minimis*.

H. Determination of Injury and Causal Links

57. Rule 11 of Antidumping Rules read with Annexure –II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, “... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles...”. In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of

such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

58. The Authority notes that the application for imposition of antidumping duty has been filed by Plastics Machinery Manufacturers Association of India (hereinafter referred to as petitioner or PMMAI) on behalf of the producers of Plastic Processing Machines. Four of its members, (i) M/s Toshiba Machines; (ii) M/s Ferromatic Milacron; (iii) M/s Windsor India; and (iv) M/s Electronica Machines, who are domestic producers of the product under consideration in India, who commands a major proportion of total production of the subject goods in India. In terms of Rule 2(b) of the Rules the petitioner has been treated as the domestic industry for the purpose of this investigation. Therefore, for the purpose of this determination the cost and injury information of the petitioner, constituting the domestic industry as defined in Rule 2(b), has been examined.

(i) Views of Exporter, importers and other Interested Parties regarding the injury claims of domestic industry

59. The exporters, importers and other interested parties to this investigation, in their respective submissions, regarding the injury and causal link, have inter alia argued:

- a) That the allegation of material injury by the domestic industry is unsubstantiated. Economic indices, including investment, capacity and investments, inventory, labour, decline in volume of imports etc. demonstrate that the Domestic industry is performing well. Despite the state of declining demand in the country, the Domestic Industry has enhanced its production capacity by 34%;
- b) That the decline in sales, and consequently production, is because of decline in demand for the product in the country as stated by the petitioners.
- c) That the import data would show that in absolute term, relative to production in India or consumption in, imports have declined. This clearly establishes that there is no volume effect. Therefore, the claims of the petitioners that the Domestic producers suffered injury due to a drop in sales due to imports from the countries concerned does not stand;
- d) That during 2010-11 when imports from the subject countries were highest levels, the profitability of the Petitioner was at its peak. In 2013-14, when imports decreased, the Domestic industry's profitability also declined. The profitability of the Domestic industry has been affected due to unwarranted enhancement of capacity by the Domestic industry;
- e) That Audit Report of Windsor stated that Decline in demand was due to overall drop in economic growth, stagnation of policies/decision making, apprehensions about forthcoming elections and hence most of the new investments were deferred; Scarcity of Power in some parts of the country, forced customers to defer their expansion plans and new projects which ultimately resulted in lower orders and delay in lifting of finished machines;
- f) That total imports in the India from Subject Countries are less than 24% whereas; the Petitioner has an impressive market share of over 61%. The same has increased by 7% during the POI and market share of the imports from subject countries have declined;
- g) That the capacity utilization slightly decreased by 10% during the same period due to new capacity for Plastic Processing Machines being added. The capacity utilization in recent years was at record levels, if new capacities are not considered;
- h) That heavy investments made by the Domestic industry during the 2010-11 to 2013-14 periods completely undermine the allegation that the Domestic industry suffered material injury during that time;
- i) That Anti-dumping measures on imports of PPM originating in the countries concerned would not be in the Domestic interest since anti-dumping measures would:
 - i. increase the price of finished goods produced by the hundred thousands of user industry and harm buyers and ultimately consumers;
 - ii. have a negative impact on competition in the market; and
 - iii. Threaten a more significant number of jobs in the downstream industry than the number of jobs allegedly at risk in the Domestic industry.

(ii) Views of the domestic industry

60. The domestic industry, in its submissions, has *inter alia* argued as under:

- i. That after the imposition of anti-dumping duty on imports of product under consideration from China; Malaysia, Philippines, Chinese Taipei and Vietnam started dumping the product under consideration into India;
- ii. That the demand for the product under consideration has declined over the injury period. Auto sector

- growth has declined by about 16%, due to which the machines used in this sector are idle. Resultantly, these machines are being used for packaging and other sectors. Thus, while decline in demand in auto sector has led to lower demand in this sector, at the same time, it has triggered a decline in demand in other sectors as well;
- iii. That dumped imports of the product under consideration are entering the Indian market in significant volumes from the subject countries;
 - iv. That the landed price of imports were substantially below the selling price of the Domestic Industry thereby causing significant price undercutting;
 - v. That whereas the cost of production has seen an increase since the base year, the selling prices have not increased in proportion to increase in cost. Imports are suppressing the prices of the product in the Country. The domestic industry is being forced to prevent price increases to the extent where it is suffering significant reductions in profits;
 - vi. That the Domestic Industry enhanced its capacity in the years 2011-12 and further in 2012-13 in anticipation of growth in the market keeping in view the projections. However, unfortunately, demand for the products being produced by the consumers saw a significant decline, as a result of which demand for product under consideration declined significantly in the last four years;
 - vii. The decline in sales and consequently production is because of decline in demand for the product in the Country. Since product is largely made to order item, the domestic industry produces the product largely against confirmed orders. Thus, decline in sales is adversely impacting production and consequently capacity utilization.
 - viii. That the performance of the domestic industry deteriorated in terms of production, domestic sales, capacity utilization, profits, return on investments, cash flow. Consequent impact of dumping on the domestic industry has been significantly adverse.
 - ix. That with continuous presence of dumped imports in the Indian market, the domestic industry, in order to sustain in the market, is left with no option but to sell the goods at sub-optimal prices. The domestic industry was prevented from raising its prices in proportion to increase in costs.
 - x. That the domestic industry has faced negative growth in terms of sales, production, capacity utilization, profits and return on investment. This is clearly due to dumping of the product under consideration in the market.
 - xi. That while the injury to the domestic industry has occurred largely on account of dumping from subject countries and decline in demand for the product in the country, not imposing anti dumping duties shall lead to significantly intensified injury to the domestic industry. Thus, performance of the domestic industry shall deteriorate further in the event anti dumping duties are not imposed.
 - xii. That the subject goods are capital goods items and therefore, the domestic industry is required to plan its capacity expansion keeping in view the future industry outlook. The outlook of the industry at that point in time were showing promising future demand for the plastic industry was high and therefore, a healthy increase in demand for the processing/moulding machinery industry. The projections lay down for 2020 showed that demand for product under consideration shall increase to about 15000 machines per annum. Considering the present capacity and potential demand for the product, a number of industry producers, including the petitioners, invested significant amounts in capacity expansion. However, demand for the product has declined significantly and therefore, the domestic industry is now suffering injury both from dumping from several sources as also decline in demand. Under these circumstances, non imposition of anti dumping duty shall lead to intensified injury to the domestic industry
 - xiii. That dumping need not be the only factor of injury to the domestic industry. Domestic industry is suffering injury both from dumping from various sources as also decline in demand. Further, while it is appreciated that the decline in demand has been partly responsible for the decline in production and sales, the presence of subject imports due to dumping by the foreign producers has aggravated injury to the domestic industry
 - xiv. That the industry was earlier suffering from Chinese dumping. While some of the Chinese companies shifted to Vietnam and continued dumping, producers in other countries joined such Chinese companies in dumping the product in the Country. The market share of the domestic industry should have naturally improved with imposition of ADD on Chinese imports. The continued dumping with change of source has however significantly undermined the remedial effects of the ADD imposed

- xv. That the market share of imports has remained significant to cause injury to the domestic industry.
- xvi. That Anti dumping duty is imposed against unfair priced dumped imports and the significance and purpose of anti-dumping duty is to maintain a level-playing field and prevent dumping, while allowing for healthy competition. The domestic industry of product under consideration is suffering material injury due to presence of dumped imports. Thus, legally, it is not necessary to establish that imposition of anti dumping duty shall not have significant adverse impact on the consumers.
- xvii. That imposition of anti dumping duty shall have insignificant impact on the downstream industry which can be seen from the fact despite imposition of anti dumping duty on Chinese machines; no such adverse effect is seen.

61. The domestic industry has requested to impose antidumping duty in the form of fixed duties.

(iii) Examination of the issues by the Authority

62. The Authority notes the arguments of the domestic industry and other interested parties and various issues raised therein and has addressed them in the relevant paragraphs hereunder.

I. Examination of Injury and Causal Link:

63. Annexure-II of the AD Rules provides for an objective examination of both, (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices, in the domestic market, for the like articles; and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such articles. With regard to the volume effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute term or relative to production or consumption in India. With regard to the price effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared to the prices of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress the prices to a significant degree, or prevent price increases, which would have otherwise occurred to a significant degree.

I.1 Cumulative Assessment of Injury

64. Annexure II (iii) of the Anti Dumping Rules provides that in case imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti dumping investigations, the Designated Authority will cumulatively assess the effect of such imports, in case it determines that: -

- a) the margin of dumping established in relation to the imports from each country/ territory is more than two percent expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is three percent of the imports of the like article or where the export of the individual countries is less than three percent, the imports cumulatively accounts for more than seven percent of the imports of like article, and;
- b) Cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles.

65. In the present case, the weighted average margins of dumping from each of the subject countries have been found to be more than the *de minimis* limits prescribed; and the volume of dumped imports from each of the subject countries is more than the limits prescribed;

66. The Authority notes that the subject goods are capital goods with a wide range of clamping forces and are supplied by the domestic industry as well as foreign suppliers with varying configurations and specifications within the same clamping force ranges. Within the comparable ranges the prices of the goods imported from the subject countries are in narrow price ranges indicating that the dumped goods are *inter se* competing amongst themselves as well as with the domestic goods. Therefore, the Authority considers it appropriate to cumulatively assess the effects of the dumped imports from the subject countries.

1.2 Examination of actual and potential impact of dumped imports

67. Annexure II to the Anti Dumping Rules, in its relevant parts, provides that *the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned, shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices; the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.*

68. In accordance with the above Rules all economic parameters affecting the Domestic Industry as indicated above have been examined as under: -

(a) Volume Effects of Dumped Imports:

(i) Import volumes and share of subject countries:

69. For examination of the volume and prices of the imports from various sources the Authority has relied upon the transaction-wise data from DGCI&S and individual transactions have been examined based on the product descriptions to identify the product under consideration. The machines not falling within the scope of the product under consideration have been pruned as per the product description given in the transaction-wise data. The transaction-wise data so examined has been placed in public folder notwithstanding the appeal of the Govt. pending before the Hon'ble Supreme Court in SanDisk matter. The volume of imports during the injury investigation period, as per this analysis, is as follows:

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (POI)	% Share
Subject Countries Import						
Chinese Taipei	Nos	706	716	406	276	32%
Malaysia	Nos	102	87	109	106	12%
Philippines	Nos	73	151	41	74	9%
Vietnam	Nos	0	77	228	155	18%
Subject Country as a whole	Nos	881	1,031	784	611	71%
Trend		100	117	89	69	
China (ADD already in force)	Nos	98	36	46	29	3%
Trend		100	37	47	30	
Other Countries	Nos	571	415	243	219	25%
Trend		100	73	43	38	
Total Imports	Nos	1,550	1,482	1,073	859	100%
Trend		100	96	69	55	

70. The Authority notes that total import of the subject goods from the subject countries, as well as from all countries, has declined significantly during the injury investigation period. The subject countries account for about 71% of the total imports during the POI, up from about 51% in the base year. However, the decline in imports needs to be examined in the context of demand and market shares.

(ii) **Demand and Market Share:**

71. The demand and market share of the domestic industry and the subject countries in the domestic market has been assessed taking into account the production and sales of the domestic industry and imports as follows:

Demand	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (POI)
Sales of Domestic Industry	Nos.	2,025	1,959	1,773	1,662
Trend		100	97	88	82
Sales of Other Indian Producers	Nos.	203	196	177	166
Trend		100	97	88	82
Imports from Subject country					
Chinese Taipei	Nos	706	716	406	276
Malaysia	Nos	102	87	109	106
Philippines	Nos	73	151	41	74
Vietnam	Nos	-	77	228	155
Subject Country as a whole	Nos	881	1,031	784	611
Trend		100	117	89	69
Imports from China	Nos.	98	36	46	29
Trend		100	37	47	30
Other Countries	Nos.	571	415	243	219
Trend		100	73	43	38
Total Demand	Nos.	3,778	3,637	3,023	2,687
Trend		100	96	80	71

72. The above data indicates that during the injury investigation period the demand of the subject goods in the domestic market declined by about 29% compared to the base year. The sale of the domestic industry has declined by about 18% in the same period. Imports from the subject countries have also declined by about 31% during the same period.

73. As far as the demand scenario is concerned, the domestic industry has submitted that the demand of the subject goods has been adversely affected by the general economic slowdown and specifically because of the demand glut in the auto component industry sector, which is one of the largest users of these machines, during the last few years. It has been contended that this being a global phenomenon, the plastic processing machine industry everywhere is under pressure and therefore, dumping has started from several sources to use up the existing capacities in these countries. A significant part of the demand in India has been occupied by dumped imports from several sources, including the subject countries.
74. The trend in shares of various players in the domestic market during the injury investigation period has been examined as follows:

Market Share	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (POI)
Sales of Domestic Industry	%	54%	54%	59%	62%
Sales of Other Indian Producers	%	5%	5%	6%	6%
Imports from Subject country					
Chinese Taipei	%	19%	20%	13%	10%
Malaysia	%	3%	2%	4%	4%
Philippines	%	2%	4%	1%	3%
Vietnam	%	-	2%	8%	6%
Subject Country as a whole	%	23%	28%	26%	23%
Imports from China	%	3%	1%	2%	1%
Other Countries	%	15%	11%	8%	8%
Total Demand/Consumption	%	100%	100%	100%	100%

75. The above data indicates that the market share of the domestic industry has increased by about 8% during the POI as compared to the base year though in absolute term the sales have substantially declined. The share of the subject countries in total domestic demand remains at the same level of the base year in POI after increase in 2011-12 and 2012-13. While the sales of domestic industry has significantly declined the market share shows a significant increase. Therefore, Authority notes that in a period of declining demand scenario the market shares of various players may not provide a clear indication of the impacts of the imports.

b) Price Effect of the Dumped imports on the Domestic Industry

76. With regard to the impact of the dumped imports on prices, the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. Accordingly, the impact on the prices of the domestic industry on account of dumped imports of the subject goods from the subject countries have been examined with reference to price undercutting, price underselling, price suppression and price depression.
77. The Authority notes that the subject goods are capital goods with varying capacities and configurations. Therefore, for the purpose of the undercutting and underselling analysis the cost of production, net sales realization (NSR) and the non-injurious prices (NIP) of the domestic industry for each model/product type based on their clamping force have been compared with landed value of dumped imports of corresponding models/product types of the subject goods imported from the subject countries before consolidating them at the product level form each country.
78. The non-injurious prices of each model/product types manufactured and supplied by the domestic industry have been determined as per the consistent practice of the Authority by appropriately considering the cost of production for the product under consideration during the POI as per the principles laid down in Annex-III of the Rules.

(i) Price undercutting effect of the dumped imports

79. Price undercutting has been determined by comparing the landed values individual models/product types of dumped imports from the subject countries over the entire period of investigation with the net sales realization of the corresponding models sold by the domestic industry and thereafter weighted average price undercutting of the product as a whole for each of the subject countries have been determined to see whether the imports are significantly undercutting the prices of the domestic industry. For this purpose landed values of imports has been calculated by adding 1% handling charge and applicable customs duty to the value reported in the DGCI&S import data. In order to determine the net sales realization of the domestic industry, any rebates, discounts, commissions, etc. offered by the domestic industry and the central excise duty paid have been deducted from the total sales realization.

80. The price undercutting of the subject goods from each of the subject countries, at the product level, works out as follows:

	Chinese Taipei	Malaysia	Philippines	Vietnam Soc Rep	Overall
Weighted average Price Undercutting (Rs)	***	***	***	***	***
Price Undercutting (%)	0-10%	65-75%	40-50%	30-40%	15-25%

81. The above data indicates that at the weighted average level the dumped imports from each of the subject countries are significantly undercutting the prices of the domestic industry.

(ii) Price underselling effect of the dumped imports

82. For examining the underselling effects of the dumped imports first the landed values of imports of comparable models/product types have been compared with the Non-Injurious Prices determined for the corresponding product types and thereafter weighted average of the underselling margins have been worked out at product level for each of the subject countries. The weighted average underselling margins work out as follows:

	Chinese Taipei	Malaysia	Philippines	Vietnam Soc Rep	Total
Underselling margin (Rs)/Pc.	(***)	***	***	***	***
Underselling margin (%)	(0-10)%	40-50%	25-35%	20-30%	10-20%

83. The above data shows that at the weighted average level the landed values of the dumped imports from Malaysia, Philippines and Vietnam are significantly below the non-injurious prices of the domestic industry. But in case of Chinese Taipei the underselling margin at the weighted average level has been found to be negative. However, the Authority notes that the exporters from Chinese Taipei have submitted their questionnaire response and the underselling margins of these exporters have been also been determined and relied upon as recorded in the relevant section in this finding.

(iii) Price Suppression, Depression effects of dumped imports

84. To examine whether the domestic prices are suppressed or depressed due to the presence of dumped imports from subject countries the trend of weighted average sales realization of the domestic industry has been compared with the cost of sales and the landed values of dumped imports at weighted average level.

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
Weighted average Cost of Sales	Rs./No.	***	***	***	***
Trend	Index	100	115	121	127
Weighted average Net Sales Realisation of DI	Rs./No.	***	***	***	***
Trend	Index	100	106	108	114
Weighted average Landed Value					
Chinese Taipei	Rs./No.	32,90,886	25,89,317	34,64,495	42,33,910
Trend	Index	100	79	105	129
Malaysia	Rs./No.	21,23,614	19,74,631	23,29,541	18,31,239
Trend	Index	100	93	110	86
Philippines	Rs./No.	16,97,109	15,93,097	13,02,944	24,11,463
Trend	Index	100	94	77	142
Vietnam Soc Rep	Rs./No.	-	20,27,780	23,63,552	30,88,308
Trend	Index	-	100	117	152

85. The above data indicates that while the weighted average cost of sales have increased significantly in the injury investigation period the weighted average selling price has not increased at the same rate indicating price suppression. However, the Authority notes that the cost and prices of the subject goods vary significantly depending

upon the capacity and other configurations and therefore, any comparison based on weighted average basis may not provide a clear and meaningful understanding of the price suppression or depression effects of the dumped imports.

(c) **Examination of other injury factors**

(i) **Actual and potential impact on capacity, production, capacity utilization and sales**

86. The table below shows the capacity, production, capacity utilization and sales of the domestic industry for the product under consideration during the injury investigation period.

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (POI)
Capacity	Nos	3,650	4,200	4,600	4,600
Trend		100	115	126	126
Production	Nos	2,260	2,229	2,053	2,069
Trend		100	99	91	92
Capacity Utilization	%	62%	53%	45%	45%
Trend		100	86	72	73
Domestic sales	Nos	2,025	1,959	1,773	1,662
Trend		100	97	88	82

87. The Authority notes that the domestic industry has enhanced its capacities in 2011-12 and 2012-13. While the capacity has gone up by 26% compared to the base year the production has gone down by about 8% and the domestic sales are down by about 18%. The interested parties have argued that the decline in production and sales of the domestic industry is solely on account of decline in demand and not because of the alleged dumped imports.

88. The domestic industry has submitted that the demand for plastic processing machines between 2004-05 and 2010-11 was quite significant and registered good growth during this period. As per the demand projections based on the outlook of various user industries given in Plast-India Report of 2012 the demand for plastic processing machines was expected to reach a level of about 1,50,000 machines per year by 2020. Considering the growth in the industry that was taking place and the potential growth for the product in the Country, major producers of plastic processing machines in India expanded their capacities with significant fresh investments. However, unfortunately, because of general economic slowdown, demand for the products being produced by the users of these machines, specifically auto-component sector, saw a significant decline. As a result of this demand for product under consideration declined significantly in the last four years. At the same time the dumped imports are entering the Indian market at significant volumes and at significantly dumped prices. Consequently, production and domestic sales of the domestic industry were affected.

(ii) **Actual and potential impact on profit/loss, cash flow, returns on capital employed**

89. Performance of the domestic industry with respect to the profitability parameters are as follows:

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
Profit/ Loss	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	Index	100	45	20	18
Profit/ Loss before Tax & Interest	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	Index	100	53	25	22
Cash Profits	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	Index	100	52	30	28
Capital Employed	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	Index	100	129	167	196
Return on capital employed	%	60-70%	25-35%	5-15%	0-10%
Trend	Index	100	41	15	11

90. The above data indicates that though the domestic operations of the domestic industry have remained profitable during the entire injury investigation period but the net profit of the Company and the return on capital employed has declined sharply since 2011-12. The cash profit has also declined significantly during the injury period.

(iii) Actual and potential impact on Employment and Wages

91. The data on employment and wages given below indicates increase in employment and wages though the productivity remains more or less same. The Authority notes that the domestic industry produces plastic processing machines of wide range of capacities and some of them are not included in this investigation. The industry has also added capacities during this period. Therefore, the information on employment and wages may not provide a very clear picture of the condition of the industry with respect to the product under consideration.

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
Employment	Nos.	***	***	***	***
Trend	Index	100	107	108	109
Wages	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	Index	100	131	145	166
Productivity	Nos./Day	***	***	***	***
Trend	Index	100	99	91	92

92. The above data indicates that while the employment has increased by about 9% over the base year, the wages have increased by about 66% in the same year. The wage increase is significant. Therefore, employment and wages have not been considered as significant factors of injury. However, the potential of growth in employment and wages needs to be seen in the context of the profitability of the industry which has significantly declined. The productivity has declined significantly due to decline in production as noted earlier.

(iv) Actual and potential impact on Inventories

93. Inventory holding of the domestic industry has not been significantly impacted and has remained constant as can be seen from the table below. However, this needs to be seen in the context of increase in exports and decline in production, while the domestic sales have declined during this period.

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
Inventory	Nos.	***	***	***	***
Trend	Index	100	200	120	100

(iv) Actual and potential impact on ability to raise fresh Investment

94. The Authority notes that the domestic industry has made fresh capital investments for expansion during the injury investigation period, apparently keeping in view healthy growth in demand for the product in the domestic market as well as export market. The sale of the domestic industry in the export markets shows a healthy growth during the period of investigation whereas the sales in domestic market declined significantly. Therefore, the ability of the domestic industry to make fresh investment during the period prior to the period of investigation was not significantly affected as the profitability in the first two years of the POI was promising. However, the sharp decline in profitability in the last two years is likely to significantly affect fresh investment in this sector.

(vi) Actual and potential impact on growth

95. Overall analysis of the performance of the domestic industry shows that the domestic industry has faced negative growth in terms of sales, production, capacity utilization, profits and return on investment. Though the employment, wages, investment and inventory did not show any decline during the POI the potential impact of the dumped imports on these parameters could be significantly high as the profitability significantly declines and the demand remains low.

(vii) Magnitude of Dumping and Dumping Margins

96. The dumping margins of the dumped imports determined for the subject countries in the previous section are significantly above *de minimis* level.

(viii) Factors affecting prices

97. Examination of trends in the volume of dumped imports and prices of the dumped imports from the subject countries, and the domestic prices indicate that the decline in demand in the domestic market and presence of significant dumped imports from the subject countries through their volume and price effects have affected the prices of the domestic industry.

(d) Injury Margins

98. The Non-injurious prices of the subject goods, for the domestic industry, has been determined for individual models/product types on the basis of their clamping force as per the principles laid down in Annex-III to the Anti-dumping Rules for fair comparison with the respective landed values of imports for determination of injury margins first at the model/product type level and thereafter injury margins of the product as a whole, from various sources from the subject countries, have been determined as follows:

	Injury Margin US\$/PC	Injury Margin %
Chinese Taipei		
M/s Chen Hsong Machinery Chinese Taipei Co Ltd (Producer) and M/s Asian Plastic Machinery Co Ltd (Exporter)	***	0-10%
M/s Jon Wai Machinery Works Co Ltd (Chinese Taipei)	(***)	(20-30)%
All others	***	25-35%
Malaysia	***	40-50%
Philippines	***	25-35%
Vietnam Soc Rep	***	20-30%

99. The above data indicates that the weighted average of the injury margins of dumped imports from Malaysia, Philippines and Vietnam are positive and significant. As far as Chinese Taipei is concerned, the weighted average injury margin of M/s Jonwai Machinery Works Co., Ltd., Chinese Taipei was found to be negative and the weighted average injury margin of other exporters from that country have been found to be positive. In its post disclosure submissions the domestic industry has raised certain issues regarding determination of NIP. The issues have been examined and the Authority notes that NIP has been determined as per the consistent practice and principles laid down in annexure-III of the Rules.

(e) Causal link and other factors

100. The Rules mandates the Authority to examine the causal links between the dumped imports and the injury caused to the domestic industry on account of the dumped imports. The Authority has examined whether other known factors could have caused injury to the domestic industry. The following issues brought to the notice of the authority have been examined alongwith the mandatory non-attribution factors, as per information available with the authority to see factors other than dumped imports, if any, could have contributed to injury to the domestic industry. Accordingly, the following parameters have been examined:

(i) Volume and prices of imports from other sources

101. Import data examined shows that the subject goods are also being imported from other countries not under this investigation. The Authority notes that the anti dumping duties are currently in force against import of subject goods up to 1000 MT clamping force imported from China PR. The volume of imports from China PR as well as its share in imports has substantially declined after imposition of anti dumping duties. The volume of imports from the subject countries accounts for over 71% of total imports during the POI. Imports from the other countries, not alleged to be dumping, are at higher prices. Therefore, the imports from other sources are not affecting the domestic industry.

(ii) Contraction in demand and / or change in pattern of consumption

102. The Authority notes that there is a significant decline in demand of the products in the domestic market since the base year and the interested parties have argued that the performance of the domestic industry has been affected because of the decline in demand and not because of the alleged dumped imports. The domestic industry has however, contended that the subject goods are majorly used in electrical, packaging, medical, home appliances and auto sector. Auto sector growth has declined by about 16% during this period, due to which the machines used in this sector are either idle or being used for packaging and other sectors. Thus, while decline in demand in

auto sector has led to lower demand in this sector, at the same time, it has triggered a decline in demand in other sectors as well. Therefore, overall demand for the injection machines has declined during this period.

103. The authority notes that the demand for the subject goods in the domestic market declined by about 29% during the POI. This decline is due to economic slowdown in general and decline in the auto sector in particular. Auto component sector is one of the major consumers of these capital goods. This decline in demand has affected the sales of the domestic industry to a significant extent. However, the dumped imports from the subject countries and the other countries account for about 24% of the demand in India in a declining market and have thereby worsened the condition of the domestic industry through their volume as well as price effects.

(iii) Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers

104. The Authority notes that there are a number of producers of the subject goods in India. No argument has been made by any interested party regarding unfair competition or trade restrictive practices adopted by any domestic players. The volume and value of goods imported during the period of investigation show that the goods are entering the Indian market without any restriction. The foreign producers and domestic industry are competing in the Indian market. Thus investigation has not shown that conditions of competition or trade restrictive practices are responsible for the alleged injury to the domestic industry.

(iv) Development in technology: -

105. No information has been supplied by any interested parties to indicate that there is any significant change in injection moulding technology or development of new generation machines affecting the production and sale of the subject goods in India by the domestic industry. The investigation carried out does not show any significant change in technology or change in preference in plastic moulding industry which could have affected the sector.

(v) Export performance of the domestic industry: -

106. The volume of exports of the domestic industry has increased substantially during the injury investigation indicating price competitiveness of the Indian producers in the international market. The export sales have been found to be significantly profitable. However, the injury analysis in the previous section is based on the domestic performance of the domestic industry. Prices and profitability in the domestic and export markets have been segregated by the Authority for the purpose of assessing injury to the domestic industry.

(vi) Productivity of the Domestic Industry

107. Productivity of the domestic industry has declined due to the decline in production, due to dumping and decline in demand, in the injury investigation period and not because of any other factor. Therefore, decline in productivity cannot be treated as a factor causing injury to the domestic industry.

J. Post Disclosure Comments of the domestic industry and other Interested parties on Injury and Causal Links

J.1 Domestic Industry

108. The domestic industry, in its post disclosure comments, has submitted that that negative margin in case of M/s Jon Wai Machinery, Chinese Taipei does not imply that the DA shall not impose ADD on imports from Jon Wai Machinery. It has been argued that there are significant imports below NIP and therefore, Designated Authority is requested to consider only those export transactions where landed prices of imports are below the NIP. It has been submitted that this method of computation of injury margin is fully consistent with the decision of CESTAT in the matter of KOTHARI SUGARS & CHEMICALS LIMITED Versus DESIGNATED AUTHORITY wherein the CESTAT held that the injury margin is required to be determined after considering only those export transactions where injury margin is positive. It has been further submitted that this is also the practice being employed by European Commission. Domestic industry has further argued that the Rules have not made any specific prescription with regard to determination of injury margin and have only prescribed the methodology for determination of NIP. Therefore, petitioner requests the Authority to consider positive injury margin transactions in case of this exporter and fix injury margin accordingly.

J.2 Other Interested parties

109. The All India Plastic Manufacturers Association, in its post disclosure submissions, has mostly reiterated its arguments and has inter alia argued that
- The investigation should not have been initiated since the Petition did not contain sufficient and consistent evidence of dumping and/or injury.
 - The alleged injury suffered by the Petitioner is not material and accordingly the application of the anti-dumping measures is not justified.

- Injury allegedly suffered by the Domestic Industry is due to factors other than imports from subject countries. Lower demand of the subject goods in India affected the Domestic industry's output.
- Domestic industry's volume of domestic sales is declining during the reference period. This should not have been seen in isolation. The same is to be examined in relation with total demand.
- Domestic producers suffered injury due to a drop in sales in 2013-14 and that such a drop in sales would be attributable to imports from the countries concerned.
- Market share of the Domestic Industry increased by 7% during the POI and market share of the imports from subject countries have declined.
- The profitability of the Domestic industry has been affected due to unwarranted enhancement of capacity by the Domestic Industry.
- The total production (installed) capacity of the Domestic industry has increased by 33% from 2010-11 to 2013-14.
- The capacity utilisation slightly decreased by 10% during the same period, but this should be seen in the light of, the significant increase in investments which proves that the Domestic industry was competitive, as it had significant financial resources to invest in capacity increases all over the production chain.
- Inventory with the Domestic Industry are continuously decreasing thus this indicator does not support a finding of material injury.
- Allegation of material injury is unsubstantiated. Economic indices, including investment, capacity and investments, inventory, labour, decline in volume of imports etc. demonstrate that the Domestic industry is performing well.
- The imposition of anti-dumping measures on imports of PPM originating in the countries concerned would not be in the Domestic interest.
- Anti-dumping measures would increase the price of finished goods produced by the hundred thousands of user industry and harm buyers and ultimately consumers and have a negative impact on competition in the market for the products and threaten a more significant number of jobs in the downstream industry than the number of jobs allegedly at risk in the Domestic Industry.
- The imposition of anti-dumping measures would not be in the larger interest of Indian industry, as it will trigger price increases.

J.3 Examination by the Authority

110. As regards the comments of the domestic industry with regard to the injury margins of M/s Jon Wai Machinery are concerned, without prejudice to the decision of the Hon'ble CESTAT in the Kotahri Sugar matter quoted by the domestic industry, the Authority notes that the factual matrix of the case and the arguments based on which the methodology adopted in that matter was decided by the Hon'ble CESTAT are materially different. The said order clearly mentions and makes a distinction in the order itself while referring to the Bed Linen case argued in that matter and observing that

"We also do not think the Panel Report in the case of Bed Linen has application to the present case. That was a case where the exporters had co-operated with the investigation and filed full data about normal value and export prices. The parties had, however, complained about inclusion/exclusion of the prices of certain varieties. The product under consideration was vast in variety. That was also not a case where duty was imposed on variable basis. In such a case, the effect of substantial imports below the non-injurious price from one country does not arise, Relevance of and weightage for various parameters differ in injury and causal link analysis depending upon the factual situation in each case".

111. The factual matrix of this case is different. It is not a case where there is no response from Taiwan. The exporters concerned from Taiwan have filed complete information on their export to India and on the basis of detail examination weighted average margin of injury for M/s Jon Wai Machinery has been found to be negative. In fact at the product type/model level also the injury margin has been found to be negative for all product types/models exported by this Company. Therefore, the Authority does not find any merit in the arguments of the domestic industry to apply the ratio of Kothari Sugar judgment of the Hon'ble CESTAT for imposition of duty on M/s Jon Wai Machinery by computing injury margin on the basis of transactions below NIP.

112. As regards the comments of All India Plastic Manufacturers Association is concerned, the Authority notes that the Association has mostly re-iterated most of its arguments which have already been addressed in the relevant places in this findings. The Authority notes that the investigation was initiated as per the Rules and after due consideration of prima facie evidence submitted. The information submitted by the domestic industry and other interested parties

have been duly examined and various determinations, including the injury to domestic industry, are based on the material facts on record. All injury parameters have been examined keeping in view the submissions made by the interested parties, including AIPMA during the course of the investigation as recorded above. Therefore, the post disclosure submissions of the AIPMA have been disposed off accordingly.

K. Conclusion on Injury and causal Links

113. The above analysis indicates that the performance of the domestic industry has deteriorated during the injury investigation period on account of decline in production, sales and capacity utilization; decline in profits and return on investments. Subject goods imported from the subject countries significantly undercut the prices of the domestic industry and also have significant underselling effect on the domestic industry's selling prices at the weighted average level, except for Chinese Taipei. The injury suffered by the domestic industry is significant and material.
114. As noted earlier, combination of various factors, such as significant volume of imports from the subject countries at dumped prices, continued dumping from China PR and decline in domestic demand, appear to have affected the performance of the domestic industry during the investigation period.

L. Indian industry's interest & other issues

115. The interested parties have argued that Anti-dumping measures on imports of PPM originating in the countries concerned would not be in the Domestic interest since anti-dumping measures would increase the price of finished goods produced by the hundred thousands of user industry and harm buyers and ultimately consumers and will have a negative impact on competition in the market and threaten a more significant number of jobs in the downstream industry than the number of jobs allegedly at risk in the Domestic industry. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject country in any way, and, therefore, would not affect the availability of the subject goods to the consumers.

M. Conclusions:

116. After examining the issues raised and submissions made by the interested parties and facts made available before the Authority, as recorded in this finding, the Authority concludes that the subject goods are entering the Indian market from the subject countries at dumped prices and performance of the domestic industry has deteriorated in the current injury period due to the impact of the dumped imports from the subject countries coupled with decline in demand in the recent years. The injury suffered by the domestic industry is significant and material.

N. Recommendations:

117. The Authority notes that this investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to exporters, importers and other interested parties to provide positive information and verifiable evidence on various aspects of dumping, injury and causal links. Having conducted the investigation as per the procedure prescribed and having established that the goods from the subject countries are entering the Indian market at dumped prices and causing injury to the domestic industry through the volume and price effects the Authority considers it necessary and appropriate to recommend imposition of anti-dumping duty on imports of subject goods, from the subject countries, in the form and manner described hereunder.
118. Having regard to the lesser duty rules followed by the Authority, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and margin of injury so determined in this finding for the period under investigation, so as to remove the injurious effects of the dumped imports on the domestic industry. Accordingly, antidumping duty as a percentage of the landed value of the goods, as indicated in Col 9 of the duty table given below, is recommended to be imposed on all imports of subject goods originating in or exported from the subject countries for a period of five years from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government. Landed value of imports for this purpose shall be the assessable value as determined by the customs under the Customs Act, 1962 and all duties of customs except duties levied under Section 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the Customs Tariff Act, 1975.

Duty Table

SN	Sub Heading or Tariff Item	Description of Goods	Specification	Countries of origin	Countries of Export	Producer	Exporter	Duty Amount	Unit of Measure
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	8477.1000**	Plastic Processing Machines or Injection Moulding Machines	Clamping Force equal to or more than 40 tonnes and equal to or less than 3200	Chinese Taipei	Chinese Taipei	M/s Chen Hsong Machinery Chinese Taipei Co Ltd	M/s Asian Plastic Machinery Co Ltd	6.06	%

		used for processing or moulding plastic materials***	tonnes						
2	-Do-	-Do-	-Do-	Chinese Taipei	Chinese Taipei	M/s Jon Wai Machinery Works Co Ltd	M/s Jon Wai Machinery Works Co Ltd	NIL	%
3	-Do-	-Do-	-Do-	Chinese Taipei	Chinese Taipei	Any combination other than the above		27.98	%
4	-Do-	-Do-	-Do-	Chinese Taipei	Any	Any	Any	27.98	%
5	-Do-	-Do-	-Do-	Any other than the subject countries	Chinese Taipei	Any	Any	27.98	%
6	-Do-	-Do-	-Do-	Philippines	Any	Any	Any	30.85	%
7	-Do-	-Do-	-Do-	Any other than the subject countries	Philippines	Any	Any	30.85	%
8	-Do-	-Do-	-Do-	Malaysia	Any	Any	Any	44.74	%
9	-Do-	-Do-	-Do-	Any other than the subject countries	Malaysia	Any	Any	44.74	%
10	-Do-	-Do-	-Do-	Vietnam	Any	Any	Any	23.15	%
11	-Do-	-Do-	-Do-	Any other than the subject countries	Vietnam	Any	Any	23.15	%

Note:

** Above classification is indicative only and no way binding on the scope of the product under consideration for the purpose of imposition of antidumping duty.

***The following types of products are excluded from the scope of the product under consideration for the purpose of imposition of antidumping duty:

- i. Blow Moulding Machines classified under Customs Tariff Classification No. 847730.
- ii. Vertical injection moulding machines.
- iii. All electric injection moulding machines wherein the mechanical movements such as injection, mould closing, mould opening, ejection, screw driver, etc. are controlled by independent servo motors and having digital control system and without Hydraulic Units.
- iv. Multi-colour / multi-mould machinery for making footwear, Rotary injection moulding machinery for making footwear and footwear sole/strap/heel injection moulding machine classified under the Customs Tariff Classification No. 8453."

O. Further Procedure

119. An appeal against the orders of the Central Government that may arise out of this recommendation shall lie before the Customs, Excise and Service tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

120. The Authority may review the need for continuation, modification or termination of the definitive measure as recommended herein from time to time as per the relevant provisions of the Act and the Rules, and Public Notices issued in this respect from time to time. No request for such a review shall be entertained by the Authority unless the same is filed by an interested party as per the time limit stipulated for this purpose.

A. K. BHALLA, Designated Authority